अधिसूचना

नई दिल्ली,9दिसम्बर,2016

का.आ. 4001(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014) 2014 का 30) की धारा 35 के साथ पठित धारा 36) 1) और (2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम के निम्नलिखित अध्यादेश और विनियम बनाती है।

अध्यादेश और विनियम

बी. टेक कार्यक्रम

अध्यादेश

O.1 केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (इसके बाद सीएसएबी)/संयुक्तसीटआवंटनप्राधिकरण(इसके बाद जो.सा) द्वारा आईआईआईटीडी व एम (इसके बाद, संस्थान) में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक न्यूनतन योग्यता 10+2 (क्लास XII) अंतिम परीक्षा या उसके समकक्ष में उत्तीर्ण होना

i) किसी भी मान्य केंद्रीय/राज्य सेकेंडरी परीक्षा बोर्ड के, जैसे सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी शिक्षा, नई दिल्ली और काउण्सिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाएँ, नई दिल्ली की +2 स्तर की परीक्षाएँ 10+2 पैटर्न में।

ii) मान्य बोर्ड/ विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित इंटरमीडियट या दो वर्ष विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षाएँ

iii) राष्ट्रीय डिफेन्स अकादमी के जाइंट सेवा विंग के दो वर्षीय अंतिम परीक्षाएँ।

iv) भारत या विदेश में में कोई पब्लिक स्कूल/बोर्ड/विश्व विद्यालय परीक्षाएँ जो भारतीय विश्व विद्यालय संघ द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष माना गया हो।

v) हेच.एस.सी. व्यावसायिक परीक्षाएँ

vi) नेशनल ओपन स्कूल द्वारा आयोजित सीनियर सेकेण्डरी स्कूल ग्रेड में पास बशर्ते न्यूनतम पांच विषय लिया हो।

vii) स्टेट बोर्ड आफ तकनीकी शिक्षण या एआईसीटीई द्वारा मान्य 3 या 4-वर्षीय डिप्लोमा।

O.2 सीएसएबी काउण्सिलिंग के दौरान लिये गये निर्णय के अनुसार विशिष्ट शाखा के अध्ययन में प्रवेश

O.3 बी.टेक पाठ्यक्रम की अवधिसामान्यत: 8 सेमेस्टर का होगा।

O.4 बी.टेक छात्रों को प्रदान किये जानेवाले मेरिट छात्रवृति अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट द्वारा समय समय पर बनाये गये विनियम के अधीन है।

O.5 बी.टेक डिग्री की उपाधिअकादमी सलाहकार समिति/ संस्थान के सेनेट के विनियम के अनुरूप प्रदान किया जाएगा।

विनियम

आर.1.0 प्रवेश

आर.1.1 संस्थान में बी.टेक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विधा के लिए सीटों की संख्या का निर्णय अकादमी सलाहकार/सेनेट द्वारा निर्णय किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग, और विकलांग व्यक्तियों को समय समय पर भारत सरकार द्वारा नियमानुसार आरक्षित किया गया है।

आर.1.2 किसी भी वर्ष बी.टेकपाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए उस वर्ष के जाइंट एंट्रेंस परीक्षा (जेईई) मैन और हेचएससी परीक्षा के, सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी शिक्षा (सीबीएसई) के मार्गदर्शन, सीएसएबी /जो.सा द्वारा आयोजित काउण्सिलिंग के आधार पर होगा।

आर.1.3 जेईई मैन में परीक्षा देने के लिए योग्यता मानदंड, अध्यादेश O.1 के अनुरूप होगा।

आर.1.4 सामान्य संवर्ग के छात्रों के लिए जेईई मैन और मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया का निर्णय सीएसएबी करेगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछडे वर्ग और विकलांक व्यक्तियों के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार करेगा। प्रत्येक वर्ष समिति द्वारा निर्णय लिये गये अनुसार परीक्षाओं में न्यूनतम कार्यनिष्पादन मानदंड के क्रम में सीएसएबी/जो.सा मेरिट आधार पर, उम्मीदवार द्वारा मांगे गये शाखा विकल्प को और विभिन्न संस्थानों में विधाओं के लिए उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश का निर्णय करेगा ।

आर.1.5 प्रवेश के समय, उम्मीदवार को योग्यता परीक्षा के किसी भी अंतिम परीक्षा लिखा होना या उत्तीर्ण होना चाहिए।

यदि कोई बोर्ड ग्रेड शीट में अंकों की प्रतिशतता न देकर केवल अक्षर ग्रेड प्रदान करता है तो उम्मीदवार को उस बार्ड से समतुल्य अंक का उल्लेख करते हुए पत्र लाना चाहिए और काउण्सिलिंग के समय समर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा नहीं दिया गया तो उनकी योग्यता पर संयुक्त कार्यान्वयन समिति द्वारा लिये जानेवाले निर्णय अंतिम होगा।

आर.1.6 आवेदन पत्र के साथ दिये गये सूचना ब्राउचर में उउल्लेखितानुसार प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सा मानकों की पूर्ति करनी है ।

आर.1.7 प्रवेश पत्र में उल्लेखितानुसार प्रवेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद चयनित उम्मीदवार कोबी.टेकपाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

आर.1.8 प्रवेश के बाद किसी भी समय यदि यह पाया गया है कि उम्मीदवार प्रवेश के समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते तो संस्थान प्रवेश को रद्द कर सकता है और इस मामले को अकादमी सलाहकार समिति / सेनेट को रिपोर्ट कर सकता है।

आर.2.0 बी.टेकपाठ्यक्रम की संरचना

आर.2.1 पाठ्यक्रमके निर्देश में निम्नलिखित होगा :

(i) एक सामान्य कोर पाठ्यक्रमजिसमें जैसे बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग कला और गणित;

(ii) एक इंजीनियरिंग कोर पाठ्यक्रमजिसमें उसकी शाखा छात्र की शाखा के इंजीनियरिंग के बुनियादी बातें होगी;

(iii) एक वैकल्पिक पाठ्यक्रमजिससे छात्र को अपनी रुचि के अनुरूप ग्रूप आफ कोर्स ले सकते हैं ; और

(iv) विभाग द्वारा अनुमोदित एक परियोजना

इसके अलावा, छात्र को संतोषजनक रूप में निर्धारित एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस पाठ्यक्रमकी पूर्ति करनी है।

आर.2.2 पूर्ण पाठ्यक्रम के 5 संवर्ग हैं : मानविकी, बुनियादी विज्ञान, बुनियादी इंजीनियरिंग , व्यावसायिक मेजर और वैकल्पिक विषय जो प्रत्येक वर्ष दो सेमेस्टर के हिसाब से आठ समेस्टर में व्याप्त है ।

व्यावसायिक मेजर कोर्स की शुरूआत प्रथम सेमेस्टर से होगी।

आर.2.3 बी.टेकपाठ्यक्रम के प्रत्येक शाखा में अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट द्वारा अनुमोदित कोर्स के लिए पाठ्यक्रम एवं कोर्स कन्टेंट (सिलबी) होगा।

आर.2.4 निम्नलिखित सामान्य पैटर्न पर कोर्स आधार पर क्रेडिट निर्धारित किया जाता है : प्रत्येक वक़्तृता अवधिके लिए एक क्रेडिट; प्रत्येक टुटोरियल अवधि के लिए एक क्रेडिट ; प्रत्येक प्रयोगशाला या व्यावहारिक या तीन पीरियड की परियोजना सत्र के लिए एक क्रेडिट ।

IndiaCode

आर.2.5.बी.टेकपाठ्यक्रम के किसी शाखाके करिकुलम में कुल लगभग 175 क्रेडिट होना है ताकि**बी.टेकउपाधिप्रदान किया जा सके।**

आर.2.6 कोई भी सेमेस्टरके पाठ्यक्रम में अधिकतम 27 क्रेडिट और चार प्रयोगशाला कोर्सएवंछः वक़्तृता भाषण आधारित कोर्स निर्धारित है तथा निम्निलखित बाध्यता के अधीन है ।

पांचवे सेमेस्टर से छात्र अतिरिक्त कोर्स (बैकलाग) के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। फिर भी, विशेष मामलों में, VII वे सेमेस्टर के छात्रों को सात भाषण आधारित कोर्स लेने की अनुमति दी जा सकती है यदि उन्हें पहले ही पिछले समेस्टरों में सात कोर्स निर्धारित नहीं किया गया हो हालांकि:

a) 4 सिफारिश में से दो-तीन लेब स्लॉट फ्री हो

b) किसी भी सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट की अधिकतम संख्या 27 से ज्यादा नहीं हो

c) विनियम 7.1 के सिवा पंजीकृत कोर्स से किसी भी विषय को वापस नहीं लिया जा सकता है

d) छात्र के संकाय सलाहकार की सिफारिश से वह होगा

e) V & VI सेमेस्टर में छात्र एक बैकलॉग कोर्स का पंजीकरण कर सकता है और VII & VIII समेस्टर से दो बैकलाक का पंजीकरण कर सकता है बशर्ते एक सेमेस्टर में अधिकतम 27 क्रेडिट हो।

आर.2.7 बी.टेकपाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स पंद्रह संवर्ग में से जो सारणी 1 में सूचीबद्ध है एक है

फिर भी, VI या उससे उच्चतर सेमेस्टर के छात्र ही स्नातकोत्तर स्तर कोर्स के पंजीकरण के लिए हकदार हैं। फिर भी ऐसे कोर्सों में प्रवेश चाहनेवाले प्रत्येक छात्र कोर्स दे रहे प्राध्यापक से अनुमति लेना चाहिए।

सारणी **1** कोर्स के वर्गीकरण

क्र.सं	संवर्ग	कोड
1.	मानविकी &प्रबंधन कोर्स	हेचएमसी
2.	बुनियादी विज्ञान कोर्स भौतिकी/ रसायन/गणित/ लाइफ साइंस	बीएससी
3.	बुनियादी इंजीनियरिंग कोर्स	बीईसी
4.	व्यावसायिक इंजीनियरिंग कोर्स	पीईसी
5.	एलाइड इंजीनियरिंग कोर्स	एईसी
6.	व्यावसायिक/ कैरियर विकास औद्योगिक भाषण/ इंन्टर्नशिप	पीसीडी

7.	अभिकल्पना कोर्स	डीईएस

बी.टेक. उपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट 175 है।

आर.2.8 पढाने का माध्यम, परीक्षा और परियोजना रिपोर्ट अंग्रेज़ी में होगी ।

आर.3.0 संकाय सलाहकार

आर.3.1 छात्रों को अपने अध्ययन कोर्स चुनने की सहायता और अकादमी पाठ्यक्रम पर सामान्य सलाह पाने के लिए, संबंधित विभाग कुछ छात्रों को संकाय सदस्य से जोडेगा जिन्हें संकाय सलाहकार कहा जाएगा ।

आर.4.0 कक्षा समिति

आर.4.1 बी.टेकपाठ्यक्रम की प्रत्येक कक्षा में संकाय और छात्रोंसे बनी एक कक्षा समिति होगी।

आर.4.2 कक्षा समिति की संरचना निम्नप्रकार होगी: (i) एक प्रोफसर को – जो विशेष कक्षा के शिक्षण से संबंधित नहीं, निदेशक/उप निदेशक द्वारा कक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाता है। (ii) प्रत्येक विषय के लिए कोर्स समन्वयक (iii) कर्मशाला अधीक्षक (iv) संबंधित कक्षा से दो छात्र; और (v) संबंधित कक्षा के संकाय सलाहकार

आर.4.3 कक्षा समिति के बुनियादी उत्तरदायित्व निम्नप्रकार है

a) कक्षा की प्रगति को आवधिक रूप में पुनरीक्षण करना

b) पाठ्यक्रम और विषय और कक्षा चलाने से संबंधित समस्याओं की परिचर्चा

c) कोर्स के मूल्यांकन के प्रकार कक्षा समिति द्वारा अध्यापक के साथ परामर्श करके किया जाएगा और सेमेस्टर की शुरूआत में ही उसे बता दिया जाएगा। फिर भी बी.टेकपाठ्यक्रमके प्रथम तीन सेमेस्टर में आम कोर्स के लिए मूल्यांकन पद्धति में दो प्रश्नमंच होगा और सत्रांत परीक्षाओं के साथ भारिता आर.19.1 में उल्लिखित है । प्रत्येक कक्षा समिति अपनी सिफारिशों को निदेशक / उप निदेशक के यहाँ सूचित करेंगे।

d) कक्षा समिति, बिना छात्र सदस्य के सेमेस्टर परिणाम के अंतिमरूप देने का भी उत्तरदायी है।

e) कक्षा समिति कम से कम सेमेस्टर में दो बार मिलना है, एक बार सेमेस्टर के प्रारंभ में और दूसरा ग्रेड को अंतिमरूप देने के लिए सेमेस्टर के अंत में मिलना है । फिर भी इसके कविज ।। के बाद मिलने के लिए सिफारिश की जाती है।

आर.5.0 शाखा परिवर्तन

आर.5.1 एक विधा से दूसरी विधा में परिवर्तन की अनुमति निम्नप्रकार किया जा सकता है :

टाइप	से	तक	योग्यता मानदंड
उपाधिपरिवर्तन	बी.टेक	दोहरी उपाधि	(i) 8.5 सीजीपीए (ii) बी.टेकपाठ्यक्रम के ।।। वर्ष के अंत में (iii) आवेदन देने की तारीख में कोई बैकलॉक कोर्सस न हो (iv) संबंधित पाठ्यक्रमके मूल मंजूर संख्या में 10% (+-) से अधिक न होने तक परिवर्तन स्वीकरणीय है। नियमित प्रवेश और भारत सरकार के नार्म्स के अनुरूप आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

शाखा परिवर्तन	बी.टेकसीओई बी.टेकईडीएम बी.टेकएमडीएम	बी.टेक ईडीएम/एमडीएम / बी.टेक सीओई / एमडीएम बी.टेक सीओई / ईडीएम	(ii) I वर्षबी.टेक के अंत में अन्य मानदंड उक्तानुसार

आर.5.2 ऐसे परिवर्तन पर प्रथम सेमेस्टर के अंत में ही विचार किया जाएगा।शाखा परिवर्तन पर विचार करने के लिए प्रथम सेमेस्टर के अंक (कार्यनिष्पादन) आधार होगा।

आर.5.3 प्रथम सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूरा किये सभी छात्र शाखा परविर्तन के लिए योग्य हैं और रिक्तियों के अनुरूप उन पर विचार किया जाएगा।

आर.5.4 शाखा परिवर्तन में वर्तमान कक्षा संख्या में से दस प्रतिशत से कम नहीं होना है और कुल मंजूर संख्या में से दस प्रतिशत अधिक नहीं होना है। इसके लिए दोनों मामले में कक्षा में रहे छात्रों की कुल संख्या को लिया जा सकता है।

आर.5.5 फिर भीविनियम 5.4 के होते हुए भी प्रथम सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक विधा से शाखा परिवर्तन के लिए कम से कम एक छात्र पर विचार किया जाएगा।

आर.5.6 अन्य समस्याओं के कारण यदि किसी छात्र को उच्चतर जीपीए रखते हुए भी विशिष्ट शाखा नहीं दी गयी है तो उसे उससे कम जीपीए रखनेवाले अन्य छात्र को भले ही वर्तमान नार्म्स के आधार पर योग्य हो, नहीं देना है।

आर.6.0 पंजीकरण और नामांकन

आर.6.1 प्रथम सेमेस्टर को छोडकर पिछले सेमेस्टर के सत्रांत परीक्षाओं के एक सप्ताह पहले विनिर्दिष्ट सप्ताह के दौरान पंजीकरणकिया जाएगा।

पंजीकरण के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख से दो सप्ताह तक समय समय पर निर्धारित जुर्माना देर पंजीकरण/नामांकन के लिए होगा।

आर.6.2 दूसरे सेमेस्टर से सभी छात्रों को निर्धारित दिनांक पर सेमेस्टर के आरंभ में नामांकित करना है। छात्र नामांकन के लिए तभी योग्य है जब आर10.0 के अनुकूल है और संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय और पिछले सेमेस्टर के अंत तक के एनसीसी यूनिट के लिए कोई देयता नहीं हो बशर्ते संस्थान द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई पर नामांकन के लिएवंचित किया हुआ न हो।

आर.6.3 पंजीकरणशीट में कोर्स नम्बर, कोर्स नाम, क्रेडिट के नम्बर और सेमेस्टर में लिये गये प्रत्येक कोर्स के संवर्ग हैं। छात्र अपना संकाय सलाहकार के साथ परामर्श करके चयन करना है।

आर.6.4 बी.टेक छात्र भी पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्स के अलावा अतिरिक्त कोर्स लेने के लिए योग्य हैं यानी पाँचवा, छठाँऔरसातवाँ सेमेस्टर में एक कोर्स और 8वाँ और 10वाँ सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दो कोर्स, बशर्ते अधिकतम 15 क्रेडिटहो, और छात्र कोई बैकलॉग नहीं रखता हो और पिछले सेमेस्टर में 7.0 या उससे अधिक सीजीपीए

रखता हो । अतिरिक्त कोर्स लेनेवाले छात्र निदेशक/उप निदेशक के पूर्व अनुमोदन लेना है। इसे ग्रेड कार्ड में ईएक्सटी संवर्ग में दिखाया जाएगा और सीजीपीए गणना के लिए लिया जाएगा।

आर.7.0 पंजीकरणआवश्यकताएँ

आर.7.1 किसी सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम, अंतिम सेमेस्टर को छोडकर, सामान्यत: 21 और 29 के बीच क्रेडिट का होगा।

किसी सेमेस्टर में यदि कोई छात्र महसूस करता है कि भारी है, या और कोई वैध कारण हो, वह सेमेस्टर के प्रारंभ होने का तीन सप्ताह के अंदर कोर्स को ड्राप कर सकता हैलेकिन प्रथम कविज की शुरूआत के पहले अपने संकाय सलाहकार से लिखित रूप में अनुमोदन लेना है। फिर भी, छात्र को सुनिश्चित करना है कि किसी भी सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट की कुल संख्या उन्हें आर.8.1केअनुरूपहै।

आर.8.0 पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ

आर.8.1 छात्र को प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 10 सफलतापूर्वकक्रेडिट पाना है, दूसरे सेमेस्टर के अंत में 26 सफलतापूर्वक क्रेडिट पाना है। उसके बाद प्रति सेमेस्टर में औसतन 14 क्रेडिट रखना है जिसमें प्रथम दो सेमेस्टर भी शामिल है। फिर भी अंतिम सेमेस्टर में छात्र 14 क्रेडिट से कम पा सकता है हालांकि वह उपाधिपाने के लिए आवश्यकता को पर्याप्त रखता हो। उक्तानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में यदि छात्रउपयुक्त क्रेडिट पाने से विफल होता है तो उस पाठ्यक्रम से बाहर हटा दिया जाएगा ।

आर.8.2 छात्र जो प्रथम छ: सेमेस्टर में एनसीसी/ एनएसओ/ एनएसएस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है (देखें आर.27) उन्हें बी.टेक पाठ्यक्रम में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आर.8.3 छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सफलतापूर्वक समाप्त किये कोर्स के सीजीपीए की संगणना में न्यूनतम 5.0 (देखें आर.26.2) रखना है। यदि ऐसे संगणना किये गये सीजीपीए 5.0 से कम है या वह औसतन 20 क्रेडिट से कम अर्जित किया है तो अगले सेमेस्टर में भी यदि सीजीपीए 5.0 से कम हो या आर.8.1. के अनुसार औसतन 14 क्रेडिट न पाया गया है तो उसका नाम नामांकन से निकाल दिया जाएगा।

आर.9.0 पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि

आर.9.1 बी.टेक पाठ्यक्रम को छात्र आठ सेमेस्टर में पूरा करने की आशा की जाती है । फिर भी पाठ्यक्रम को धीमी गति से पूरा किया जा सकता है लेकिन किसी भी हालत में 12 सेमेस्टर से अधिक अवधि नहीं लेनी है जिसमें चिकित्सा ग्राउण्ड आदि पर छोडे गये सेमेस्टर आदि आर.12 के अनुसार शामिल नहीं है । फिर भी छात्र को आर.8.1 के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर में पूरा करना है जिसकी विफलता पर उसके पंजीकरणरद्द किया जाएगा ।

आर.10.0 पाठ्यक्रम को बीच में ही अस्थायी रूप में छोडना

आर.10.1 निदेशक/ उप निदेशक की अनुमति से पाठ्यक्रम को बीच में सेमेस्टर या उससे अधिक समय के लिए बीमारी या अन्य वैध कारणों के लिए छोडा जा सकता है। सामान्यत: किसी छात्र को **अधिकतम लगातार दो सेमेस्टर की अवधिके लिए ही पाठ्यक्रम को** बीच में छोडने की अनुमति दी जाएगी।

आर.11.0अनुशासन

आर.11.1 प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैंपस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो।

आर.11.2 छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य निदेशक/ उप निदेशक के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और संस्थान की अनुशासन समिति (डीडब्ल्यूसी) को रिपोर्ट किया जाएगा। समिति आरोपों पर पूछताछ करेगी और आरोप सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी । अनुशासन और कल्याण समिति की सिफारिशों को निदेशक/उप निदेशक को भेजा जाएगा और निदेशक / उप निदेशक को उचित कार्रवाई लेने का प्राधिकार देगा।

आर.11.3 अपील : छात्र अकादमी सलाहकार समिति / सेनेट में परिचर्चा के लिए निदेशक/ उप निदेशक को अपील कर

सकता है और एएसी/ सेनेट का निर्णय अंतिम होगा।

आर. 11.4 किसी भी ट्रष्टिसे **रेगिंग** आपराधिकगतिविधि है और हमारे देश और राज्य में नॉन-बेइलबिल गलती है और केंद्रीय विधान में कारावास सहित सख्त दंड का प्रावधान है । यदि कोई छात्र रैगिंग करते हुए पकडा गया तो उन्हें संस्थान से बाहर भेज दिया जाएगा और किसी भी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अमानवीय कार्य में यदि कोई एक को इंकित किया न सका तो सामूहिक दंड के लिए भी प्रावधान है । संस्थान के प्रत्येक वरिष्ठ छात्र माता-पिता सहित प्रत्येक वर्ष लिखित रूप में यह आश्वासन देगा/देगी और एनरोलमेंट के समय पर समर्पित करेगा।

आर.12.0 उपस्थिति

आर.12.1 प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपस्थिति का विवरण दे देना है।

आर 12.2 जो छात्र 85% तक की उपस्थिति नहीं रखता है, जो भी कारण हो, उन्हें उस कोर्स की सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा लिखने नहीं दिया जाएगा।

उसका पंजीकरणउस कोर्स के लिए रद्द माना जाएगा और उन्हें उस कोर्स में 'डब्ल्यू' ग्रेड दिया जाएगा। (डब्ल्यू का मतलब न्यूनतम उपस्थिति न होने के कारण पंजीकरणका रद्द होना) यह ग्रेड, ग्रेड कार्ड में तब तक दिखाया जाएगा जब तक वह सफलतापूर्वक पूरा न किया हो।

यदि कोर्स हार्ड कोर हो तो छात्र को पंजीकृत करना है और जब उस कोर्स को आफर किया जाता है पुन: करना है।

आर.12.3 प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपिस्थति का विवरण दे देना है।

उन छात्रों के नाम को जो 85% से कम उपस्थिति रखे हैं कक्षा में अध्यापक स्वयं घोषित करेंगे। उनकी प्रतियाँ अकादमी कोर्स के डीन को और संबंधित विभागाध्यक्ष को भिजवाना है । छात्र जो 85% से कम उपस्थिति रखता है सेमेस्टर के अंतिम परीक्षा लिखने के लिए निदेशक/ अकादमी कोर्स के डीन की अनुमति के बिना अनुमति नहीं देनी है।

आर.12.4 **उपस्थिति को माफ करना :** अनुपस्थिति की कमी को तब माफ किया जाएगा जब चिकित्सा छुट्टी से इतर अवधिमें 85% से अधिक उपस्थिति रखता हो तो बशर्ते कुल अनुपस्थिति कोर्स में 40% **से कम न हो** जिसमें बीमारी की अवधिभी शामिल हो।

(1) व्यक्तिगत कारणों और छोटी मोटी बीमारी के लिए ली गयी छुट्टियों में से 15% को छोडा जा सकता है।

(2) अस्पताल में भरती होकर बडा / लंबी अवधिचिकित्सा लिये छात्रों के लिए संस्थान अतिरिक्त अधित्याग पर विचार कर सकता है। ऐसे उम्मीदवार एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जिसे संस्थान के डॉक्टर पृष्ठांकित करना है और निदेशक/ उससे नामांकित व्यक्ति उस पर प्रति मामले के अनुसार, उपयुक्त निर्णय ले सकता है ।

आर.13.0 मूल्यांकन प्रक्रिया– जांच और परीक्षाएँ

आर.13.1 प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय में जांच और परीक्षाओं की प्रणाली पर समय समय पर अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट निर्णय लेगा।

आर.14.0 परीक्षण प्रणाली

आर.14.1 **प्रति** सेमेस्टर प्रत्येक कोर्स में कक्षा समिति द्वारा निर्णित रूप में प्रथम तीन सेमेस्टर और उच्चतर सेमेस्टर कोर्स के लिए यदि आम कोर्स हो तो वक्तृता / टुटोरियल आधारित विषय में **दोकविज (परीक्षण) होगा।** इन कविज के अंक के बारिता को कक्षा समितिऔर निदेशक/ उप निदेशक के परामर्श के साथ सेमेस्टर के प्रारंभ में ही छात्रों को बताना है।

IndiaCode

आर.15.0 सत्रांत परीक्षा

आर.15.1 प्रत्येक वक्तृता आधारित विषय की एक सत्रांत परीक्षा होगी ।

आर.16.0 परियोजना मूल्यांकन

आर.16.1 परियोजना की पूर्ति पर छात्र एक परियोजना रिपोर्ट समर्पित करेगा जिसका मूल्यांकन विधिवत नियुक्त परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित होगा और परियोजना पर एक मौखिक परीक्षा होगी।

आर.16.2 बी.टेकछात्रों की परियोजना रिपोर्ट जो अपना कोर्स कार्य पूरा नहीं किया हो, का मूल्यांकन उसी सेमेस्टर पर मूल्यांकित किया जाएगा और परिणाम गुप्त रूप में अकादमी कोर्स डीन को भेजा जाएगा। परियोजना कार्य मूल्यांकन का परिणाम अकादमी कोर्स के डीन द्वारा उन छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर ही घोषित किया जाएगा।

आर.17.0 भरिता

आर.17.1 प्रथम तीन सेमेस्टर के आम कोर्स के लिए: विभिन्न विषयों के लिए निम्नलिखितानुसार भरिता होगी :

a) सेमेस्टर समाप्ति पूर्व परीक्षाओं में क्विज/परियोजनाएँ/ एसैन्मेंट और सत्रांत परीक्षाएँ होंगी। सेमेस्टर समाप्तिपूर्वपरीक्षाओं का कुल अंक सत्रांत परीक्षाओं के कुल अंक से ज्यादा न होना है यानी सत्रांत परीक्षाओं का अंक 50% होना है।

b) प्रयोगशाला/ प्रैक्टिस कोर्स में इसी पैटर्न का अनुपालन किया जाए

बी.टेकपाठ्यक्रमके उच्चतर सेमेस्टर के सैद्धांतिक कोर्स के लिए **भरिता**सेशनल मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षाएँ दोनों के लिए 40% से कम नहीं होना चाहिए। उक्त अवरोध के अधीन कक्षासमिति स्वयं किसी भी कोर्स के लिए **भरिता**का निर्णय कर सकता है और सेमेस्टर के प्रारंभ से 2 सप्ताह के अंदर छात्रों को सूचित कर सकता है।

आर.17.2 सभी परीक्षण, टूटोरियल एसैन्मेंट (यदि कोई हो तो) प्रयोगशला काम और परीक्षाएँ अब्सलूट आधार पर होगा। आर.17.1 में दिये गये अनुसार प्रत्येक विषय के लिए अंतिम अंक प्रतिशतता की गणना की जाएगी।

आर.18.0 मेक-अपपरीक्षाएँ

आर.18.1 वैध कारणों से यदि कोई छात्र किवज या सत्रांत की परीक्षाएँ न दे पाता है तो वे मेक-अप परीक्षाओं के लिए योग्य हैं। एक ही मेक-अप परीक्षा उस सेमेस्टर के लिए अनुमेय है। छात्र जो क्विजों में भाग नहीं ले पाये हैं और उसी कोर्स में वैध कारणों के कारण जैसे बीमारी आदि सत्रांत परीक्षाएँ नहीं दे पाये हैं तो मेक-अप परीक्षाएँ केवल उस सत्रांत परीक्षाओं के लिए लिख सकते हैं। उन्हें एक आवेदन निदेशक/ उप निदेशक/ परीक्षा सेल को छूट गयी परीक्षा की तारीख से दस दिन के अंदर कारण बताते हुए देना है।

इस निर्धारित समय के बाद आनेवाले आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आर.18.2 मेक-अप परीक्षाओं में बैठने की अनुमति असाधारण अवस्थाओं में जैसे बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती, दी जाएगी।

- चिकित्सा आधार पर छुट्टी आवेदन देने पर, छात्रावास में रहनेवाले छात्रों को संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है कि वह क्विज/ परीक्षाओं की अवधिपर अस्पताल में रहे थे।
- छात्रावास में रहनेवाले छात्र और बाह्य डाक्टरों से सलाह लेनेवालों को संस्थान अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से लिखित अनुमति **परामर्श के लिए जाने के पहले** लेना है।
- छात्रावास में रहनेवाले छात्र लेकिन बाह्य डाक्टरों से सलाह लेनेवालों को संस्थान अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा पाये प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन लेना है।
- कैंपस से स्थायी रूप से/ अस्थायी रूप से रह छात्र पंजीकृत चिकित्सा देनेवाले डाक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है जिसपर माता-पिता/अभिभावकों से पृष्ठांकित किया जाना है।

IndiaCode

· चिकित्सा से संबंधित अन्य दस्तावेज (जैसे पिर्सक्रिप्शन, मेडिसन बिल आदि) चिकित्सा छुट्टी के प्रमाण में आवेदन के साथ रखना है।

आर.18.3 एक मेक-अप परीक्षा सत्रांत परीक्षाओं के लगभग दो सप्ताह के बाद होगा उनमें जिन छात्रों को मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी गयी लिख सकते हैं।

उस विषय के मेक-अप परीक्षा लेनेवाले सभी छात्रों के लिए आम प्रश्न-पत्र ही दिया जाएगा ।

फिर भी प्रश्न पत्र का सांचा ऐसा होगा कि छात्रों द्वारा छूट गए परीक्षण/ परीक्षा के भरिता के आनुपातिक अंक के लिए ही आंशिक पेपर ही लिखना होगा।

आर.18.4 एक छात्र जो इस मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाता उसे दूसरी बार मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति सामान्यत: नहीं दी जाती है।

फिर भी असाधारण ज्वर मामलों में जिससे छात्र मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाते हैं तो अकादमी कोर्स के डीन/ परीक्षा सेल सेनेट के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट के अनुमोदन के साथ छात्र को दूसरा मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी जा सकती है।

आर19.0 अनुपूरक परीक्षाएँ

निम्नलिखित विनियम के तहत छात्र जो किसी कोर्स में यू ग्रेड लिया है उसको अनुपूरक परीक्षाएँ लिखने की अनुमति दी जाती है :

(1) आर 10.2 द्वारा प्रतिबंधित किसी भी कोर्स के लिए एक छात्र अनुपूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी ।

(2) विषम सेमेस्टर कोर्सों की अनुपूरक परीक्षाएँ समसंख्यक सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षाओं की समाप्ति पर आयोजित की जाएगी और इसी प्रकार समसंख्यक सेमेस्टर के लिए भी।

(3) छात्रों को प्रति कोर्स आधार पर अनुपूरक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रति कोर्स के लिए रू500 के हिसाब से भरना होगा।

(4) अनुपूरक परीक्षा (सप्लीमेंटरी परीक्षा) लिखनेवाले छात्रों का ग्रेड पूर्णत: अनुपूरक परीक्षा के कार्यनिष्पादन/अंकों के आधार पर ही होगा।

समय समय पर जारी करनेवाले परिपत्र के अनुसार छात्रों को अनुपूरक परीक्षाओं के लिए जो संस्थान द्वारा अनुसूचित होगी, रजिस्टर करना है ।

आर.20.0 छात्रों के विषय-वार ग्रेडिंग

आर.20.1 सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर, प्रत्येक छात्र को अंतिम अक्षर ग्रेड प्रत्येक विषय में दिया जाता है। अक्षर ग्रेड और उससे इंकित होनेवाले ग्रेड पाइंट्स का विवरण निम्नप्रकार है :

एस	10	ग्रेड पाइंट्स	
ए	9	”	
बी	8	”	
सी	7	”	
डी	6	”	
ई	4	”	
यू	0	-	अयोग्य / विफलता

डब्ल्यू	0	-	पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण विफलता
आई	0	-	अपूर्ण (बाद में उत्तीर्ण घोषित
		-	(ई से एस) या यू ग्रेड उसी सेमेस्टर में)
एक्स	0	-	पूर्ण (एनएसओ/एनसीसी/एसएसएस में)
वाई	0	-	अपूर्ण (एनएसओ/एनसीसी/एसएसएस में)

आर.20.2 जब किसी छात्र यू/एफ या डब्ल्यू या आई के सिवा और कोई ग्रेड पाता है तो माना जाता है कि उस छात्र सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है । किसी विषय पर यू/एफ या डब्ल्यू है तो उसका मतलब उस विषय पर अनुत्तीर्ण है। सफलतापूर्वक पूरा किये गये विषय को पुन: नहीं लिख सकेंगे।

आर.21.0 ग्रेड प्रदान कराने की पद्धति

आर.21.1 सत्रांत सेमेस्टर परीक्षा के अंतिम दिन से सात दिनों के अंदर कक्षा समिति की अंतिम बैठक छात्र सदस्य के बिना बुलायी जाएगी। इस बैठक में प्रदान किये जानेवाला अक्षर ग्रेड का अंतिम रूप दिया जाएगा।

आर.21.2 प्रत्येक विषय के लिए जिसमें अंतिम ग्रेड हो के परिणाम शीट दो प्रतियाँ औ उपस्थिति कोड शीट और निरपेक्ष अंक के दो प्रतियाँ, अंतिम ग्रेड और उपस्थिति कोड प्राध्यापक द्वारा संबंधित कक्षा समिति के अध्यक्ष को समर्पित किया जाना है। कक्षा समिति बैठक में ग्रेड के अंतिम निर्णय लेने के बाद एक प्रति निरपेक्ष अंक के साथऔर एक निरपेक्ष अंक के बिना केवल ग्रेड के साथ वर्ग समिति अध्यक्ष से निदेशक / उप निदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

आर.22.0 परिणाम की घोषणा

आर.22.1 प्रत्येक विषय में छात्रों को प्रदान किये जानेवाले अक्षर ग्रेड विभागीय सूचना बोर्ड में आर.19.1 के क्रम में कक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप दिये जाने के बाद बी.टेक पाठ्यक्रम के अक्षर-ग्रेड प्रत्येक कोर्स के लिए प्रदान किया जाता है जिसे अकादमी सेक्शन सूचित करेगा।बाकी कोर्सों के लिए तृतीय सेमेस्टर में प्रदान किया जाएगा और चतुर्थ और उसके उच्चतर सेमेस्टर में प्रदान किये गये कोर्स, विभाग द्वारा अक्षर ग्रेड विभाग के नोटीस बोर्ड में प्रदर्शित किया जाता है।

आर.22.2 एक बार डब्ल्यू ग्रेड प्रदान किये जाने पर वह छात्रों के रिकार्ड में होगा और वह तभी निकाला जाएगा जब वह उस विषय पर बाद में सफलतापूर्वक पूरा करता/करती है बशर्ते कितनीवीं बार में पूरा किया है उसकी सूचना होगा ।

आर.22.3 छात्रों द्वारा पाये गये **'यू'** ग्रेड सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के आधार पर ग्रेड कार्ड से निकाल दिया जाएगा और कितनीवीं बार में पूरा किया विवरण भी लीका दिया जाएगा।

आर.23.0 उत्तर पुस्तिकाओं का पुन: जांच

आर.23.1 यदि कोई छात्र सोचता है कि वंचित हुआ है तो पुन: जांच के लिए वह संबंधित प्राध्यापक से संपर्क कर सकता/सकती है बशर्ते परिणाम घोषित कर अगले सेमेस्टर के प्रारंभ होने के तीन सप्ताह के अंदर होना है। सत्रांत परीक्षा के अपने अपने उत्तर **पुस्तिकाओं** को छात्र देख सकते हैं, संबंधित प्राध्यापक दिखाएँगे। यदि प्राध्यापक महसूस करते हैं कि मामला सही है तो उसके पुन: परीक्षा कर सकता है और यदि कोई हो तो परिवर्तित ग्रेड को निदेशक / उप निदेशक को कक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा औचित्य सहित परिवर्तन के लिए अग्रेषित कर सकता है।

आर.23.2. परिणामघोषितकरनेकीतारीखसे 6 महीनोंतकहीउत्तरपुस्तिकाओंकासंरक्षणकियाजाएगा।उसअवधिकेबादउसेटुकडेटुकडेकरकेसंस्थानद्वारास्क्रॉपमेंडाल दियाजाएगा।

आर.24.0 कोर्स पुनरवृति

आर.24.1 किसी भी कोर विषय पर एक छात्र यू या डब्ल्यू ग्रेड लेने पर अगली बार आफर करते समय अनिवार्य रूप से उस विषय की पुनरवृति करनी है। किसी भी वैकल्पिक विषय में छात्र यू या डब्ल्यू और कोर कोर्स में यू लेता है तो छात्र को सफलतापूर्वक ग्रेड प्राप्त करने के लिए उसकी पुनरवृति करने का विकल्प है। सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के लिए पुनरवृति नहीं है।

आर.25.0 ग्रेड कार्ड

आर.25.1 प्रत्येक छात्र को सत्रांत में जारी किये जानेवाले ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित होगा :

क. उस सेमेस्टर के लिए पंजीकृत प्रत्येक कोर्स के लिए क्रेडिट

ख. प्रत्येक कोर्स में पाये अक्षर ग्रेड

ग. प्रत्यके कोर्स के उपस्थिति कोड

घ. प्रत्येक कोर्स संवर्ग के सेमेस्टर के अंत तक छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट की कुल संख्या

ङ. सभी कोर्स के प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक, क्युमुलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए)

आर.25.2 ग्रेड पाइंट एवरेज (जीपीए) निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणित किया जाएगा

$$GPA = \frac{\sum_i (C_i \times GP)}{\sum_i C_i}$$

जहाँ C_i = कोर्स के क्रेडिट, जीपी= कोर्स के लिए प्राप्त ग्रेड पाइंट और $\Sigma_i C_i$ = उस सेमेस्टर

में लिये गये ओवरआल कोर्स में क्रेडिट के कुल, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड

भी शामिल है।

इसी प्रकार के फार्मुला क्युमिलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए) के लिए भी अपनाया जाता है जिसमें Σ iCi उस अवधितक के सभी पूरे किये गये सेमेस्टर के ओवरआल कोर्स के क्रेडिट के कुल दर्शाया जाएगा।

सफलतापूर्वक पूर्ण किये कोर्सों के आधार पर सीजीपीए की गणाना की जाती है, जिसमें 'य' या 'डब्ल्यू' ग्रेड को छोड दिया जाता है और उसे अलग रूप से ग्रेड कार्ड में दर्शाया जाता है।

आर.25.3 बी.टेक पाठ्यक्रम के अंत में छात्र को कोई श्रेणी / डिविशन/ रैंक प्रदान नहीं किया जाएगा।

आर.26.0 एनसीसी/एनएसओ/एसएसजी की आवश्यकताएँ

आर.26.1 बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये सभी छात्र को पाठ्येतर पाठ्यक्रम के रूप में एनसीसी/एनएसओ या एनएसएस लेना ही है। एनसीसी कार्यक्रम विदेशी और महिला छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है।

आर.26.2 एनसीसी कार्यक्रम को चार सेमेस्टर में पूरा करना है। जिमखाना द्वारा घोषितानुसार एनएसओ/एसएसएस पाठ्यक्रमसंपन्न होगा।

आर.26.3 एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस की आवश्यकताओं को प्रथम चार सेमेस्टर के अंदर पूरा करना है।

आर.26.4 न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकताएँ 85% है।

आर.26.5 यदि किसी छात्र को उपस्थिति आवश्यकताएँ कम हैं तो निम्नप्रकारसे उस कमी को दूर करना है:

(i) यदि अनुपस्थिति वैध आधार पर हैतो कमी को उसी वर्ष अप्रैल के दौरान प्रदान किये जानेवाले अतिरिक्त एनसीसी/एनएसओ/ एसएसएस पाठ्यक्रम द्वारा दूर करना है।

IndiaCode

(ii) यदि अनुपस्थिति अप्राधिकृत है तो कमी को आगे के वर्ष में दूर करना है। एनसीसी की कमी को एनएसओ/एनएसएस कार्यक्रमों में कमी की तुलना में चार गुणा भाग लेकर दूर करना है : छूट गये प्रत्येक एनसीसी/एनएसएस वर्ग को चार एनएसओ कक्षा में शामिल होकर दूर करना है। छूट गये एनएसओ/एनएसएस वर्ग को प्रत्येक के लिए दो कक्षा में शामिल होकर दूर करना है।

आर.27.0 छात्रवृत्ति०और शिक्षा शुल्क छूट

आर.27.1 प्रवेश पाये छात्रों में से 25% या कुल मंजूर की संख्या में से 25%, जो भी कम हो, को बी.टेक छात्रों के जैसे ही मेरिट व मीन्स (एमसीएम) **छात्रवृत्ति०**शर्तों और स्थितियों के अधीन समय समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर पूरी अवधितक प्रदान किया जाएगा।

इन छात्रों को शिक्षा शुल्क भरने से छूट दी हाती है।

यदि **छात्रवृत्ति०** प्राइवेट संगठन द्वारा दिया जाता है तो दर और शर्तों और स्थितियाँ जो ऐसी **छात्रवृति** प्रदान करने के लिए है, अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

इसके अलावा 10% के छात्र जो प्रवेश पाये हैं या कुल मंजूर संख्या के 10% , जो भी कम हो, पाठ्यक्रम के 8 सेमेस्टरों के लिए शिक्षा शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमानुसार अनुसूचितजाती /अनुसूचितजनजाती उम्मीदवारों के लिए **छात्रवृति** और अन्य लाभा प्रदान किया जाएगा ।

वर्तमान सरकारी विनियम के साथ, यदि कोई हो तो, **छात्रवृत्ति०** प्रदान करने के लिए छात्रों के चयन के लिए निदेशक/ उप निदेशक प्रशासनिक प्रक्रियाओं की तैयारी करेगे। संख्या और चयन किये गये छात्रों का विवरण अकादमी सलाहकार समिति / सेनेट के यहाँ दिया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों के नवीकरण निम्नलिखित नियमानुसार होगा:

I. नवीकरण के पहले के दो सेमेस्टर के न्यूनतम सीजीपीए 7.5 या उससे अधिक होना है।

II. नवीकरण के लिए आवेदन के दिनांक पर छात्र को कोई बैकलॉक विषय नहीं होना है

III. बी.टेक अध्यादेश और विनियम द्वारा निर्धारित क्रेडिट के आवश्यक संख्या को छात्र को अर्जित करना है।

IV. अनुशासनिक समिति द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे सही करने का मापन कार्य के अनुशासनहीनता के किसी कार्य में छात्र न लगना है।

आर.28.0 बी.टेकउपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक योग्यताएँ

आर.28.1 बी.टेकउपाधिप्रदान करने के लिए छात्र को लायक तब घोषित किया जाएगा जब वह

a) पंजीकृत और सफलतापूर्वक सभी कोर कोर्स और परियोजना को पूरा किया हो;

b) करिकुलम में उल्लेखितानुसार निर्धारित अवधिके अंदर अपने स्ट्रीम के पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक पाये हो ;

c) विषयों के सभी संवर्ग में निर्धारित क्रेडिट का अर्जन ;

d) एनसीसी/एनएसओ/एसएसएस आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो ;

e) संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय, एनसीसी/एनएसएस/एसएसओ आदि के कुछ देय न हो और

f)उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई निलंबित न हो

छात्र जो विदेश के विश्व विद्यालय एनयूएस/डीएएडी के संदर्शनया किसी और विश्व

विद्यालय का संदर्शन परिवर्तन पाठ्यक्रम के तहत करते हैं क्रेडिट अंतरण के लिए

निम्नलिखित को अपनाया जाएगा:

ग्रेड शीट में इंकित क्रेडिट/ग्रेड का उपयोग जो उस विश्व विद्यालय से प्राप्त है जहाँ छात्र अपना पाठ्यक्रम किया है, छात्र द्वारा ट्रांस्किर्प्ट्स के अंश के रूप में करना चाहिए।

आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम ट्रांस्किर्प्ट्स केवल, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम में पूरा किये कोर्स, क्रेडिट और ग्रेड को दर्शाता है और उस विनिर्दिष्ट सेमेस्टर में अन्य विश्व विद्यालय में पाये गये (ग्रेड के बिना) क्रेडिट को दर्शाता है।

संस्थान में दिये गये क्रेडिट आधारित सीजीपीए संगणना के आधार पर ही पुरस्कार प्रदान करना है।

विदेश विश्व विद्यालयों पर पाये गये क्रेडिट को उपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट के लिए गणना की जाएगी।

आर.28.2 बी.टेक (हानर्स) पाठ्यक्रम

बी.टेक (हानर्स) पाठ्यक्रमकेलिएएकछात्रकोनिम्नलिखितनियमोंकीपूर्तिकरनेपरयोग्यघोषितकियाजाएगा।

a) 4वॉसेमेस्टरकेअंतमेंछात्रद्वाराहानर्सपाठ्यक्रमकाविकल्पदियाजानाचाहिए।

b) न्यूनतमसीजीपीए 9.0 होनाहै (पंजीकरणऔरप्रदानकरनेकीयोग्यता)

c) सभीकोर्सकोप्रथमबारलिखतेही 'एस' से 'डी' तककेग्रेडकेसाथसफलतापूर्वकपूराकियाहोनाहै.

d) डिसिप्लिनकोआर्डिनेटर (सहयोजक) द्वारापहचानेगयेविशिष्टीकरणसेसंबंधित 09 अतिरिक्तक्रेडिटकेलिएपंजीकरण.

उक्तशर्तोंमेंविफलहोनेवालेछात्रकोनियमितबी.टेकउपाधिप्रदानकियाजाएगा।

आर.28.3 उपाधि, अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट की सिफारिश और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होना है।

आर.29.0 संशोधन की शक्ति

आर.29.1 उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का हक अकादमी सलाहकार समिति/ सेनेट रखती है।

आर.30 ग्रीष्म कालीन कोर्स

आर.30.1 निदेशक/ उप निदेशक के अनुमोदन के साथ ग्रीष्म कालीन कोर्स प्रदान किया जा सकता है। कोई भी छात्र ग्रीष्म कालीन कोर्स में से दो से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं सकता है जिसमें ग्रीष्म के दौरान चलाये गये संपर्क कोर्स भी शामिल है।

आर.30.2 सत्रांत परीक्षाओं की शुरूआत के पहले समसंख्यक सेमेस्टर के अंत में ग्रीष्म कालीन कोर्स घोषित किया जाएगा । छात्र को सूचना में निर्धारित समय के अंदर निर्धारित शुल्क भरकर पंजीकृत करना है।

आर.30.3 नियमित सेमेस्टर कोर्स के समान ही ग्रीष्म कालीन कोर्स के संपर्कसामायिकअवधि की संख्या भी होगी। ग्रीष्म कालीन कोर्स की मूल्यांकन प्रक्रिया भी नियमित सेमेस्टर कोर्स के अनुरूप ही होगा।

आर.30.4 ग्रीष्म कालीन कोर्स सेपलटाव /वापसी अनुमेय नहीं है। सामान्यत: ग्रीष्म कालीन कोर्स के लिए कोई मेक-अप परीक्षाएँ**(देखें आर.20.0)** नहीं होगी।

आर.31 संपर्क कोर्स

आर.31.1 कोर कोर्स में 'यू' ग्रेड पाये अंतिम वर्ष के छात्र को ही वह नियमित सेमेस्टर के या ग्रीष्म कालीन के दौरान एक संपर्क कोर्स आयोजित किया जा सकता है। प्राध्यापक और छात्र के पारस्परिक स्वीकृति के साथ विभाग की सिफारिश पर ही यह कोर्स प्रदान किया जाएगा।

आर.31.2 नियमित सेमेस्टर या ग्रीष्म कालीन सेमेस्टर के दौरान चलाये जानेवाले संपर्क कोर्स में कोई भी छात्र दो से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं करना है। यदि छात्र 2 एसटीसी के पंजीकृत करता है तो उस ग्रीष्म में संपर्क कोर्स के लिए योग्य नहीं होंगे।

आर.31.3 यदि उसी विषय पर नियमित या ग्रीष्म में प्रदान किया जाता है तो संपर्क कोर्स उस अवधिके दौरान नहीं दिया जाएगा।

आर.31.4 ऐसे अंतिम वर्ष के छात्र को, जो संपर्क कोर्स लेना चाहता है, अकादमी कोर्स के डीन को सेमेस्टर/ ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के शुरूआत के पूर्व आवेदन देना है।

आर.31.5 संपर्क कोर्स के मूल्यांकन प्रक्रिया नियमित सेमेस्टर कोर्स के जैसे ही होगी।

आर.31.6 संपर्क कोर्स से पलटाव अनुमेय नहीं है।

अध्यादेश और विनियम

दोहरी उपाधि (बी.टेकऔर एम.टेक) / दोहरी उपाधि (बी.टेक (आनर्स) &एम.टेक कार्यक्रम

अध्यादेश

O.1 केंद्रीय सीट आबंटन बोर्ड (इसके बाद सीएसएबी)/संयुक्तसीटआवंटनप्राधिकरण ((इसकेबादजो.सा) द्वारा आईआईआईटीडी व एम (इसके बाद, संस्थान) में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक न्यनतम योग्यता 10+2 (क्लास XII) अंतिम परीक्षा या उसके समकक्ष में उत्तीर्ण होना

i. किसी भी मान्य केंद्रीय/राज्य सेकेण्डरी परीक्षा बोर्ड के, जैसे सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी शिक्षा, नई दिल्ली और काउण्सिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाएँ, नई दिल्ली की +2 स्तर की परीक्षाएँ 10+2 पैटर्न में।

ii. मान्य बोर्ड/ विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित इंटरमीडियट या दो वर्ष विश्व विद्यालय पूर्व परीक्षाएँ

iii. राष्ट्रीय डिफेन्स अकादमी के जाइंट सेवा विंग के दो वर्षीय अंतिम परीक्षाएँ ।

iv. भारत या विदेश में कोई पब्लिक स्कूल/बोर्ड/विश्व विद्यालय परीक्षाएँ जो भारतीय विश्व विद्यालय संघ द्वारा प्रायोजितपरीक्षाएँ 10+2 प्रणाली के समकक्ष माना गया हो।

v. हेच.एस.सी. व्यावसायिक परीक्षाएँ.

vi. नेशनल ओपन स्कूल द्वारा आयोजित सीनियर सेकेण्डरी स्कूल ग्रेड में पास बशर्ते न्यूनतम पांच विषय लिया हो।

vii. स्टेट बोर्ड आफ तकनीकी शिक्षण या एआईसीटीई द्वारा मान्य 3 या 4-वर्षीय डिप्लोमा ।

O.2 सीएसएबी/ जो.साकाउंसलिंग के दौरान लिये गये निर्णय के अनुसार विशिष्ट शाखा के अध्ययन में प्रवेश

O.3 दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक)/दोहरी उपाधि (बी.टेक (**आनर्स**) &एम.टेक) पाठ्यक्रमकी अवधिसामान्यत: 10 सेमेस्टर्स हैं।

O.4 दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक)/दोहरी उपाधि (बी.टेक (**आनर्स**) &एम.टेक) छात्रों को दिये जानेवाले मेरिट स्कालरशिप पुरस्कार, प्रथम 8 सेमेस्टर्स के लिए सेनेट द्वारा समय समय पर बनाये गये विनियम के अधीन होगा।

0.5 दोहरी उपाधि छात्रों के लिए **हाल्फटाइम टीचिंग एसिस्टंसशिप (हेचटीटीए)** पुरस्कार, IX और X सेमेस्टर्स के लिए संस्थान के सेनेट के विनियम के अनुरूप होगा।

O.6 छात्रों द्वारा दोहरी उपाधिपाठ्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्वक करने पर वे दोहरी उपाधिके लिए योग्य होंगे जो संस्थान के बी.टेकऔर एम.टेकके रूप में संदर्भित हैं।

0.7 समय समय पर सेनेट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन दोहरी उपाधिपाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर के अंत में दोहरी उपाधि [बी.टेक (**आनर्स**) &एम.टेक] के चतुर्थ सेमेस्टर के अंत में छात्र विकल्प दे सकते हैं।

O.8 संस्थान के सेनेट के विनियम के अनुरूप दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) और दोहरी उपाधि [बी.टेक (**आनर्स**) &एम.टेक] प्रदान किया जाएगा।

विनियम

आर.1.0 प्रवेश

आर.1.1 दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) पाठ्यक्रमके प्रत्येक विशिष्टीकरण क्षेत्र और शाखा में सीटों की संख्या, जिसे संस्थान द्वारा भरा जाता है, सेनेट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।

आर.1.2 किसी भी वर्ष दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) में प्रवेश जाइंट उस वर्ष के एन्ट्रंस परीक्षा (जेईई) मेइन और हेचएससी परीक्षा के, सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी शिक्षा (सीबीएसई) के मार्गदर्शन, सीएसएबी द्वारा आयोजित काउंसलिंग के आधार पर होगा।

आर.1.3 जेईई मैनमें परीक्षा देने के लिए योग्यता मानदंड, अध्यादेश O.1 के अनुरूप होगा।

आर.1.4 सामान्य संवर्ग के छात्रों के लिए जेईई मैनऔर मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया का निर्णय सीएसएबी/जो.सा करेगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछडे वर्ग के लिए और विकलांक व्यक्तियों के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार करेगा। प्रत्येक वर्ष समिति द्वारा निर्णय लिये गये अनुसार परीक्षाओं में न्यूनतम कार्यनिष्पादन मानदंड के क्रम में सीएसएबी/जो.सा मेरिट आधार पर, उम्मीदवार द्वारा मांगे गये शाखा विकल्प को और विभिन्न संस्थानों में विधाओं के लिए उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश का निर्णय करेगा।

आर.1.5 प्रवेश के समय, उम्मीदवार को योग्यता परीक्षा के किसी भी अंतिम परीक्षा लिखा होना या उत्तीर्ण होना चाहिए।

यदि कोई बोर्ड ग्रेड शीट में अंकों की प्रतिशतता न देकर केवल अक्षर ग्रेड प्रदान करता है तो उम्मीदवार को उस बार्ड से समतुल्य अंक का उल्लेख करते हुए पत्र लाना चाहिए और काउंसलिंग के समय समर्पित करना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा नहीं दिया गया तो उनकी योग्यता पर सीएसएबी/ संयुक्त कार्यान्वयन समिति/ संस्थान द्वारा लिये जानेवाले निर्णय अंतिम होगा।

आर.1.6 आवेदन पत्र के साथ दिये गये सूचना ब्राउचर में उल्लेखितानुसार प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सा मानकों की पूर्ति करनी है।

आर.1.7 प्रवेश पत्र में उउल्लेखितानुसार प्रवेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद चयनित उम्मीदवार कोदोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

आर.1.8 प्रवेश के बाद किसी भी समय यदि यह पाया गया है कि उम्मीदवार प्रवेश के समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते तो संस्थान प्रवेश को रद्द कर सकता है और इस मामले को सेनेट को रिपोर्ट कर सकता है।

आर.1.9 छात्र जिनके पास वैध गेट स्कोर है (ग्रेड्युयेट आप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) IX और X सेमेस्टर में हेचटीटीए (हाफटाइम टीचिंग एसिस्टण्टशिप) के लिए योग्य हैं। दोहरी उपाधिपाठ्यक्रमके अंतिम वर्ष के छात्र जिसके पास वैध गेट स्कोर नहीं है वे भी IX समेस्टर से हेचटीटीए के लिए हकदार है बशर्ते 10 के स्केल में उन्हें 8.0 या उससे अधिक सीजीपीए

रखना है या अजा/अजजा के लिए 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए हो। (मंत्रालय के पत्र से F.231/ 2002 TS. 1 दिनांक 11.03.2003)।

आर.1.10 दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) पाठ्यक्रममें प्रवेश पाये छात्र दोहरी उपाधि [बी.टेक (**आनर्स**) &एम.टेक] का विकल्प चौथा सेमेस्टर कं अंत में दे सकता है। छात्र के पास 8.5 या उससे अधिक सीजीपीए होना है और प्रथम बार की परीक्षा में ही सभी पाठ्यक्रम में निर्धारि कोर्स उत्तीर्ण हुआ होना है। बी.टेक (**आनर्स**) उपाधिके लिए उम्मीदवार जो किसी कोर्स में 'ई' या 'यू' या 'डब्ल्यू' ग्रेड पाया है तो योग्य नहीं है।

आर.2.0 दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक)/ दोहरी उपाधि [बी.टेक(आनर्स) &एम.टेक] पाठ्यक्रम की संरचना

आर.2.1 दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) पाठ्यक्रम के प्रत्येक शाखा में सेनेट द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम और कोर्स विषय वस्तु (सिलेबस/सिलबी)होगा।

आर.2.2 पाठ्यक्रमके निर्देश में निम्नलिखित होगा

I. एक सामान्य कोर पाठ्यक्रमजिसमें जैसे बी.टेकपाठ्यक्रम में बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग कला और गणित प्रथम 8 सेमेस्टर में होगा।

II. एक इंजीनियरिंग कोर पाठ्यक्रमजिसमें छात्र को इंजीनियरिंग के बुनियादी बातें उनके अपने विधा में प्रथम 8 सेमेस्टर में होगा।

III. एक वैकल्पिक पाठ्यक्रमजिससे छात्र को अपनी रुचि के अनुरूप ग्रूप आफ कोर्स ले सकते हैं और

IV.स्ट्रीम द्वारा अनुमोदित किये अनुसार IX और X सेमेस्टर में परियोजना।

इसके अलावा, छात्र को संतोषजनक रूप में निर्धारित एनएसओ/एसएसजी पाठ्यक्रमकी पूर्ति करनी है।

आर.2.3 *संपूर्ण पाठ्यक्रममें 7 संवर्ग होगा: मानविकी&प्रबंधन कोर्स, बुनियादी विज्ञान कोर्स, बुनियादी इंजीनियरिंग कोर्स, व्यावसायिक इंजीनियरिंग कोर्स, एलाइड इंजीनियरिंग कोर्स, व्यावसायिक/ कैरियर विकास औद्योगिक भाषण/ इंटेर्नशिप, अभिकल्प कोर्स और प्रतिवर्ष दो सेमेस्टर के साथ आठ सेमेस्टरों में व्याप्त है।*

आर.2.4 निम्नलिखित सामान्य पैटर्न पर कोर्स आधार पर क्रेडिट एसैन किया जाता है :प्रत्येक वक्तृताअवधि के लिए एक क्रेडिट; प्रत्येक टुटोरियल अवधिके लिए एक क्रेडिट ; प्रत्येक प्रयोगशाला या व्यावहारिक या तीन पीरियड की परियोजना सत्र के लिए दो क्रेडिट ।

आर.2.5. दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) पाठ्यक्रमके किसी भी शाखा के पाठ्यक्रम का अभिकल्प कुल लगभग 210 क्रेडिट लेने का है ताकि दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) पा सके। .

आर.2.6 पाठ्यक्रम में निर्धारितानुसार कोर्स के आधार पर कुल 29 क्रेडिट के, कोई भी सेमेस्टर में छ: से अिधक वक्तृताऔर चार प्रयोगशाला कोर्स नहीं होगा बशर्ते निम्निलिखित का अनुसरण करना होगा ।

पांचवे सेमेस्टर से छात्र अतिरिक्त कोर्स (बैकलाग) के लिए पंजीकृत कर सकते हैं।

फिर भी, विशेष मामलों में, VII वे सेमेस्टर के छात्रों को सात वक्तृता आधारित कोर्स लेने की अनुमति दी जा सकती है यदि उन्हें पहले ही पिछले समेस्टरों में सात कोर्स निर्धारित नहीं किया गया हो हालांकि :

a) सिफारिश की गयी 4 में से दो-तीन लेब स्लाट फ्री हो

b) किसी भी सेमेस्टर में अधिकतम क्रेडिट संख्या 29 न पार करता हो

c) विनियम 7.1 में दिये गये छूट के सिवा कोई भी पंजीकृत कोर्स से वापस लेने की अनुमति नहीं है

d) छात्र संकाय सलाहकार उसकी सिफारिश करता हो

e) सेमेस्टर में छात्र एक बैकलॉग कोर्स का पंजीकरण कर सकता है और VII समेस्टर से दो बैकलाक का पंजीकरण कर सकता है बशर्ते एक सेमेस्टर में अधिकतम 29 क्रेडिट हो।

आर.2.7 दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) पाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स टेबल 1 में पंद्रह संवर्ग में से किसी एक का होगा।

IndiaCode

फिर भी, VI या उससे उच्चतर सेमेस्टर के छात्र ही स्नातकोत्तर स्तर कोर्स के पंजीकरण के लिए हकदार हैं। फिर भी ऐसे कोर्सों में प्रवेश चाहनेवाले प्रत्येक छात्र कोर्स दे रहे प्राध्यापक से अनुमति लेना चाहिए।

सारणी 1

क्रं सं	संवर्ग	कोड
1.	मानविकी एवंप्रबंधन कोर्स	हेच एम सी
2.	बुनियादी विज्ञान कोर्स	बी एस सी
3.	बुनियादी इंजीनियरिंग कोर्स	बी ई सी
4.	व्यावसायिक इंजीनियरिंग कोर्स	पी ई सी
5.	एलाइड इंजीनियरिंग कोर्स	ए ई सी
6.	व्यावसायिक / केरीर विकास औद्योगिक भाषण/ इंटर्नशिप्स	पी सी डी
7.	अभिकल्पना कोर्स	डी ई सी

दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) पाने के लिए न्यूनतम 210 क्रेडिट पाना है जिसमें से 3-9 क्रेडिट जो उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण विकल्प के कोर्स कार्य का है, सीजीपीए की गणना के लिए नहीं ली जाएगी।

VI या उच्चतर सेमेस्टर के छात्र ही एम.टेक कोर्स में पंजीकृत कर सकते हैं । प्रत्येक छात्र जो ऐसे कोर्स के लिए पंजीकृत करना चाहते हैं आफर करनेवाले टीचर/प्राध्यापक (सीओटी) से अनुमति लेनी है।

आर.2.8 शिक्षा का माध्यम, परीक्षाएँ और परियोजनारिपोर्ट अंग्रेज़ी में होगी।

आर.2.9 उक्त दोहरी उपाधि (बी.टेकएवंएम.टेक) विनियमके अलावा -दोहरी उपाधि [बी.टेक(**आनर्स**) &एम.टेक] छात्रों को 12 अतिरिक्त पीएमटी क्रेडिट के लिए पंजीकृत करना अनिवार्य है। छात्र जो किसी भी कोर्स में 'ई' या 'यू' या 'डब्ल्यू' ग्रेड पाये हैं बी.टेक (**आनर्स**) उपाधिके लिए योग्य नहीं है।

आर.2.10दोहरी उपाधि [बी.टेक(**आनर्स**) एवंएम.टेक] छात्र एक सेमेस्टर में **आनर्स** पाठ्यक्रम से दोहरी उपाधि [बी.टेक(**आनर्स**) &एम.टेक] पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्सों के अलावा **अधिकतम 2 अतिरिक्त पीएमटी** के लिए पंजीकरण **5वें सेमेस्टर से** कर सकते हैं।

आर.3.0संकाय सलाहकार

आर.3.1 छात्रों को अपने अध्ययन कोर्स चुनने की सहयता और अकादमी पाठ्यक्रम पर सामान्य सलाह पाने के लिए, संबंधित विभाग कुछ छात्रों को संकाय सदस्य से जोडेगा जिन्हें संकाय सलाहकार कहा जाएगा ।

आर.4.0 कक्षासमिति

आर.4.1 दोहरी उपाधि (बी.टेक+एम.टेक) पाठ्यक्रमके प्रत्येक वर्ग में संकाय और छात्र समेत एक कक्षा समिति होगी।

आर 4.2 कक्षासमिति की संरचना निम्नप्रकार होगी :

(i) एक प्रोफसर – जो विशेष वर्ग के शिक्षण से संबंधित नहीं, को निदेशक/ अकादमी कोर्स के डीन द्वारा कक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाता है।

IndiaCode

(ii) प्रत्येक विषय के लिए कोर्स समन्वयक

(iii) संबंधित कक्षा से दो छात्र; और

(iv) संबंधित कक्षा के संकाय सलाहकार

आर.4.3कक्षा समिति के बुनियादी उत्तरदायित्व निम्नप्रकार है

a) कक्षा की प्रगति को आवधिक रूप में पुनरीक्षण करना

b) पाठ्यक्रम और विषय और कक्षा चलाने से संबंधित समस्याओं की परिचर्चा

c) कोर्स के मूल्यांकन के प्रकार कक्षा समिति द्वारा अध्यापक के साथ परामर्श करके किया जाएगा और सेमेस्टर की शुरूआत में ही उसे बता दिया जाएगा। फिर भी बी.टेकपाठ्यक्रमके प्रथम तीन सेमेस्टर में आम कोर्स के लिए मूल्यांकन पद्धति में दो प्रश्नमंच होगा और सत्रांत परीक्षाओं के साथ भारिताजैसे आर.17.1 में उल्लेखित है होगा। प्रत्येक वर्ग समिति अपनी सिफारिशों को विभागाध्यक्ष और अकादमी कोर्स के डीन के यहाँ सूचित करेंगे।

d) कक्षा समिति, बिना छात्र सदस्य के सेमेस्टर परिणाम के अंतिमरूप देने का भी उत्तरदायी है।

e) कक्षा समिति कम से कम वर्ष में दो बार मिलना है, एक बार सेमेस्टर के प्रारंभ में और दूसरा ग्रेड को अंतिमरूप देने के लिए सेमेस्टर के अंत में मिलना है । फिर भी यह क्विज ।। के बाद मिलने के लिए सिफारिश की जाती है।

IndiaCode

आर.5.0 शाखा परिवर्तन

आर.5.1एक विधा से दूसरी विधा में परिवर्तन की अनुमति निम्नप्रकार किया जा सकता है :

टाइप	से	तक	योग्यता मानदंड
शाखा परिवर्तन	डीडी – सीओई डीडी – ईडीएम डीडी– एमडीएम	डीडी– ईडीएम / एमडीएम डीडी – सीओई / एमडीएम डीडी – सीओई / ईडीएम	(i) 8.5 सीजीपीए (ii) बी.टेकपाठ्यक्रम के । वर्ष के अंत में (iii) आवेदन देने की तारीख में कोई बैकलॉक कोर्सस न हो (iv) संबंधित पाठ्यक्रमके मूल मंजूर संख्या में 10% (+-) से अधिक न होने तक परिवर्तन स्वीकरणीय है। नियमित प्रवेश और भारत सरकार के नियमके अनुरूप आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
विशिष्टीकरण स्थानांतरण	डीडी- उत्पाद अभिकल्प डीडी- एडवांस्ड उत्पादन डीडी- वीएलएसआई&ईएसडी	डीडी- एडवांस्ड उत्पादन. डीडी- उत्पादन अभकिल्प डीडी- एसपी&सीएसडी	(ii) II वर्ष दोहरी उपाधि के अंत में अन्य मानदंड उक्तानुसार

	डीडी-एसपी&सीए सडी	डीडी-सीएलएसआई &ईडीएस	

आर 5.2 रिक्तियाँ होने पर शाखा परविर्तन

आर.5.3 शाखा परिवर्तन में वर्तमान कक्षा संख्या में से 20 प्रतिशत से कम नहीं होना है और कुल मंजूर संख्या में से 20 प्रतिशत अधिक नहीं होना है। इसके लिए दोनों मामले में वर्ग में रहे छात्रों की कुल संख्या को लिया जा सकता है।

आर.5.4 शाखा परिवर्तन नियम समय समय पर बदलता है और सेनेट का निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

आर.5.5 अन्य समस्याओं के कारण यदि किसी छात्र को उच्चतर जीपीए रखते हुए भी विशिष्ट शाखा नहीं दी गयी है तो उसे उससे कम जीपीए रखनेवाले अन्य छात्र को भले ही वर्तमान नियमके आधार पर योग्य हो, नहीं देना है।

आर.6.0 पंजीकरण और नामांकन

आर.6.1 प्रथम सेमेस्टर को छोडकर पिछले सेमेस्टर के सत्रांत परीक्षाओं के एक सप्ताह पहले विनिर्दिष्ट सप्ताह के दौरान पंजीकरणकिया जाएगा। पंजीकरण के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख से दो सप्ताह तक समय समय पर निर्धारित जुर्माना देर पंजीकरण/नामांकन के लिए होगा।

आर.6.2 दूसरे सेमेस्टर से सभी छात्रों को निर्धारित दिनांक पर सेमेस्टर के आरंभ में नामांकित करना है। छात्र नामांकन के लिए तभी योग्य है जब आर 8.0 के अनुकूल है और संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय और पिछले सेमेस्टर के अंत तक के एनएसओ यूनिट के लिए कोई देयता नहीं हो बशर्ते संस्थान द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई पर नामांकन के लिएवंचित किया हुआ न हो।

आर.6.3 पंजीकरणशीट में कोर्स नम्बर, कोर्स नाम, क्रेडिट के नम्बर और सेमेस्टर में लिये गये प्रत्येक कोर्स के संवर्ग हैं। छात्र अपना संकाय सलाहकार के साथ परामर्श करके चयन करना है।

आर.6.4 दोहरी उपाधिछात्र भी पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्स के अलावा अतिरिक्त कोर्स लेने के लिए योग्य हैं यानी 5वाँ, 6ठा, 7वाँ और 8वाँ सेमेस्टर में एक कोर्स और 9वाँ और 10वाँ सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दो कोर्स, बशर्ते अधिकतम 15 क्रेडिटहो, और छात्र कोई बैकलॉग नहींरखता हो और पिछले सेमेस्टर में 7.0 या उससे अधिक सीजीपीए रखता हो । अतिरिक्त कोर्स लेनेवाले छात्र निदेशक/ अकादमी कोर्स के डीन के पूर्व अनुमोदन लेना है। इसे ग्रेड कार्ड में ईएक्सटी संवर्ग में दिखाया जाएगा और सीजीपीए गणना के लिए लिया जाएगा।

आर.6.5 (i-4) सेमेस्टर के कोर्स को छात्र सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ होना चाहिए ताकि क्रमश: कोर्स के लिए पंजीकृत किया जा सकता है उदाहरण के लिए दोहरी उपाधिपाठ्यक्रम के 5वाँ, 6ठा, 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ और 10वाँ सेमेस्टर के लिए छात्र को क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वाँ और 6ठा सेमेस्टर के सभी कोर्स को जैसे संबंधित शाखा के पाठ्यक्रम में निर्धारित हो, सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ होना चाहिए।

I. i+4 नियम के तहत सेमेस्टर के केवल बैकलॉग को पूरा करने के लिए पंजीकृत करना है तो किसी भी संवर्ग में उच्चतर सेमेस्टर के अतिरिक्त कोर्स के लिए पंजीकृत नहीं कर सकता/सकती है।

II. (आर 9.1 द्वारा) निर्धारित अधिकतम अनुमेय सीमा के संबंध में छात्र द्वारा बिताये गये सेमेस्टरों की संख्या की

गणना में केवल बैकलॉग को दूर करने के लिए उपयोग किये गये सेमेस्टर की गणना नहीं की जाएगी।

आर.7.0 पंजीकरणआवश्यकताएँ

आर.7.1 किसी सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम, अंतिम सेमेस्टर को छोडकर, सामान्यत: 21 और 29 के बीच क्रेडिट काहोगा।

किसी सेमेस्टर में यदि कोई छात्र महसूस करता है कि भारी है, या और कोई वैध कारण हो, वह सेमेस्टर के प्रारंभ होने का तीन सप्ताह के अंदर कोर्स को ड्राप कर सकता हैलेकिन प्रथम क्विज़ की शुरूआत के पहले अपने संकाय सलाहकार से लिखित रूप में अनुमोदन लेना है। फिर भी, छात्र को सुनिश्चित करना है कि किसी भी सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट की कुल संख्या उन्हें आर.8.1.

आर.8.0 पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ

आर.8.1 छात्र को प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 12 सफलतापूर्वकक्रेडिट पाना है, दूसरे सेमेस्टर के अंत में 28 सफलतापूर्वक क्रेडिट पाना है। उसके बाद प्रति सेमेस्टर में औसतन 15 क्रेडिट रखना है जिसमें प्रथम दो सेमेस्टर भी शामिल है। फिर भी अंतिम सेमेस्टर में छात्र 15 क्रेडिट से कम पा सकता है हालांकि वह उपाधिपाने के लिए आवश्यकता को पर्याप्त रखता हो। उक्तानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में यदि छात्रउपयुक्त क्रेडिट पाने से विफल होता है तो उस पाठ्यक्रम से बाहर हटा दिया जाएगा ।

आर.8.2 एनएसओ/एसएसजी की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रथम छ: सत्रों में यदि एक छात्र न करता है तो(देखें आर.27) उनको दोहरी उपाधिपाठ्यक्रमको जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है।

आर.8.3 छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सफलतापूर्वक समाप्त किये कोर्स के सीजीपीए की संगणना में न्यूनतम 5.0 (देखें आर.26.2) रखना है। यदि ऐसे संगणना किये गये सीजीपीए 5.0 से कम है या वह औसतन 22 क्रेडिट से कम अर्जित किया है तो अगले सेमेस्टर में भी यदि सीजीपीए 5.0 से कम हो या आर.8.1. के अनुसार औसतन 15 क्रेडिट न पाया गया है तो उसका नाम नामांकन से निकाल दिया जाएगा।

आर.9.0 पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि

आर.9.1 दोहरी उपाधिपाठ्यक्रम को छात्र द्वारा दस सेमेस्टर में पूरा करने की आशा की जाती है । फिर भी पाठ्यक्रम को धीमी गति से पूरा किया जा सकता है लेकिन किसी भी हालत में 14 सेमेस्टर से अधिक अवधि नहीं लेनी है जिसमें चिकित्सा ग्राउण्ड आदि पर छोडे गये सेमेस्टर आदि आर.10.1 के अनुसार शामिल नहीं है । फिर भी छात्र को आर.9.1 के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर में पूरा करना है जिसकी विफलता पर उसके पंजीकरणरद्द किया जाएगा ।

आर.10.0 पाठ्यक्रम को बीच में ही छोडना

आर.10.1निदेशक/ अकादमी कोर्स के डीन की अनुमति से पाठ्यक्रम को बीच में सेमेस्टर या उससे अधिक समय के लिए बीमारी या अन्य वैध कारणों के लिए छोडा जा सकता है। सामान्यत: किसी छात्र को **अधिकतम लगातार दो सेमेस्टर की अवधिके लिए ही पाठ्यक्रम को** बीच में छोडने की अनुमति दल जाएगी।

आर.11.0 अनुशासन

आर.11.1 प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैंपस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो ।

आर.11.2 छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य निदेशक/ उप निदेशक डीन के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और संस्थान की अनुशासन एवंकल्याणसमिति (डीडब्ल्यूसी) को रिपोर्ट किया जाएगा। समिति आरोपों पर पूछताछ करेगी और आरोपों सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी । अनुशासन और कल्याण समिति की सिफारिशों को निदेशक/उप निदेशक को भेजा जाएगा और निदेशक / उप निदेशक को उचित कार्रवाई लेने का प्राधिकार देगा। ट्रष्टि

आर.11.3 अपील : छात्र सेनेट में परिचर्चा के लिए निदेशक/ उपनिदेशक को अपील कर सकता है और सेनेट का निर्णय अंतिम होगा।

आर.11.4 किसी भी ट्रर्टि से **रेगिंग** क्रिमिनल है और हमारे देश और राज्य में नॉन-बेइलबिल अपराध है और केंद्रीय विधान में कारावास सहित सख्त दंड का प्रावधान है । यदि कोई छात्र रैगिंग करते हुए पकडा गया तो उन्हें संस्थान से बाहर भेज दिया जाएगा और किसी भी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अमानवीय कार्य में यदि कोई एक को इंकित किया न सका तो सामूहिक दंड के लिए भी प्रावधान है । संस्थान के प्रत्येक वरिष्ठ छात्र माता-पिता सहित प्रत्येक वर्ष लिखित रूप में यह आश्वासन देगा/देगी और एनरोलमेंट के समय पर समर्पित करेगा।

आर 12.0 उपस्थिति

आर.12.1 प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपस्थितिका विवरण दे देना है।

आर.12.2जो छात्र 85% तक की उपस्थितिनहीं रखता है, जो भी कारण हो, उन्हें उस कोर्स की सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा लिखने नहीं दिया जाएगा।

उसका पंजीकरणउस कोर्स के लिए रद्द माना जाएगा और उन्हें उस कोर्स में 'डब्ल्यू' ग्रेड दिया जाएगा । (डब्ल्यू का मतलब न्यूनतम उपस्थिति न होने के कारण पंजीकरणका रद्द होना) यह ग्रेड, ग्रेड कार्ड में तब तक दिखाया जाएगा जब तक वह सफलतापूर्वक पूरा न किया हो।

यदि कोर्स हार्ड कोर हो तो छात्र को पंजीकृत करना है और जब उस कोर्स को आफर किया जाता है पुन: करना है।

आर.12.3प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपस्थिति का विवरण दे देना है।

उन छात्रों के नाम को जो 85% से कम उपस्थिति रखे हैं वर्ग में अध्यापक स्वयं घोषित करेंगे। उनकी प्रतियाँ अकादमी कोर्स के डीन को और संबंधित विभागाध्यक्ष को भिजवाना है । छात्र जो 85% से कम उपस्थिति रखता है सेमेस्टर के अंतिम परीक्षा लिखने के लिए निदेशक/ अकादमी कोर्स के डीन की अनुमति के बिना अनुमति नहीं देनी है।

आर.12.4 **उपस्थिति को माफ करना :** अनुपस्थितिकी कमी को तब माफ किया जाएगा जब चिकित्सा छुट्टी से इतर अवधिमें 85% से अधिक उपस्थिति रखता हो तो बशर्ते कुल अनुपस्थिति कोर्स में **40%से कम न हो** जिसमें बीमारी की अवधिभी शामिल हो।

1. व्यक्तिगत कारणों और छोटी मोटी बीमारी के लिए ली गयी छुट्टियों में से 15% को छोडा जा सकता है।
2. अस्पताल में दाखिल होकर बडा / लंबी अवधिचिकित्सा लिये छात्रों के लिए संस्थान अतिरिक्त माफीपर विचार कर सकता है। ऐसे उम्मीदवार एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जिसे संस्थान के डॉक्टर पृष्ठांकित करना है और निदेशक/ उससे नामांकित व्यक्तिउस पर प्रति मामले के अनुसार, उपयुक्त निर्णय ले सकता है ।

आर.13.0 मूल्यांकन प्रक्रिया– जांच और परीक्षाएँ

आर.13.1 प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय में जांच और परीक्षाओं की प्रणाली पर समय समय पर सेनेट निर्णय लेगा।

आर.14.0 परीक्षण प्रणाली

आर.14.1 प्रति सेमेस्टर प्रत्येक कोर्स में कक्षा समिति द्वारा निर्णित रूप में प्रथम तीन सेमेस्टर और उच्चतर सेमेस्टर कोर्स के लिए यदि आम कोर्स हो तो वक्तृता /टुटोरियल आधारित विषय में **दोक्विज़ (परीक्षण) होगा।** इन क्विज़ के अंक के भारिताको कक्षा समितिऔर निदेशक/ अकादमी कोर्स डीन के परामर्श के साथ सेमेस्टर के प्रारंभ में ही छात्रों को बताना है।

आर.15.0 सेमेस्टर अंत परीक्षाएँ

आर.15.1 प्रत्येक भाषण आधारित विषय में एक सेमेस्टर अंत/ सत्रांत परीक्षा होगी।

आर.16.0 परियोजनामूल्यांकन

आर.16.1 परियोजना की पूर्ति के समय छात्र को परियोजना रिपोर्ट समर्पित करना है जिसे विधिवत नियुक्त परीक्षकों द्वारा जांच किया जाएगा।

रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकनकिया जाएगा और परियोजना पर एक मौखिक परीक्षा होगी।

आर.16.2 दोहरी उपाधिछात्रों की परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन जो अपना कोर्स कार्य पूरा न किया हो, उसी सेमेस्टर में किया जाएगा और अकादमी कोर्स के डीन को गोपनीय रूप में भिजवा दिया जाएगा। परियोजनाकार्य मूल्यांकनका परिणाम अकादमी कोर्स, डीन द्वारा उन छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक रूप में कोर्स की पूर्ति किये जाने पर ही घोषित किया जाएगा।

आर.17.0 भारिता

आर.17.1 प्रथम तीन सेमेस्टर के आम कोर्स के लिए: विभिन्न विषयों के लिए निम्नलिखितानुसार भारिताहोगी :

a) सेमेस्टरसमाप्ति पूर्व परीक्षाओं में **क्विज़** /परियोजनाएँ/ एसैन्मेंट और सत्रांत परीक्षाएँ होंगी। सेमेस्टर समाप्ति पूर्व परीक्षाओं का कुल अंक सत्रांत परीक्षाओं के कुल अंक से ज्यादा न होना है यानी सत्रांत परीक्षाओं का अंक 50% होना है।

b) प्रयोगशालाकोर्स में पैटर्न (a) तरह का अनुपालन किया जाए

बी.टेकपाठ्यक्रमके उच्चतर सेमेस्टर के सैद्धांतिक कोर्स के लिए **भारिता** सेशनल मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षाएँ दोनों के लिए 40% से कम नहीं होना चाहिए। उक्त अवरोध के अधीन कक्षा समिति स्वयं किसी भी कोर्स के लिए **भारिता** का निर्णय कर सकता है और सेमेस्टर के प्रारंभ से 2 सप्ताह के अंदर छात्रों को सूचित कर सकता है।

आर.17.2 सभी परीक्षण, टूटोरियल एसैन्मेंट (यदि कोई हो तो) प्रयोगशला काम और परीक्षाएँ अब्सलूट आधार पर होगा। आर.17.1 में दिये गये अनुसार प्रत्येक विषय के लिए अंतिम अंक प्रतिशतता की गणना की जाएगी।

आर.18.0 मेक-अपपरीक्षाएँ

आर.18.1 वैध कारणों से यदि कोई छात्र **क्विज़** या सत्रांत की परीक्षाएँ न दे पाता है तो वे मेक-अप परीक्षाओं के लिए योग्य हैं। एक ही मेक-अप परीक्षा उस सेमेस्टर के लिए अनुमेय है। छात्र जो **क्विज़** में भाग नहीं ले पाये हैं और उसी कोर्स में वैध कारणों के कारण जैसे बीमारी आदि सत्रांत परीक्षाएँ नहीं दे पाये हैं तो मेक-अप परीक्षाएँ केवल उस सत्रांत परीक्षाओं के लिए लिख सकते हैं। उन्हें एक आवेदन निदेशक/ अकादमी कोर्स डीन/ परीक्षा सेल को छूट गयी परीक्षा की तारीख से दस दिन के अंदर कारण बताते हुए देना है। इस निर्धारित समय के बाद आनेवाले आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आर.18.2 मेक-अप परीक्षाओं में बैठने की अनुमति असाधारण अवस्थाओं में जैसे बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती दी जाएगी।

- चिकित्सा आधार पर छुट्टी आवेदन देने पर, छात्रावास में रहनेवाले छात्रों को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है कि वह **क्विज़** / परीक्षाओं की अवधिपर अस्पताल में रहे थे।
- छात्रावास में रहनेवाले छात्र और बाह्य डाक्टरों से सलाह लेनेवालों को संस्थान अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से लिखित अनुमति **परामर्श के लिए जाने के पहले** लेना है।
- छात्रावास में रहनेवाले छात्र लेकिन बाह्य डाक्टरों से सलाह लेनेवालों को संस्थान अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा पाये प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन लेना है।
- कैंपस से स्थायी रूप से/ अस्थायी रूप से रह छात्र पंजीकृत चिकित्सा देनेवाले डाक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है जिसपर माता-पिता/अभिभावकों से पृष्ठांकित किया जाना है।
- चिकित्सा से संबंधित अन्य दस्तावेज (जैसे पिर्सक्रिप्शन, मेडिसन बिल आदि) चिकित्सा छुट्टी के प्रमाण में

आवेदन के साथ रखना है।

आर.18.3 एक मेक-अप परीक्षा सत्रांत परीक्षाओं के लगभग दो सप्ताह के बाद होगा उनमें जिन छात्रों को मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी गयी लिख सकते हैं।

उस विषय के मेक-अप परीक्षा लेनेवाले सभी छात्रों के लिए आम प्रश्न-पत्र ही दिया जाएगा ।

फिर भी प्रश्न पत्र का सांचा ऐसा होगा कि छात्रों द्वारा छूट गए परीक्षण/ परीक्षा के **भारिता** के आनुपातिक अंक के लिए ही आंशिक पेपेर ही लिखना होगा।

आर.18.4 एक छात्र जो इस मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाता उसे दूसरी बार मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति सामान्यत: नहीं दी जाती है।

फिर भी असाधारण ज्वर मामलों में जिससे छात्र मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाते हैं तो अकादमी कोर्स के डीन/ परीक्षा सेल सेनेट के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके छात्र को दूसरा मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी जा सकती है।

आर19.0 अनुपूरक परीक्षाएँ

निम्नलिखित विनियम के तहत छात्र जो किसी कोर्स में यू ग्रेड लिया है उसको अनुपूरक परीक्षाएँ लिखने की अनुमति दी जाती है।

1. विषम सेमेस्टर कोर्सों की अनुपूरक परीक्षाएँ समसंख्यक सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षाओं की समाप्ति पर आयोजित की जाएगी और इसी प्रकार समसंख्यक सेमेस्टर के लिए भी।
2. छात्रों को प्रति कोर्स आधार पर अनुपूरक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रति कोर्स के लिए रू500 के हिसाब से भरना होगा।
3. अनुपूरक परीक्षा (सप्लीमेंटरी परीक्षा) लिखनेवाले छात्रों का ग्रेड पूर्णत: अनुपूरक परीक्षा के कार्यनिष्पादन/अंकों के आधार पर ही होगा।

समय समय पर जारी करनेवाले परिपत्र के अनुसार छात्रों को अनुपूरक परीक्षाओं के लिए जो संस्थान द्वारा अनुसूचित होगी, रजिस्टर करना है ।

आर.20.0 छात्रों के विषय-वार ग्रेडिंग

आर.20.1 सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर, प्रत्येक छात्र को अंतिम अक्षर ग्रेड प्रत्येक विषय में दिया जाता है। अक्षर ग्रेड और उससे इंकित होनेवाले ग्रेड पाइंट्स का विवरण निम्नप्रकार है:

एस	10 ग्रेड पाइंट्स	
ए	9 ग्रेड पाइंट्स	
बी	8 ग्रेड पाइंट्स	
सी	7 ग्रेड पाइंट्स	
डी	6 ग्रेड पाइंट्स	
ई	4 ग्रेड पाइंट्स	
यू	0 ग्रेड पाइंट्स	अयोग्य / विफलता
डब्ल्यू	0 ग्रेड पाइंट्स	पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण विफलता

IndiaCode

आई	0 ग्रेड पाइंट्स	अपूर्ण (बाद में उत्तीर्ण घोषित (ई से एस) या यू ग्रेड उसी सेमेस्टर में)
एक्स	0 ग्रेड पाइंट्स	पूर्ण (एनएसओ/एनसीसी/एसएसएस में)
वाई	0 ग्रेड पाइंट्स	अपूर्ण (एनएसओ/एनसीसी/एसएसएस में)

आर.20.2 जब किसी छात्र यू/एफ या डब्ल्यू या आई के सिवा और कोई ग्रेड पाता है तो माना जाता है कि उस छात्र सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है । किसी विषय पर यू/एफ या डब्ल्यू है तो उसका मतलब उस विषय पर अनुत्तीर्ण है। सफलतापूर्वक पूरा किये गये विषय को पुन: नहीं लिख सकेंगे।

आर.21.0 ग्रेड प्रदान कराने की पद्धति

आर.21.1 सत्रांत सेमेस्टर परीक्षा के अंतिम दिन से सात दिनों के अंदर कक्षा समिति की अंतिम बैठक छात्र सदस्य के बिना बुलायी जाएगी।

छात्रों को विभिन्न विषयों के लिए दिये जानेवाले अक्षर ग्रेड का निर्णय लिया जाएगा।

आर.21.2 प्रत्येक विषय के लिए जिसमें अंतिम ग्रेड हो के परिणाम शीट दो प्रतियाँ औ उपस्थिति कोड शीट और निरपेक्ष अंक के दो प्रतियाँ, अंतिम ग्रेड और उपस्थिति कोड प्राध्यापक द्वारा संबंधित वर्ग समिति के अध्यक्ष को समर्पित किया जाना है। वर्ग समिति बैठक में ग्रेड के अंतिम निर्णय लेने के बाद एक प्रति निरपेक्ष अंक के साथऔर एक निरपेक्ष अंक के बिना केवल ग्रेड के साथ कक्षासमिति अध्यक्ष से निदेशक / अकादमी कोर्स के डीन को अग्रेषित किया जाएगा।

आर.22.0 परिणाम की घोषणा

आर.22.1 प्रत्येक विषय में छात्रों को प्रदान किये जानेवाले अक्षर ग्रेड विभागीय सूचना बोर्ड में आर.22.1 के क्रम में कक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप दिये जाने के बाद अक्षर-ग्रेड प्रत्येक कोर्स के लिए प्रदान किया जाता है जिसे अकादमी सेक्शन/ परीक्षा सेल सूचित करेगा।

आर.22.2 एक बार डब्ल्यू ग्रेड प्रदान किये जाने पर वह छात्रों के रिकार्ड में होगा और वह तभी निकाला जाएगा जब वह उस विषय पर बाद में सफलतापूर्वक पूरा करता/करती है बशर्ते कितनीवीं बार में पूरा किया है उसकी सूचना होगा ।

आर.22.3 छात्रों द्वारा पाये गये **'यू'** ग्रेड सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के आधार पर ग्रेड कार्ड से निकाल दिया जाएगा और कितनीवीं बार में पूरा किया विवरण भी लिका दिया जाएगा।

आर.23.0 उत्तर पुस्तिकाओं का पुन: जांच

आर.23.1 यदि कोई छात्र सोचता है कि वंचित हुआ है तो पुन: जांच के लिए वह संबंधित प्राध्यापक से संपर्क कर सकता/सकती है बशर्ते परिणाम घोषित कर अगले सेमेस्टर के प्रारंभ होने के तीन सप्ताह के अंदर होना है। सत्रांत परीक्षा के अपने अपने उत्तर **पुस्तिकाओं** को छात्र देख सकते हैं, संबंधित प्राध्यापक दिखाएँगे। यदि प्राध्यापक महसूस करते हैं कि मामला सही है तो उसके पुन: परीक्षण कर सकता है और यदि कोई बदलावहो तो परिवर्तित ग्रेड को अकादमी कोर्स के डीन/निदेशक को कक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा औचित्य सहित परिवर्तन के लिए अग्रेषित कर सकता है।

आर.23.2 परिणामघोषितकरनेकीतारीखसे 6 महीनोंतकहीउत्तरपुस्तिकाओंकासंरक्षणकियाजाएगा।उसअवधिकेबादउसेटुकडेटुकडेकरकेसंस्थानद्वारास्क्रॉपमेंडाल दियाजाएगा।

आर.24.0 कोर्स पुनरावृति

आर.24.1 किसी भी कोर विषय पर एक छात्र डब्ल्यू ग्रेड लेने पर अगली बार आफर करते समय अनिवार्य रूप से उस विषय

की पुनरावृत्ति करनी है। किसी भी वैकल्पिक विषय में छात्र डब्ल्यू और कोर कोर्स में यू लेता है तो छात्र को सफलतापूर्वक ग्रेड प्राप्त करने के लिए उसकी पुनरावृत्तिकरने का विकल्प है। सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के लिए पुनरावृत्ति नहीं है।

आर.25.0 ग्रेड कार्ड

आर.25.1 प्रत्येक छात्र को सत्रांत में जारी किये जानेवाले ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित होगा :

च. उस सेमेस्टर के लिए पंजीकृत प्रत्येक कोर्स के लिए क्रेडिट

छ. प्रत्येक कोर्स में पाये अक्षर ग्रेड

ज. प्रत्यके कोर्स के उपस्थितिकोड

झ. प्रत्येक कोर्स संवर्ग के सेमेस्टर के अंत तक छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट की कुल संख्या

ञ. सभी कोर्स के प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक, क्युमुलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए)

आर.25.2 ग्रेड पाइंट एवरेज (जीपीए) निम्निखित सूत्र द्वारा संगणित किया जाएगा

$$GPA = \frac{\sum_i (C_i x GP)}{\sum_i C_i}$$

जहाँ C_i = कोर्स के क्रेडिट, जीपी= कोर्स के लिए प्राप्त ग्रेड पाइंट और $\Sigma_i C_i$ = उस सेमेस्टर में लिये गये ओवरआल कोर्स में क्रेडिट के कुल, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल है।

इसी प्रकार के फार्मुला क्युमिलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए) के लिए भी अपनाया जाता है जिसमें Σ iCi उस अवधितक के सभी पूरे किये गये सेमेस्टर के ओवरआल कोर्स के क्रेडिट के कुल दर्शाया जाएगा, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल होगा।

आर.25.3 दोहरी उपाधिपाठ्यक्रम के अंत में छात्र को कोई श्रेणी / डिविज़न / रैंक प्रदान नहीं किया जाएगा।.

आर.26.0 एनएसओ/एसएसजी की आवश्यकताएँ

आर.26.1 दोहरी उपाधिपाठ्यक्रम में प्रवेश पाये सभी छात्र को पाठेयतर पाठ्यक्रम के रूप में एसएसजी या एनएसओ लेना ही है।

आर.26.2 जिमखाना द्वारा घोषितानुसार एनएसओ/एसएसजी पाठ्यक्रमसंपन्न होगा।

आर.26.3 प्रथम दो सत्रों के अंदर एनएसओ/एसएसजी की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

आर.26.4 न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकताएँ 85% है।

आर.26.5 यदि किसी छात्र को उपस्थिति आवश्यकताएँ कम हैं तो निम्नप्रकार उस कमी को दूर करना है:

(i) यदि अनुपस्थिति वैध आधार पर हैतो कमी को उसी वर्ष अप्रैल के दौरान प्रदान किये जानेवाले अतिरिक्त एनएसओ/ एसएसजी पाठ्यक्रम द्वारा दूर करना है।

(ii) एनएसओ/ एसएसजी वर्ग की कमी को छूट गये प्रत्येक वर्ग के बदले में दो कक्षाकी दर से भाग लेना है।

आर.27.0 छात्रवृत्ति और शिक्षा शुल्क छूट

आर.27.1प्रवेश पाये छात्रों में से 25% या कुल मंजूर की संख्या में से 25%, जो भी कम हो, को बी.टेक छात्रों के जैसे ही मेरिट

IndiaCode

व मीन्स (एमसीएम) **छात्रवृत्ति** शर्तों और स्थितियों के अधीन समय समय पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर 8 सेमेस्टर तक प्रदान किया जाएगा। इन छात्रों को शिक्षा शुल्क भरने से छूट दी हाती है। इसके अलावा 10% के छात्र जो प्रवेश पाये हैं या कुल मंजूर संख्या के 10% , जो भी कम हो, पाठ्यक्रम के 8 सेमेस्टरों के लिए शिक्षा शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि छात्रवृत्ति प्राइवेट संगठन द्वारा दिया जाता है तो दर और शर्तों और स्थितियाँ जो ऐसी छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए है, सेनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमानुसार अजा/अजजा उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य लाभा प्रदान किया जाएगा ।

वर्तमान सरकारी विनियम के साथ, यदि कोई हो तो, **छात्रवृत्ति** प्रदान करने के लिए छात्रों के चयन के लिए निदेशक/ अकादमी कोर्स के डीन प्रशासनिक प्रक्रियाओं की तैयारी करेगे। संख्या और चयन किये गये छात्रों का विवरण सेनेट के यहाँ दिया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों के नवीकरण निम्नलिखित नियमानुसार होगा:

I. नवीकरण के पहले के दो सेमेस्टर के न्यूनतम सीजीपीए 7.5 होना है।

II. नवीकरण के लिए आवेदन के दिनांक पर छात्र को कोई बैकलॉग विषय नहीं होना है

III. दोहरी उपाधिअध्यादेश और विनियम द्वारा निर्धारित क्रेडिट के आवश्यक संख्या को छात्र को अर्जित करना है।

IV. अनुशासनिक समिति द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे सही करने का मापन कार्य के अनुशासनहीनता के किसी कार्य में छात्र न लगना है।

आर.27.2ऐसे दोहरी उपाधिछात्र जो वैध गेट स्कोर रखा है या सीजीपीए में 8.0 या उससे अधिक 8वीं सेमेस्टर में रखा है, (अजा/अजजा के लिए 7.5 या उससे अधिक) को 12 महीनों के लिए हेचटीटीए प्रदान किया जाएगा जैसे नियमित एम.टेक पाठ्यक्रम के लिए लागू होगा।

वर्तमान सरकारी विनियम के क्रम में कोई हो तो, के साथ निदेशक/ अकादमी कोर्स डीन, प्रशासनिक कार्यवाही का निर्माण करेगा जिसे **छात्रवृति** / हेचटीटीए के पुरस्कार के लिए छात्र चयन करते समय अपनाना है। चयनित संख्या और नाम को सेनेट के यहॉ रिपोर्ट करना है।

आर.27.3 छुट्टी नियम :

पांचवें वर्ष में ये छात्र 30 दिनों की छुट्टी के लिए योग्यतारखते हैं जिसे प्रति सेमेस्टर 15 दिन के हिसाब से दिया जाएगा और IX सेमेस्टर से X सेमेस्टर को कैरी ओवर किया जा सकता है। छुट्टी के पूर्व एवं बाद की सामान्य छुट्टियों को जोडने का प्रावधान है पर बीच की सामान्य छुट्टी को भी छुट्टी से काटा जाएगा। सभी दोहरी उपाधिछात्र जिन्हें हेचटीटीए दिया गया है, जब कभी कक्षा में/परियोजना कार्य में उपस्थित होने में असमर्थ हैं विभागाध्यक्ष/ स्ट्रीम समन्वयक के यहॉ कारण सहित छुट्टी के लिए आवेदन देना है। अपने खाते में छुट्टी होते हुए भी यदि वह अप्राधिकृत छुट्टी है तो अनुपस्थिति के समय हेचटीटीए के लिए हकदार नहीं होंगे।

आर.28.0 बी.टेक और एम.टेकदोहरी उपाधि के पुरस्कार के लिए योग्यता

आर.28.1 बी.टेक और एम.टेकउपाधिके लिए छात्र को योग्य घोषित किया जाएगा जब

a) सभी कोर कोर्स और परियोजनाको सफलतापूर्वक समाप्त किया हो और पंजीकृत हो;

b) उसके अध्ययन के शाखा के अनुसार पाठ्यक्रम में निर्धारितानुसार न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित निर्धारित समय में किया हो;

c) विषयों के सभी संवर्ग में निर्धारित क्रेडिट अर्जित किया हो;

d) एनएसओ/एसएसजी आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो ;

e) संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय, एनएसओ/एसएसजी आदि के कुछ देय न हो

IndiaCode

और

f) उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई निलंबित न हो

छात्र जो विदेश के विश्व विद्यालय के संदर्शन परिवर्तन पाठ्यक्रम के तहत करते हैं क्रेडिट अंतरण के लिए निम्नलिखित को अपनाया जाएगा:

ग्रेड शीट में इंकित क्रेडिट/ग्रेड का उपयोग जो उस विश्व विद्यालय से प्राप्त है जहाँ छात्र अपना पाठ्यक्रम किया है, छात्र द्वारा ट्रांस्किर्प्ट्स के अंश के रूप में करना चाहिए।

आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम ट्रांस्किर्प्ट्स केवल, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम में पूरा किये कोर्स, क्रेडिट और ग्रेड को दर्शाता है और उस विनिर्दिष्ट सेमेस्टर में अन्य विश्व विद्यालय में पाये गये (ग्रेड के बिना) क्रेडिट को दर्शाता है।

संस्थान में दिये गये क्रेडिट आधारित सीजीपीए संगणना के आधार पर ही पुरस्कार प्रदान करना है।

विदेश विश्व विद्यालयों पर पाये गये क्रेडिट को उपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट के लिए गणना की जाएगी।

आर.28.2 उपाधि, सेनेट की सिफारिश और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होना है।

आर.29.0 दोहरी उपाधिबी.टेक(आनर्स)&एम.टेक] डिग्री प्रदान करने की योग्यता

आर.29.1.28.0 के तहत निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त दोहरी उपाधि [बी.टेक(**आनर्स**) &एम.टेक] पाठ्यक्रमकेलिएएकछात्रकोनिम्नलिखितनियमोंकीपूर्तिकरनेपरयोग्यघोषितकियाजाएगा नहीं तो उन्हें केवल दोहरी उपाधि (बी.टेक&एम.टेक) डिग्री प्रदान किया जाएगा। .

a) 4वॉसेमेस्टरकेअंतमेंछात्रद्वाराहानर्सपाठ्यक्रमकाविकल्पदियाजानाचाहिए।

b) न्यूनतमसीजीपीए 9.0 होनाहै (पंजीकरणऔरप्रदानकरनेकीयोग्यता)

c) सभीकोर्सकोप्रथमबारलिखतेही 'एस' से 'डी' तककेग्रेडकेसाथसफलतापूर्वकपूराकियाहोनाहै.

d) डिसिप्लिनकोआर्डिनेटर (सहयोजक) द्वारापहचानेगयेविशिष्टीकरणसेसंबंधित 09 अतिरिक्तक्रेडिटकेलिएपंजीकरण.

आर.29.2छात्रों द्वारा पाये गये अतिरिक्त क्रेडिट पुरस्कार और अवार्ड के लिए गणना की जाएगी।

आर.29.3संस्थान के सेनेट और बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा सिफारिश करने पर ही दोहरी उपाधि [बी.टेक(**आनर्स**) &एम.टेक] प्रदान किया जा सकता है।

आर.30.0 ग्रीष्म कालीन कोर्स

आर.30.1 निदेशक/ उप निदेशक के अनुमोदन के साथ ग्रीष्म कालीन कोर्स प्रदान किया जा सकता है। कोई भी छात्र ग्रीष्म कालीन कोर्स में से दो से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं सकता है जिसमें ग्रीष्म के दौरान चलाये गये संपर्ककोर्स भी शामिल है।

आर.30.2 सत्रांत परीक्षाओं की शुरूआत के पहले समसंख्यक सेमेस्टर के अंत में ग्रीष्म कालीन कोर्स घोषित किया जाएगा । छात्र को सूचना में निर्धारित समय के अंदर निर्धारित शुल्क भरकर पंजीकृत करना है।

आर.30.3 नियमित सेमेस्टर कोर्स के समान ही ग्रीष्म कालीन कोर्स के संपर्कअवधि की संख्या भी होगी। ग्रीष्म कालीन कोर्स की मूल्यांकन प्रक्रिया भी नियमित सेमेस्टर कोर्स के अनुरूप ही होगा।

आर.30.4 ग्रीष्म कालीन कोर्स से वापसीअनुमेय नहीं है। सामान्यत: ग्रीष्म कालीन कोर्स के लिएकोई मेक-अप परीक्षाएँ**(देखें आर.18.0)** नहीं होगी।

आर.31.0 संपर्क कोर्स

आर.31.1 कोर कोर्स में 'यू' ग्रेड पाये अंतिम वर्ष के छात्र को ही वह नियमित सेमेस्टर के या ग्रीष्म कालीन के दौरान एक संपर्क कोर्स आयोजित किया जा सकता है। प्राध्यापक और छात्र के पारस्परिक स्वीकृति के साथ विभाग की सिफारिश पर ही यह कोर्स प्रदान किया जाएगा।

आर.31.2 नियमित सेमेस्टर या ग्रीष्म कालीन सेमेस्टर के दौरान चलाये जानेवाले संपर्क कोर्स में कोई भी छात्र दो से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं करना है। यदि छात्र 2 एसटीसी के पंजीकृत करता है तो उस ग्रीष्म में संपर्क कोर्स के लिए योग्य नहीं होंगे।

आर.31.3 यदि उसी विषय पर नियमित या ग्रीष्म में प्रदान किया जाता है तो संपर्क कोर्स उस अवधिके दौरान नहीं दिया जाएगा।

आर.31.4 ऐसे अंतिम वर्ष के छात्र को, जो संपर्क कोर्स लेना चाहता है, अकादमी कोर्स के डीन को सेमेस्टर/ ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के शुरूआत के पूर्व आवेदन देना है।

आर.31.5 संपर्क कोर्स के मूल्यांकन प्रक्रिया नियमित सेमेस्टर कोर्स के जैसे ही होगी।

आर.31.6 संपर्क कोर्स से वापसीअनुमेय नहीं है।

आर.32.0 संशोधन की शक्ति

आर.32.1 उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का हक सेनेट रखती है।

IndiaCode

अध्यादेश और विनियम

एम.डेस.कार्यक्रम

अध्यादेश

O.1 इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी में स्नातक उपाधिके लिए योग्य उममीदवार या एआईसीटीई/ यूजीसी/ सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधिऔर वैधिक गेट स्कोर (इंजीनियरिंग में स्नातक आप्टीट्यूड परीक्षण) में समय समय पर सेनेट द्वारा नियत न्यूनतम अंक पाये उम्मीदवार एम.डेस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन देने के लिए योग्य हैं ।आईआईटी/आईआईआईटी/एनआईटी के सामान्य स्नातक जिनके पास 10 के लिए 8 सीजीपीए है और अजा/अजजा के लिए 10 के लिए 7.5 सीजीपीए रखे हैं बिना गेट स्कोर के प्रवेश पाने के लिए योग्य हैं।

O.2 वैधिक गेट स्कोर के साथ व्यावसायिक निकाय के एसोसियेट सदस्यता रखनेवालों के लिए उनके अपने पैतृक विधा में निम्नलिखित में प्रवेश पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं - (i) दि इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) (एएमआईई) (ii) दि इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मेटल्स (एएमआईएम) (iii) दि इंस्टिट्यूशन आफइलक्ट्रानिक्स एण्ड टेली-कंयूनिकेशन इंजीनियरिंग (एएमआईईटीई)

O.3 उद्योग/ सरकारी संगठन/ डीएसटी द्वारा मान्य अनुसंधान और अभिकल्पना कार्य में लगे निजि और सार्वजनिक एन्टरप्राइस द्वारा प्रायोजित और में काम करनेवाले/ एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्य इंजीनियरिंग कालेज के उम्मीदवार जिसके पास आवेदन देने के अंतिम तारीख पर कम से कम दो वर्ष के व्यावसायिक अनुभव हैं, आईआईआईटीडी व एम को आवेदन दे सकते हैं, बशेर्ते उनके पास :

i. एआईसीटीई/यूजीसी मान्य इंजीनियरिंग कालेजों/विश्व विद्यालयों से प्राप्त प्रथम श्रेणी के या सभी चार वर्ष के 60 प्रतिशत के एग्रिगेट अंक सहित के बीई/बीटेक हो या

ii. वैधिक गेट स्कोर के साथ एएमआईई और अन्य एसोसियेट मेम्बरशिप (जो ऊपर बताया गया है) हो

O.4 समय समय पर और प्रत्येक वर्ष संस्थान के सेनेट द्वारा अनुमोदित एम.डेस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए सटीक पात्रता मानदंड संस्थान द्वारा घोषितकिया जाता है ।

O.5 एम.डेस पाठ्यक्रम के सामान्य अवधि, परियोजना सहित चार समेस्टर की होगी। विनियम में निर्धारितानुसार उद्योग और अन्य अनुमोदित संगठनों में परियोजना कार्य करने की अनुमति है।

O.6 संस्थान के सेनेट के विनियम के अनुरुप एम.डेस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये छात्रों को आधा-समय प्रशिक्षण सहायता पुरस्कार (हेचटीटीए – हाफ टाइम टीचिंग एसिस्टण्टशिप पुरस्कार) दिया जा सकता है ।

O.7 संस्थान के सेनेट के विनियम के अनुरुप एम.डेस उपाधि दी जाएगी।

विनियम

आर.1.0. प्रवेश

आर.1.1. उम्मीदवार जिनके पास वैध गेट (इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट) अंक है एम.डेस पाठ्यक्रम में हेचटीटीए संस्थान के पूर्ण कालीन विद्वान के रूप में प्रवेश पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं ।

आर.1.2 स्तर सुधार पाठ्यक्रम या अन्य उसी तरह के पाठ्यक्रम के तहत प्रायोजित उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं ।

आर.1.3 उद्योग, संस्थापित संस्थान/ अनुसंधान व अिभकल्प संगठन/ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं ।

आर.1.4 विदेशी जिनका आवेदन भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदद्वारा प्राप्त होता है, उनका आवेदन प्राप्त किया जाएगा। विदेशी, स्व-वित्त योजना के तहत योग्य हैं जिसके लिए आवेदन उनके अपने राजदूतवास से प्राप्त होना है ।

आर.1.5 संस्थान द्वारा एम.डेस प्रवेश की सूचना की जाएगी और उक्त आर.1.1, आर.1.2 और आर.1.3 संवर्ग में उल्लेखित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में उल्लेखित अंतिम तारीख या उसके पहले आवेदन देना हैा

आर.1.6 हेचटीटीए के साथ पूर्णकालीन छात्रों के रूप में या प्रायोजित के रूप में या आर.1.1, आर1.2 और आर.1.3 के तहत उल्लेखित अन्य उम्मीदवार के प्रवेश निर्णय पात्रता मानदंड के अनुरूप जिसमें प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम गेट अंक भी शामिल है, सेनेट द्वारा किया जाएगा।

आर.1.7 संस्थान के सेनेट विभिन्न विधाओं/विशिष्टताओं / विभागों/ केंद्रों के सीटों की संख्या का निर्णय करेंगे। भारत सरकार के नियमानुसार अजा, अजजा, अपिव और विकलांग/अन्यथा सक्षम उम्मीदवारों को सीटों में आरक्षण किया जाता है। फिर भी, उनके पास वैध गेट स्कोर होना है और उनको सेनेट की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हैं ।

आर.1.8 सेनेट द्वारा बनाये गये मानदंड के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के प्रचालनिक पहलुओं पर अध्यक्ष, सेनेट द्वारा संगठित स्नातकोत्तर प्रवेश समिति निर्णय करेगी। सेनेट, फिर भी, सेना/नौ सेना/ वायु सेना/ डीआरडीओ में सेवारत अधिकारियों के मामले में चयन केंद्रीय चयन समिति द्वारा होगी जिसमें संस्थन के संकाय उस समिति के सदस्य होंगे ।

आर.1.9 प्रवेश के बाद की रिक्तियों को भरने के लिए सेनेट के अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जाएगा और कार्योत्तर अनुमोदन के लिए रिपोर्ट किया जाएगा ।

आर.1.10 उम्मीदवार चयन संबंधी सभी मामलों में, सेनेट के अध्यक्ष का, या उसके द्वारा नामित यानी अध्यक्ष, स्नोतकोत्तर प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम है ।

आर 1.11 एम.डेस प्रवेश के लिए आवेदन के साथ दिये गये सूचना ब्राउचर की शर्तों के अलावा, चयनित उम्मीदवार को प्रवेश पाने के लिए दिये जानेवाले पत्र में सूचित अन्य प्रवेश आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है । फिर भी, किसी भी समय, डीन, अकादमी पाठ्यक्रम/ निदेशक की दृष्टि में उम्मीदवार की आवश्यकताओं में कोई कमी पायी गयी हे तो उस पाठ्यक्रम से उस उम्मीदवार को निकालने का हक डीन/निदेशक रखते हैं।

आर 1.12. संस्थानभीएम.डेस कार्यक्रमकेलिएकेंद्रीकृतपरामर्शप्रक्रियामेंछात्रोंकेप्रवेशकेलिएभागलेंगी

आर.2.0 एम.डेस पाठ्यक्रम की संरचना

आर.2.1 विशिष्टीकरण के प्रत्येक स्ट्रीम के लिए पाठ्यक्रम निर्देश में निम्नलिखित विषय होंगे :

i. प्रमुख कोर्स/कोर कोर्स (अनिवार्य)

ii. वैकल्पिक कोर्स

iii. परियोजना कार्य

पाठ्यक्रम के दौरान औद्योगिक / व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना है और एक या एक से अधिक संगोष्ठी छात्र को आयोजित करना है ।

आर 2.2 पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि चार समेस्टर का होगा। प्रत्येक सत्र में प्रत्येक विशिष्टीकरण के लिए सेनेट द्वारा उल्लेखितानुसार परियोजना कार्य और/या कोर्स कार्य करना होगा । प्रत्येक सप्ताह में लगभग 32 घंटे सामान्यत: संपर्क घंटे होंगे।

आर.2.3. सेनेट द्वारा अनुमोदित प्रत्येक पाठ्यक्रम के विशिष्टीकरण के प्रत्येक स्ट्रीम में करिकुलम और सिलबी होगा । पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना है कि एम.डेस पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ति करने के लिए क्रेडिट की न्यूनतम संख्या 60 और 64 से अधिक न होना है ।

आर.2.4 निम्नलिखित सामान्य पैटर्न पर आधार पर पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा ।

(a) प्रत्येक वक़्तृता अवधिके लिए एक क्रेडिट

(b) प्रत्येक ट्यूटोरियल अवधि के लिए एक क्रेडिट

(c) तीन पीरियड के व्यावहारिक सत्र या प्रत्येक प्रयोगशाला सत्र के लिए दो क्रेडिट किया जाएगा।

(d) सेनेट द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम में उल्लेखितानुसार संगोष्ठी/ परियोजना कार्य और औद्योगिक/ व्यावहारिक प्रशिक्षक के लिए क्रेडिट दिया जाएगा ।

आर.2.5 एक छात्र को सभी मुख्य उसका / उसकी विशेषज्ञता के चयनित क्षेत्र के पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्टर और सफलतापूर्वक उन सभी को पूरा करना होगा। फिर भी विभागीय परामर्श समिति छात्र को किसी कोर कोर्स के पंजीकरण न करने के लिए अनुमति दे सकता है और स्नातक में सफलतापूर्वक समाप्त किये विषय के आधार पर कोई और कोर्स दे सकता है। इसे अकादमिक पाठ्यक्रमों के डीन / निदेशक को सूचित करना और उनसे अनुमोदन प्राप्त करना है ।

आर.2.6 अनुमोदित कोर्स सूची में से उस विशिष्ट सेमेस्टर में विभाग द्वारा दिये जानेवाले कोर्स में से विकल्पचुनना है ।

फिर भी, लगभग सभी विभाग, विभाग द्वारा दी गयी सूची से इतर वैकल्पिक विषय लेने के लिए अनुमति देती है हालांकि विशिष्टीकरण और विषय से संबंधित हो ओर संकाय सलाहकार के अनुमोदन प्राप्त हो। (संकाय सलाह के लिए नीचे देखें)

आर 2.7 कुछ विशिष्टीकरण में छात्रों को अधिक से अधिक दो बी.टेक कोर्स के लिए पंजीकरण की अनुमति दी जाती है । संबंधित विभाग ऐसे कोर्सों को पहचानेगा और सेनेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा ।

आर.2.8 निर्देश का माध्यम/ पढाई का माध्यम, परीक्षा, संगोष्ठी और परियोजना रिपोर्ट आदि अंग्रेज़ी में होगी ।

आर.3.0 संकाय सलाहकर

आर.3.1 छात्रों को अपने अध्ययन कोर्स चुनने की सहयता और अकादमी पाठ्यक्रम पर सामान्य सलाह पाने के लिए, संबंधित विभाग कुछ छात्रों को संकाय सदस्य से जोडेगा जिन्हें संकाय सलाहकार कहा जाएगा ।

IndiaCode

आर.4.0 कक्षासमिति

आर.4.1 एम.डेस के I और II सेमेस्टर के लिए शाखावार कक्षा समिति का गठन विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखितानुसार किया जाएगा :

i. सभी विषय के लिए जिसमें कम से कम पांच पंजीकरण हो, कोर्स टीचर / समन्वयक (जिसे आर.4.2 के तहत कवर नहीं किया गया है);

ii. एक प्रोफसर यथा संभव जो क्लास के लिए अध्यक्ष के रूप में कोर्स आफर नहीं करता हो और

iii. चार छात्र सदस्य या कक्षा संख्या में से 20% जो भी कम हो

iv. संकाय सलाहकार– पदेन सदस्य

आर.4.2 एम.डेस के I और II गणित और मानवीकी कोर्स के लिए कॉमन क्लास समिति का भी गठन किया जाएगा बशर्ते यदि इन दो विभागों द्वारा यह कोर्स सभी इंजीनियरिंग विभागों के लिए खोलता हो। गणित/ मानवीकी विभाग के प्रधान द्वारा इन समितियों का गठन निम्नप्रकार होगा :

i. सभी विषयों के कोर्स टीचर

ii. एक प्रोफसर यथा संभव जो क्लास के लिए अध्यक्ष के रूप में कोर्स आफर नहीं करता हो और

iii. चार छात्र सदस्य

आर.4.3 कक्षा समिति के बुनियादी उत्तरदायित्व निम्नप्रकार है :

(a) वर्ग संबंधित, छात्रों द्वारा सामाना किये जानेवाले मामलों की प्रगति का आवधिक पुनरीक्षण

(b) कोर्स के मूल्यांकन के प्रकार कक्षा समिति द्वारा अध्यापक के साथ परामर्श करके किया जाएगा और सेमेस्टर की शुरूआत में ही उसे बता दिया जाएगा।

(c) प्रत्येक कक्षा समिति अपनी सिफारिशों को विभागाध्यक्ष और अकादमी कोर्स के डीन के यहाँ सूचित करेंगे।

(d) कक्षा समिति, बिना छात्र सदस्य के सेमेस्टर परिणाम के अंतिमरूप देने का भी उत्तरदायी है।

आर 4.4 कक्षा समिति कम से कम वर्ष में दो बार मिलना है, एक बार सेमेस्टर के प्रारंभ में और दूसरा ग्रेड को अंतिमरूप देने के लिए सेमेस्टर के अंत में मिलना है ।

आर.5.0 शाखा में परिवर्तन

एम.डेस पाठ्यक्रम में एक बार प्रवेश पाने पर शाखा परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

आर.6.0 पंजीकरण की आवश्यकता

एम.डेस छात्र पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्स के अलावा यानी तृतीय सेमेस्टर में एक और चौथा सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दो अतिरिक्त कोर्स , एक अतिरिक्त कोर्स ले सकते हैं हालांकि अधिकतम 9 क्रेडिट हो और छात्र कोई बैकलॉग न रखा हो और पिछले सेमेस्टर के अंत में सीजीपीए में 7.0 &अिधक रखना हे । छात्र जो अतिरिक्त कोर्स लेते हैं उन्हें डीन (अकादमी कोर्स) के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना है ।

आर.6.1 अंतिम परियोजना सेमेस्टर के दौरान, छात्र सामान्यत: कोर्स के पंजीकरण के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, फिर भी विभागाध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिश के तहत परियोजना के साथ साथ एकाध कोर्स के पंजीकरण के लिए डीन अनुमति दे सकते हैं जब छात्र को केवल क्रेडिट के लिए थोडी सी कमी हो ।

ऐसे मामलों में परियोजना अवधिको सामान्य अवधिसे उपयुक्त रूप में बढानी है। फिर भी, भारत सरकार के वर्तमान नियमानुसार एम.डेस हेचटीटीए को अधिकतम 24 महीनों की अवधिके लिए ही भुगतान किया जाएगा।

IndiaCode

आर.6.2 पंजीकृत कोर्स से वापसी की अनुमति सेमेस्टर की शुरूआत होने की तारीख से दो सप्ताह के अंदर ही दी जाएगी। इसके बदले में कोई कोर्स नहीं दिया जाएगा ।

वापसी के बाद बाकी कोर्स पंजीकृत की संख्या छात्रों को अपनी पढाई जारी रखने की आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है जो आर.10 के तहत दर्शाया गया है।

वापस लिये गये कोर्स को तब लेना है जब उन्हें प्रदान किया जाता है, हालांकि वे कोर कार्स की सूची में होना है (अनिवार्य कोर्स) ।

आर.6.3 असाधारण स्थिति में जैसे चिकित्सा आधार पर, एक छात्र को अकादमी कोर्स के डीन द्वारा सेमेस्टर से पूर्ण रूप में वापस लेने की अनुमति दी जा सकती हैं । सामान्यत: एक छात्र को पाठ्यक्रम से वापस लेने की अनुमति लगातार अधिकतम दो सेमेस्टर की अवधिके लिए होगी।

आर.7.0 पाठ्यक्रम को जारी करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ

आर.7.1 छात्र को प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 10 सफलपूर्वक क्रेडिट पाना है, दूसरे सेमेस्टर के अंत में 26 सफलपूर्वक क्रेडिट और तृतीय सेमेस्टर के अंत में 36 सफल क्रेडिट रखना है ।

इसका न होने पर छात्रों को उस पाठ्यक्रम से बाहर जाने के लिए कह दिया जाएगा ।

आर.7.2 उक्त के अलावा, पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए, छात्र को कम से कम 5.0 सीजीपीए रखना है जिसकी संगणना आर.22.2 में बताये गये अनुसार की जाएगी। फिर भी जारी रखने की योग्यता की सीजीपीए की संगणना में जिस कोर्स में छात्र पढता है और विचारणीय अवधितक जितने सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है उसी को लिया जाएगा। किसी भी छात्र की सीजीपीए ऐसी संगणना में 5.0 से कम होता है उसे चेतावनी दी जाएगी और यदि वह अगले सेमेस्टर तक प्रगति नहीं करता/करती और सीजीपीए 5.0 से कम ही है तो उन्हें पाठ्यक्रम छोडने के लिए कहा जाएगा ।

आर.8.0 पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम अवधि

आर.8.1 छात्र से आशा की जाती है कि एम.डेस पाठ्यक्रम को चार सेमेस्टर में पूरा करें। फिर भी चार सेमेस्टर में यदि वह अपनी परियोजना को पूरा नहीं करता है तो पूर्व अनुमति के साथ उन्हें पांचवॉं सत्र में समर्पित करने के लिए कहा जाएगा।

छात्रों को पांच सेमेस्टर के अंदर कोर्स को पूरा करना है और संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रवेश करने की तारीख से 8 सेमेस्टर में पूरा करना है जिसमें परियोजना काम भी शामिल है ।

आर.9.0 पाठ्यक्रम को बीच में ही छोडना

आर.9.1 छात्रों को पाठ्यक्रम में बीच में ही छोडकर नौकरी लेने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कोर्स काम को पूर्ण किया होना चाहिए। परियोजना काम बाद में भी या तो अब काम कर रहे संगठन में यदि वहॉं अनुसंधान व अिभकल्प सुविधा हो तो किया जा सकता है या संस्थान में किया जा सकता है। ऐसे छात्र पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने की तारीख से छ: सेमेस्टर के अंदर अपनी परियोजना को पूरा करना है।

किसी भी समय, छात्र जो अपना पाठ्यक्रम को बीच में ही छोडना चाहते हैं और परियोजना कार्य को बाद में पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे करने के पहले डीन से अनुमति मांगनी और प्राप्त करनी है।

आर.10.0अनुशासन

आर.10.1 प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैंपस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो ।

आर.10.2 छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य डीन के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और अनुशासन और समय समय पर सेनेट द्वारा संस्थापित अनुशासन एवंकल्याण समिति को संदर्भित किया जाएगा।

India Code

समिति आरोपों पर पूछताछ करेगी और आरोप सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी । अनुशासन और कल्याण समिति की सिफारिशों पर अकादमी कोर्स के बोर्ड विचार करेगा और अकादमी कोर्स के डीन को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

आर.10.3 अपील : छात्र अध्यक्ष, सेनेट के यहाँ अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। सेनेट की अगली बैठक में डीन की कार्रवाई की रिपोर्ट करेंगे।

आर.10.4 किसी भी ट्रष्टि से रेगिंग क्रिमिनल है और हमारे देश और राज्य में नॉन-बेइलबिल अपराध है और केंद्रीय विधान में कारावास सहित सख्त दंड का प्रावधान है । यदि कोई छात्र रैगिंग करते हुए पकडा गया तो उन्हें संस्थान से बाहर भेज दिया जाएगा और किसी भी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अमानवीय कार्य में यदि कोई एक को इंकित किया न सका तो सामूहिक दंड के लिए भी प्रावधान है । संस्थान के प्रत्येक वरिष्ठ छात्र माता-पिता सहित प्रत्येक वर्ष लिखित रूप में यह आश्वासन देगा/देगी और एनरोलमेंट के समय पर समर्पित करेगा।

आर.11.0उपस्थिति

आर.11.1 प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपिस्थति का विवरण दे देना है।

छात्र जो >=85% तक की उपस्थिति रखता है उन्हीं को अंतिम सेमेस्टर में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। जो छात्र न्यूनतम प्रतिशत की उपिस्थति नहीं रखते हैं उन्हें उस कोर्स को जब पुन: चलाया जाता है उपस्थित होना है।

आर.11.2 प्रत्येक शिक्षण स्टाफ सदस्य जो कक्षा को संभालते हैं, सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिवस के 3 कैलण्डर दिवस के पहले ही उपिस्थति का विवरण दे देना है।

उन छात्रों के नाम को जो 85% से कम उपस्थिति रखे हैं कक्षा में अध्यापक स्वयं घोषित करेंगे।

उनकी प्रतियाँ अकादमी कोर्स के डीन को और संबंधित विभागाध्यक्ष को भिजवाना है ।

आर.12.0छुट्टी नियम

आर.12.1 एम.डेस के सभी छात्र जब कभी वर्ग/ परियोजना कार्य में उपिस्थत नहीं हो पाते हैं छुट्टी के लिए विभागाध्यक्ष / संकाय सलाहकार को कारण बताते हुए आवेदन देना है। अपने खाते में छुट्टी होते हुए भी यदि वह अप्राधिकृत छुट्टी है तो अनुपस्थिति के समय हेचटीटीए के लिए हकदार नहीं होंगे।

आर.12.2 प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 15 दिन के हिसाब से छात्रों को वर्ष में 30 दिन की छुटटी हैं और प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर तक यह छुट्टी कैरीओवर होगी और उसी प्रकार तृतीय सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक केरीओवर होगा। (यानी प्रथम वर्ष की छुट्टी को दूसरे वर्ष में केरीओवर नहीं कर सकते)

छुट्टी के पूर्व एवं बाद की सामान्य छुट्टियों को जोडने का प्रावधान है पर बीच की सामान्य छुट्टी को भी छुट्टी से काटा जाएगा।

आर.13.0मूल्यांकन कार्यवाही :जांच और परीक्षण

आर.13.1 सेमेस्टर के दौरान न्यूनतम दो सत्र मूल्यांकन के वकतृता / वकतृता और टुटोरियल आधारित विषय मूल्यांकन होगा। सत्र का मूल्यांकन, आवधिक परीक्षण, असैन्मेंट या दोनों का जो भी विषय के लिए उपयुक्त है उस रूप में होगा। वर्ग समिति में जो भी मूल्यांकन विवरण संबंधी निर्णय होगा उसे प्राध्यापक द्वारा सेमेस्टर के प्रारंभ में ही छात्रों को बताया जाएगा।

आर.14.0सेमेस्टर अंत परीक्षा

आर.14.1 विषय आधारित प्रत्येक वकतृता में 3 घंटे की अवधिकी परीक्षा सेमेस्टर अंत में होगा। यदि प्रयोगशाला संबंधी विषय हो तो अंतिम परीक्षा हो भी सकती है और न भी हो सकती है। परियोजना के मामले में, परियोजना कार्य की समाप्ति पर एक मौखिक परीक्षा चलायी जाएगी ।

IndiaCode

आर.15.0परियोजना मूल्यांकन

आर.15.1 छात्र सभी कोर और वैकल्पिक कोर्स की आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप में पूरा करने पर ही परियोजना के मूल्यांकन कार्य लिया जाएगा।

आर.16.0वेइटेज

आर.16.1विभिन्न विषयों के लिए निम्नलिखितानुसार भरिता दिया जाएगा ।

(a) वकतृता या वकतृता और ट्यूटोरियल आधारित विषय:

सत्र मूल्यांकन : न्यूनतम 40%

सत्रांत परीक्षा : न्यूनतम 40%

(b) प्रयोगशाला आधारित विषय :

ए के समतुल्यसत्र कार्य 75 से 100%

अंतिम परीक्षा, यदि होती है तो) 25%

न्यनतम भरिता)

आर.16.2 सभी टुटोरियल असैन्मेंट्स, प्रयोगशाला कार्य और परीक्षा के परीक्षण के लिए मार्किंग्स (यदि कोई हो तो) निरपेक्ष आधार पर होगा। आर 19.1 में दिये गये भरिता के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए अंतिम अंक की प्रतिशतता की गणना की जाएगी।

आर 17.0मेक-अप परीक्षा

आर.17.1 वैध कारणों से यदि कोई छात्र सत्र मूल्यांकन नहीं दे पाया है तो अनुपस्थिति का कारण बताते हुए परीक्षा सेल को और प्राध्यापक इन अनुरोध की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा।

आर.17.2 वैध कारणों पर कोई छात्र सत्रांत परीक्षा नहीं दे पाया तो अकादमी कोर्स के डीन/ निदेशक/ परीक्षा सेल को छूटी गयी परीक्षा की तारीख से दस दिन के अंदर आवेदन देना है। विषय/ विषयों में मेक-अप परीक्षा के लिए बैठने की अनुमति असाधारण परिस्थिति में जैसे अस्पताल में भर्ती या छात्र कोई दुर्घटना आदि में दी जाती है। एक छात्र जो इस मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाता उसे दूसरी बार मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति सामान्यत: नहीं दी जाती है।

फिर भी असाधारण ज्वर मामलों में जिससे छात्र मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाते हैं तो अकादमी कोर्स के डीन/ परीक्षा सेल सेनेट के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके छात्र को दूसरा मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी जा सकती है।

आर.17.3 चिकित्सा आधार पर छुट्टी आवेदन देने पर, छात्रावास में रहनेवाले छात्रों को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है।

कैंपस से स्थायी रूप से/ अस्थायी रूप से रह छात्र पंजीकृत चिकित्सा देनेवाले डाक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है जिसपर माता-पिता/अभिभावकों से मेक-अप परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगते हुए अग्रेषित किया जाना है।

अकादमी के डीन अपने स्वविचार से अपने निर्णय का कारण बताते हुए छात्र को मेक-अप परीक्षा देने की अनुमति दे सकते हैं।

आर 18.0संवर्ग में छात्रों का विषय वार ग्रेडिंग

आर.18.1अक्षर ग्रेड्स

सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर, प्रत्येक छात्र को अंतिम अक्षर ग्रेड प्रत्येक विषय में दिया जाता है। अक्षर ग्रेड और उससे इंकित होनेवाले ग्रेड पाइंट्स का विवरण निम्नप्रकार है।

IndiaCode

ग्रेड	पाइंट
एस	10
ए	9
बी	8
सी	7
डी	6
ई	4
यू	0
डब्ल्यू	न्यूनतम उपस्थिति के लिए पंजीकरण रद्द किया गया है
पी,हेच	उत्तीर्ण/ पूरा किया गया है
एफ,एल	अनुत्तीर्ण/ अपूर्ण

आर.18.2 जब किसी छात्र यू/एफ के सिवा और कोई ग्रेड पाता है तो माना जाता है कि उस छात्र सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है ।

यू/एफ ग्रेड पाने पर यह माना जाएगा कि उस विषय पर वह अनुत्तीर्ण है। सफलतापूर्वक पूरा किये गये विषय को पुन: नहीं लिख सकेंगे।

आर 19.0ग्रेड प्रदान कराने की पद्धति

आर.19.1 सत्रांत सेमेस्टर परीक्षा के अंतिम दिन से सात दिनों के अंदर चाहे तो वर्ग समिति की अंतिम बैठक छात्र सदस्य के बिना बुलायी जाएगी।

छात्रों को विभिन्न विषयों के लिए दिये जानेवाले अक्षर ग्रेड का निर्णय लिया जाएगा।

आर.19.2. प्रत्येक विषय के लिए जिसमें अंतिम ग्रेड हो के परिणाम शीट दो प्रतियाँ और निरपेक्ष अंक के दो प्रतियाँ, अंतिम ग्रेड प्राध्यापक द्वारा संबंधित कक्षा समिति के अध्यक्ष को समर्पित किया जाना है।

कक्षा समिति बैठक में ग्रेड के अंतिम निर्णय लेने के बाद : एक प्रति निरपेक्ष अंक के साथऔर एक निरपेक्ष अंक के बिना केवल ग्रेड के साथ वर्ग समिति अध्यक्ष से डीन को अग्रेषित किया जाएगा।

अंतिम ग्रेड, निरपेक्ष अंक के साथ एक प्रति कोर्स के विभागाध्यक्ष को दिया जाना है।

आर.20.0परिणाम की घोषणा

आर20.1 प्रत्येक विषय में छात्रों को प्रदान किये जानेवाले अक्षर ग्रेड विभागीय सूचना बोर्ड में अंतिम कक्षा समिति बैठक के तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

आर.20.2 एक बार यू या डब्ल्यू ग्रेड प्रदान किये जाने पर वह छात्रों के रिकार्ड में होगा और वह तभी निकाला जाएगा जब वह उस विषय पर बाद में सफलतापूर्वक पूरा करता/करती हो बशर्ते कितनीवीं बार में पूरा किया है उसकी सूचना होगा । सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के आधार पर यू या डब्ल्यू ग्रेड को छोडकर सीजीपीए की गणना की जाएगी।

आर21.0उत्तर पुस्तिकाओं का पुन: जांच

आर.21.1 यदि कोई छात्र सोचता है कि वंचित हुआ है तो पुन: जांच के लिए वह संबंधित प्राध्यापक से संपर्क कर सकता/सकती है बशर्ते परिणाम घोषित कर अगले सेमेस्टर के प्रारंभ होने के दो सप्ताह के अंदर होना है। सत्रांत परीक्षा के अपने अपने उत्तर पुस्तिका को छात्र देख सकते हैं, संबंधित प्राध्यापक दिखाएँगे।

IndiaCode

यदि प्राध्यापक महसूस करते हैं कि मामला सही है तो उसके पुन: परीक्षा कर सकता है और यदि कोई हो तो परिवर्तित ग्रेड को अकादमी कोर्स के डीन को वर्ग समिति के अध्यक्ष द्वारा औचित्य सहित परिवर्तन के लिए और विभागाध्यक्ष की सूचना के लिए अग्रेषित कर सकता है।

आर.22.0 कोर्स पुनरावृत्ति

आर.22.1 किसी भी विषय पर एक छात्र यू ग्रेड लेने पर यदि वह विषय कोर विषय है तो अगली बार देने पर अनिवार्य रूप से उस विषय की पुनरावृत्ति करनी है।

आर 22.2 यदि वह वैकल्पिक विषय है तो छात्र को सफलतापूर्वक ग्रेड प्राप्त करने के लिए उसकी पुनरावृत्ति करने का विकल्प है।

आर.23.0ग्रेड कार्ड

आर 23.1प्रत्येक छात्र को सत्रांत में जारी किये जानेवाले ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित होगा :

(a) उस सेमेस्टर के लिए पंजीकृत प्रत्येक कोर्स के लिए क्रेडिट

(b) आर.21.1. द्वारा प्राप्त अक्षर ग्रेड द्वारा प्रत्येक विषय के कार्यनिष्पादन दर्शाया जाएगा।

(c) उस सेमेस्टर के अंत तक छात्रों द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट

(d) सभी कोर्स के प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक, अंतिम सेमेस्टर ग्रेड कार्ड में क्युमुलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए) ।

आर.23.2ग्रेड पाइंट एवरेज (जीपीए) निम्निखित सूत्र द्वारा संगणित किया जाएगा।

$$GPA = \frac{\sum_i (C_i x GP)}{\sum_i C_i}$$

जहाँ Ci = कोर्स के क्रेडिट, जीपी= कोर्स के लिए प्राप्त ग्रेड पाइंट और Σi Ci = उस सेमेस्टर में लिये गये ओवरआल कोर्स में क्रेडिट के कुल, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल है।

इसी प्रकार के फार्मुला क्युमिलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए) के लिए भी अपनाया जाता है जिसमें Σ iCi उस अवधितक के सभी पूरे किये गये सेमेस्टर के ओवरआल कोर्स के क्रेडिट के कुल दर्शाया जाएगा, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल होगा।

आर.23.3एम.डेस पाठ्यक्रम के अंत में छात्र को कोई श्रेणी / डिविजन/ रैंक प्रदान नहीं किया जाएगा।

आर.24.0उद्योग या अन्य संगठन में परियोजना कार्य

आर.24.1 अनुसंधान और अभिकल्प के रहे और अनुसंधान कार्य के लिए सुविधा के संगठन द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार हो या उस संगठन के कर्मचारी हो उसके कोर्स के पूरा करने पर अंतिम सत्र के दौरान परियोजना कार्य उस संगठन में ही निम्नलिखित शर्तों के तहत कर सकता है :

आर.24.2ऐसे छात्रों के अनुरोध की परीक्षा एक विभागीय समिति करेगी और निम्नलिखित नियत करेगी

i. एक आंतरिक गाइड (संस्थान के एक संकाय सदस्य)

ii. परियोजना कार्य क्षेत्र और

iii. बाह्य गाइड (उद्योग के वैज्ञानिक या इंजीनियर).

IndiaCode

आर.24.3 उक्त विवरण डीन को विभागाध्यक्ष के जरिए समर्पित करना है और परियोजना शुरू करने के पहले डीन की अनुमति प्राप्त करनी है।

आर.24.4 उद्योग में परियोजना करने के लिए अनुमति प्राप्त छात्र को ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्क संस्थान को तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए अदा करना है ।

आर.25.0हाफ-टाइम शिक्षण एसिस्टेण्टशिप

आर.25.1 गेट अंक के आधार पर जिन छात्र एम.डेस में प्रवेश पाने योग्य हुए हैं और संस्थान के पूर्णकालीन विद्वान के रूप में शामिल हुए हैं, समय समय पर संस्थान द्वारा सूचित हेचटीटीए के पुरस्कार के लिए योग्य होंगे।

आर.25.2 प्रायोजित योजना के तहत पूर्ण वेतन के साथ एम.डेस में प्रवेश पानेवाले छात्रों को कोई भी हेचटीटीए प्रदान नहीं किया जाएगा यद्यपि वे गेट की योग्यता रखते हैं।

आर.25.3स्व-वित्तीय विदेशी हेचटीटीए के लिए हकदार नहीं हैं।

आर.26.0एम.डेस पाठ्यक्रम के लिए योग्यता

आर.26.1निम्नलिखित योग्यताएँ रखने पर कोई छात्र एम.डेस उपाधिके लिए योग्य होंगे :

(1) पंजीकृत और सफलतापूर्वक सभी कोर कोर्स और परियोजना को पूरा किया हो

(2) आर.10.1 में उल्लिखितानुसार निर्धारित अवधिके अंदर अपने स्ट्रीम के पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक पाये हो

(3) संस्थान, पुस्तकालय और छात्रावास को कुछ देय न हो

(4) उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई हो

(5) छात्र जो विदेश के विश्व विद्यालय के संदर्शन परिवर्तन पाठ्यक्रम के तहत करते हैं क्रेडिट अंतरण के लिए निम्नलिखित को अपनाया जाएगा:

ग्रेड शीट में इंकित क्रेडिट/ग्रेड का उपयोग जो उस विश्व विद्यालय से प्राप्त है जहाँ छात्र अपना पाठ्यक्रम किया है, छात्र द्वारा ट्रांस्किर्प्ट्स के अंश के रूप में करना चाहिए।

आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम ट्रांस्किर्प्ट्स केवल, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम में पूरा किये कोर्स, क्रेडिट और ग्रेड को दर्शाता है और उस विशिष्ट सेमेस्टर में अन्य विश्व विद्यालय में पाये गये (ग्रेड के बिना) क्रेडिट को दर्शाता है।

आर.26.2 उपाधि, सेनेट की सिफारिश और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होना है।

आर.27.0संशोधन की शक्ति

उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का हक सेनेट रखती है।

अध्यादेश और विनियम

पीएचडी कार्यक्रम

अध्यादेश

0.1 उम्मीदवार जो मान्य संस्थान या विश्व विद्यालय से इंजीनियरिंग/टैक्नोलॉजी और विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अकादमी सलाहकारी समिति (इसके बाद एएसी कहा जाएगा) / सेनेट द्वारा निर्धारित विधा में रखने पर इस संस्थान के पीएचडी के लिए क्रमश: इंजीनियरिंग/ तकनोलाजी और विज्ञान पाठ्यक्रम में आवेदन देने के लिए योग्य है।

0.2 उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी की स्नातक उपाधि, असाधारण श्रेष्ठ शैक्षणिक परिदृश्य उस विधा में रखता

हो जिसका निर्धारण संस्थान के विनियम में किया गया है वे भी इस संस्थान के इंजीनियरिंग/ तकनोलाजी के पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन देने के लिए योग्य हैं।

0.3 संस्थानकीसीनेटकेविनियमनकेअनुसारपीएचडीडिग्रीपुरस्कारदियाजाएगा।

विनियम

आर.1 प्रवेश के संवर्ग

इस संस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों को प्रवेश निम्नलिखितों में से किसी एक संवर्ग में दिया जाएगा।

(a) संस्थान के फेलोशिप के साथ या बिना या परियोजना सपोर्ट के साथ नियमित पूर्ण कालीन विद्वान

(b) अनुसंधान विद्वान जो संस्थान के स्टाफ सदस्य हैं।

आर.2 योग्यताएँ

आर.2.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ

नियमित पूर्ण-कालीन अनुसंधान के लिए योग्यताएँ

इस संस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नप्रकार है :

आर.2.1.1 इंजीनियरिंग में पीएचडी

(a) उम्मीदवार जिसके पास इंजीनियरिंग / टैक्नोलॉजी में अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरिंग / तकनोलाजी विधा में अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ अनुसंधान द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि।

(b) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ और संबंधित इंजीनियरिंग विधा में असाधारण मेरिट और वैध गेट स्कोर या यूजीसी आईसीएसआईआर नेट आईएनबीहेचएम या संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण वर्ष में समतुल्य लायक योगयता । स्नातकोत्तर उपाधि के साथ संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव रखनेवाले उम्मीदवार को चयन समिति द्वारा परीक्षण स्कोर पर छूट दिया जा सकता है।

(c) उम्मीदवार जिसकी योग्यता इंजीनियरिंग / तकनोलाजी में स्नातक है, पर असाधारण अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड योग्य विधा में है तो सीधे पीएचडी प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है। नियमित पूर्णकालीन विद्वान के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकता है :

- आईआईटी के बी.टेक उपाधि धारक, 10.0 पाइंट की तुलना में 8.0 के न्यूनतम सीजीपीए रखनेवाले या वैध गेट स्कोर रखनेवाला
- किसी अन्य विश्व विद्यालय से जो विश्व विद्यालय के सबसे शीर्ष दस रैंक में एक धारक हो, इंजीनियरिंग / तकनोलाजी में स्नातक उपाधि और वैध गेट स्कोर रखता हो।
- विख्यात अनुसंधान व विकास संगठन से इंजीनियरिंग व तकनोलाजी के स्नातक उपाधि धारक और अच्छा अनुसंधान रिकार्ड रखता हो

आर 2.1.2विज्ञान में पीएचडी

विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ और वैध गेट स्कोर या यूजीसी/सीएसआईआर-नेट/एनबीहेचएम या संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण वर्ष में समतुल्य लायक योगयता / इंजीनियरिंग/ तकनोलाजी में स्नातकोत्तर उपाधि अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ / आईआईटी के बीटेक उपाधि धारक के उम्मीदवार जिसके सीजीपीए 10.0 के लिए न्यूनतम 8.0 हो या वैध गेट स्कोर रखता हो।

आर.2.1.3उक्त संवर्ग में अनुसंधान विद्वानों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ मद सं 2.1.1 और 2.1.2 में पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए तत्संबंधित संवर्गों के लिए पूर्ण कालीन अनुसंधाताओं के लिए निर्धारित ही होगा।

फिर भी गेट स्कोर या सीएसआईआर/आरजीसी जेआरएफ या लेक्चरशिप/ एनबीहेचएम/ जेएमईटी/ सीएटी/ एआईएमए या समतुल्य योग्यताएँ जो नियमित पूर्ण कालीन अनुसंधाओं के लिए लागू होगा इस मामले में आवश्यक नहीं।

(प्रवेश ब्राउचर में प्रत्येक विभाग द्वारा योग्य विधा में पाये जानेवाले न्यूनतम शैक्षिणक योग्यताएँ प्रदान की जाएगी, जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाएगा।)

उम्मीदवार के शैक्षणिक/ अनुसंधान पृष्ठभूमि और प्रस्तावित अनुसंधान क्षेत्र में यदि अच्छा तालमेल है तो प्रवेश ब्राउचर में सूचित से इतर विधाओं के लिए चयन समिति यदि उपयुक्त मानता है तो उन मेरिटोरियस उम्मीदवारों का चयन कर सकता है।

प्रवेश ब्राउचर में अंतर-अनुशासनीय अनुसंधान क्षेत्रभी शामिल होगा जिसे अनुसंधान विद्वान पीएचडी उपाधि के लिए आगे ले सकते हैं जहाँ संस्थान द्वारा उसके समतुल्य योग्य विधा का उल्लेख किया हो।

आर.2.1. में दिये गये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से इतर अतिरिक्त और सख्त मानदंड को चयन समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जा सकता है ताकि साक्षात्कार और/या परीक्षण के लिए बुलाये जानेवाले उम्मीदवारों की सूची को कम किया जा सके।

आर.2.2 पी.जी/एमटेक से पीहचेडी पाठ्यक्रम के पंजीकरण के अपग्रेडेशन मेरिटोरियस उम्मीदवार जो पी.जी/एमटेक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत है पीएचडी पाठ्यक्रम के पंजीकरण में अद्यतन करने के लिए योग्य है बशर्ते निम्नलिखित मानदंड के अनुकूल हो :

(a) पी जी/एमटेक पाठ्यक्रम में कम से कम 2 सेमेस्टर के लिए उम्मीदवार को पंजीकृत किया होना चाहिए।

(b) निर्धारित कोर्स में बी.ओ. के न्यूनतम सीजीपीए

पी.जी विद्वान के मामले में, पी.जी विद्वान के सामान्य परीक्षण समिति उसी गाइड के पर्यवेक्षण के तहत पीएचडी अपग्रेडेशन के लिए आवेदन पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशों को सेनेट को देगा। यदि अनुमोदन हो तो, एक डाक्टोरल समिति जैसे आर.9 में उल्लिखित है का गठन सामान्य परीक्षण समिति के स्थान पर किया जाएगा ।

एमटेक विद्वान के मामले में, निदेशक/ उप निदेशक द्वारा पीएचडी के अपग्रेडेशन के लिए दिये गये आवेदन पर विचार करने के लिए विधिवत एक समिति का गठन किया जाएगा जो अपनी सिफारिशों को सेनेट को देगा। यदि अनुमोदन हो तो, एक डाक्टोरल समिति जैसे आर.9 में उल्लिखित है का गठन किया जाएगा और आर.6 के अनुसार गाइड की नियुक्ति होगी।

पीएचडी पाठ्यक्रम में अपग्रेड होने के बाद एक सेमेस्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो कोशिशों में उम्मीदवारों को व्यापक परीक्षा (आर.12ए) उत्तीर्ण होना है।

उम्मीदवार को सीधे स्नातक से आये उम्मीदवार के समान माना जाएगा लेकिन पी.जी/ एमटेक रजिस्ट्रेशन के तहत रहे रेसिडन्सी अवधि और कोर्स वर्क को पीएचडी पाठ्यक्रम में डाक्टोरल समिति द्वारा निर्णय किये अनुसान क्रेडिट किया जाएगा।

(सीजीपीए की व्याख्या के लिए पन्ना सं 9 देखें)

आर.3 अंतर्राष्ट्रीय छात्र

विदेशी को केवल नियमित पूर्णकालीन विद्वानों के रूप में ही पंजीकृत किया जा सकता है। विदेशी जो भारतीय विश्व विद्यालयों से उपाधि पाया है प्रवेश के लिए भारतीय के समतुल्य रूप में माना जाएगा। विदेशी जो विदेश में पाये उपाधि रखता है आर 2.1 में दी गयी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है जो निम्नप्रकार है ।

संबंधित विधा में भारतीय स्नातकोत्तर उपाधि की समतुल्य उपाधि, इसके अलावा वैध जीआरई/ जीमेट/ गेट/ नेट/

आईकेट/ जेमेट/ टोफल या समतुल्य परीक्षा में संबंधित विधा में स्कोर रखना है । अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कामकाजी अंग्रेज़ी मालूम होना चाहिए। प्रवेश पाने पर संस्थान भारत सरकार से भारत में अध्ययन करने के लिए आवश्यक क्लियरंस के लिए आवेदन देगा।

आर.4.चयन प्रक्रिया

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और निदेशक/ उप निदेशक द्वारा समय समय पर लागू किये जानेवाले अतिरिक्त मानदंड रखनेवाले योगय उम्मीदवारों को साक्षात्कार और परीक्षण के लिए चयन समिति द्वारा बुलाया जाएगा। उम्मीदवार जो अंतिम आवेदन तारीख से दस वर्ष पहले स्नातकोत्तर उपाधि पाये हैं तो एक विनिर्दिष्ट परीक्षण चलाया जा सकता है।

विदेशियों से पाये गये आवेदन पर बिना वैयक्तिक साक्षात्कार/ परीक्षण विचार किया जा सकता है।

उम्मीदवारों के अकादमी रिकार्ड, साक्षात्कार और/या परीक्षण में कार्यनिष्पादन के आधार पर चयन समिति अकादमी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष को पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की सूची की सिफारिश करेगी।

आर.5 प्रवेश

(a) उम्मीदवारों का चयन जो अकादमी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है निर्धारित शुल्क भरने के बाद पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

(b) किसी भी कारण से पूर्व पंजीकरण को रद्द करने के बाद सामान्यत: पुन: पंजीकरण के लिए कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है। वैयक्तिक मामलों में पक्ष विपक्ष के आधार पर और विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार के पुन: पंजीकरण पर विचार किया जाएगा।

आर.6 गाइड/गाइडों का विकल्प

(a) अनुसंधान विद्वान और गाइडों द्वारा दिये गये पसंद पर विचार करते हुए निदेशक/ उप निदेशक द्वारा गाइडों को अनुसंधाताओं का आबंटन किया जाएगा।

(b) एक अनुसंधान विद्वान को अधिकतम दो गाइड ही होना है।

आर.7 गाइड होने की योग्यताएँ

पीएचडीविद्वानों के लिए निम्नलिखित सदस्य गाइड के रूप में हो सकते हैं:

» संस्थान क सभी संकाय सदस्य

» संस्थान के डाक्टोरल उपाधि रखे वैज्ञानिक/अभिकल्प कर्मचारी सेवानिवृत्त संकाय

सदस्य/ समिरिटस संकाय जो जारी रखते हैं, गाइड के रूप में काम कर सकते हैं।

(1) जब एक संकाय सदस्य, कम से कम 3 वर्ष के लिए जब किसी उम्मीदवार को गाइड करता है, सेवानिवृत्त होता है, वह गाइड के रूप में अपना कार्य जारी रखेगा। फिर भी अतिरिक्त रूप में एक सह-गाइड की नियुक्ति की जाएगी जो सेवा में हैं। सेवानिवृत्त हुए गाइड को डाक्टोरल समिति, सिनाप्सिस और मौखिक परीक्षा की बैठकों में बुलाया जाएगा।

(2) एक संकाय सदस्य जो 3 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं को एक नये विद्वान के लिए अन्य संकाय सदस्य के साथ जो कम से कम 5 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त न होनेवाले हैं,

(3) सहगाइड के रूप में रहने की अनुमति पंजीकरण के समय में ही दी जा सकती है । सेवा निवृत्त होने पर संकाय सदस्य गाइड के रूप में जारी रहेगें और डॉक्टोरल और मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किये जाएँगे।

(4) सीएसआईआर और अन्य एमिरिटस फेलो/ वैज्ञानिक/ एमिरिटस प्रोफसर जो इस संस्थान में 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए काम कर चुके हैं, विद्वानों के लिए सह-गाइड के रूप में आईआईआईटीडी व एम के साथ रह सकते हैं बशर्ते विद्वान के पंजीकरण के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा बाकी हो।

(5) संकाय सदस्य गाइड होने के मामले में, यदि एक वर्ष से अधिक समय के लिए छुट्टी पर जाते हैं तो दूसरे संकाय सदस्य को पहचाना जाएगा जो अनुसंधान विद्वान के सह-गाइड होंगे।

(6) अनुसंधान विद्वान के पंजीकरण के तीन वर्ष के बाद नये गाइड को लेने पर डाक्टोरल समिति विचार करेगा।

आर.8 गाइड का परिवर्तन/जोड

अनुसंधान विद्वान के डाक्टोरल समिति गाइड के परिवर्तन या सह गाइड की नियुक्ति के
लिए वैध कारणों के लिए सिफारिश कर सकती है ।

आर.9 डाक्टोरल समिति

विद्वान के लिए गाइड संस्थान के प्रधान को या उसके द्वारा नामित को अनुसंधान का क्षेत्र, गाइडों का नाम, और पैनल में रहे नाम, संकाय सदस्यों के विशेषज्ञता सूचित करते हुए डाक्टोरल समिति के विचारार्थ अनुसंधान विद्वान भर्ती होने की तारीख से 8 सप्ताह के अंदर सूचित करेगा।

डाक्टोरल समिति का गठन निम्नप्रकार होगा :

1.	संस्थान के प्रधान या उसके द्वारा नामांकित	अध्यक्ष
2.	अनुसंधान गाइड	सदस्य
3.	आईआईआईटीडी व एम से कम से कम दो संकाय	सदस्य
4	अन्य विख्यात अकादमी संस्थान से एक संकाय सदस्य -	सदस्य

IndiaCode

यदि कोई सदस्य एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए छुट्टी पर जाते हैं या संस्थान से पदत्याग करते हैं, अध्यक्ष, अकादमी सलाहकारी समिति या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अध्यक्ष, डाक्टोरल समिति या उसके द्वारा नामांकित के सलाह पर दूसरा सदस्य को नामित करेगा।

वैज्ञानिक/ अभिकल्पना कर्मचारी और अन्य जो पीएचडी विद्वानों को गाइड करते हैं को डाक्टोरल समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

आर. 10.0 पंजीकरण

(a) डाक्टोरल समिति सामान्यत: संगठित होने के एक महिने के अंदर मिलेगी जहाँ अनुसंधान विद्वान अपनी प्रस्तुति करेंगे। डाक्टोरल समिति पीएचडी पाठ्यक्रमके लिए पंजीकरण दिनांक नियत या अनुमोदन करेगा। इस बैठक में प्रस्तावित अनुसंधान शीर्षक और अध्ययन के कोर्स को निर्धारित या अनुमोदित करेगा।

(b) अनुसंधान विद्वान जो बाह्य अभिकरण द्वारा समि्थत परियोजना में लगा है को प्रवेश पाने की तारीख से छ: महिने तक पीछे की तारीख डाक्टोरल समिति के कारण सहित बताने पर दिया जा सकता है। डाक्टोरल समिति की सिफारिश के आधार पर अकादमी सलाहकारी समिति एक और छ: महिने पीछे की तारीख से दे सकता है।

आर.11 कोर्स काम

डॉक्टोरल समिति सामान्यत: दो कोर और न्यूनतम चार वैकल्पिक निर्धारित करेगी।

निर्धारित कोर्स संस्थान के या आईआईटी के स्नातकोत्तर स्तर पर हो सकता है ।

(a) इंजीनियरिंग और विज्ञान के पीएचडीअनुसंधान विद्वान कोर कोर्स और कम से कम दो विकल्प कोर्स पूरा करना है। जो विद्वान सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश, इंजीनियरिंग में पाये हैं, जिसके पास इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी के स्नातक उपाधि हैं या विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखे हैं योग्य हैं या अनुसंधान विद्वान जो

आईआईआईटीडीएम के पी.जी/एमटेक पाठ्यक्रम से पीएचडी में प्रवेश पाये हैं को 5 कोर कोर्स और डाक्टोरल समिति द्वारा निर्धारित 5 में से न्यूनतम 3 वैकल्पिक कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना है । आईआईआईटीडीएम में पी जी/एमटेक पाठ्यक्रम से यदि विद्वान अपग्रेड करता है तो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विद्वान द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किये कोर्स डाक्टोरल समिति द्वारा कोर्स कार्य आवश्यकताओं के लिए विचार किया जा सकता है। डाक्टोरल समिति द्वारा ही निर्धारित कोर्स में परिवर्तन किया जा सकता है। डाक्टोरल समिति जहाँ भी आवश्यक समझती है विद्वानों के लिए अतिरिक्त कोर्स नियत कर सकता है।

(b) इस संस्थान में या अन्य संस्थानों में अनुसंधान विद्वान द्वारा पहले ही किये गये कोर्स का क्रेडिट डाक्टोरल समिति द्वारा दिया जा सकता है बशेर्ते वे निर्धारित के समतुल्य या वही हो, और उसमें विद्वान के कार्यनिष्पादन स्तर न्यूनतम आवश्यकताओं से मिलता हो। जहाँ भी आवश्यक हो अनुसंधान विद्वान के लिए डाक्टोरल समिति अतिरिक्त कोर्स निर्धारित कर सकता है।

(c) ग्रेड

सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रत्येक छात्र को प्रत्येक विषय में सेमेस्टर के अंत में अंतिम ग्रेड प्रदान किया जाएगा। ग्रेड और उससे इंगित ग्रेड पाइंट निम्नप्रकार है :

ग्रेड	पाइंट
एस	10
ए	9
बी	8
सी	7
डी	6

IndiaCode

अनुसंधान विद्वान उनके द्वारा लिये गये कोर्स में न्यूनतम 7.5 सीपीजीएलेना है, निर्धारित कोर्स में "सी" ग्रेड के न्यूनतम के अधीन है। यदि न्यूनतम से अधिक आवश्यक लिया गया है तो सीजीपीए की गणना के लिए सर्वोत्तम अंक लिये विकल्प को लिया जाएगा।

एक छात्र को तभी सफलतापूर्वक विषय पूरा किया हुआ माना जाएगा जब ग्रेड डी से इतर ग्रेड पाया हो। यदि एक बार विषय सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ तो उसे पुन: नहीं लिखा जा सकता है।

जीपीए की गणना निम्नलिखित फार्मुला द्वारा की जाएगी

$$GPA = \Sigma(\mathrm{C} \times \mathrm{GP}) \div \Sigma \mathrm{C}$$

जहाँ सी कोर्स के लिए क्रेडिट है और जीपी सफलतापूर्वक पूरा किये कोर्स में प्राप्त ग्रेड पाइंट ।

आर.12.प्रगति रिपोर्ट

(a) एक पंजीकृत अनुसंधान विद्वान एक लिखित रिपोर्ट प्रथम तीन वर्ष वार्षिक तौर पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा और उसके बाद प्रत्येक छ: महीनों में एक बार प्रस्तुत करना है। रिपोर्ट निदेशक या उनसे नामांकित को गाइड द्वारा डाक्टोरल समिति के विचारार्थ भिजवाना है।

(b) अनुसंधान विद्वान द्वारा की गयी प्रगति का पुनरीक्षण डाक्टोरल समिति द्वारा वर्ष में एक बार प्रथम तीन वर्ष के लिए और उसके बाद प्रत्येक छ: महिने में एक बार किया जाएगा।

डाक्टोरल समिति की सिफारिश के आधार पर पंजीकरण को जारी रखना और पुरस्कार/छात्रवृत्ति जारी रखना/ अनुसंधान एसिस्टेन्टशिप होगा। अपर्याप्त प्रयास/प्रगति के कारण पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।

आर.12a व्यापक परीक्षा

(a) प्रत्येक पीएचडी विद्वान व्यापक परीक्षा लेगा और संतोषजनक रूप में परिणाम पाना है।.व्यापक परीक्षा

समिति द्वारा जिसमें डाक्टोरल समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित एक विद्वान और संस्थान के कम से कम दो अन्य संकाय होंगे, व्यापक परीक्षा चलायी जाएगी।

(b) व्यापक परीक्षा में अनुसंधान विद्वान का कार्यनिष्पादन यदि प्रथम बार संतोषजनक नहीं है तो उन्हें परीक्षा लिखने की तारीख से छ: महिने के अदंर एक और बार व्यापक परीक्षा लिखने का मौका दिया जाएगा।

अनुसंधान विद्वान के पंजीकरण जो दो कोशिशों के बावजूद व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल हुआ है और चाहता है तो उन्हें पीएचडी पाठ्यक्रम से पी जी पाठ्यक्रम को बदलने के लिए विकल्प दिया जाएगा नहीं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(c) व्यापक परीक्षा का उद्देश्य यह है कि अनुसंधान विद्वान के सामान्य क्षमता का परीक्षण उनके अनुसंधान क्षेत्र में करना है।

व्यापक परीक्षा में सामान्यत: लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा होगी।

व्यापक परीक्षा समिति अनुसंधान विद्वान को पर्याप्त समय पूर्व व्यापक परीक्षा चलाये जाने की तारीख को सूचित करना है ताकि विद्वान पर्याप्त रूप में उसके लिए तैयार हो।

(d) पीएचडी अनुसंधान विद्वान व्यापक परीक्षा को पीएचडी में पंजीकरण करने की तारीख से एक वर्ष के अंदर व्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने की आशा की जाती है और किसी भी हालत में पीएचडी में पंजीकरण करने की तारीख से तीन सेमेस्टर से अधिक समय नहीं लेना है।

आर.13 पंजीकरण

सभी अनुसंधान विद्वान जो आवासी हैं और जिनका पंजीकरण जारी है को आवश्यक शुल्क अदा करने के बाद, थीसिस समर्पित करने तक प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित तारीख को पंजीकरण करना है। जो आवासी नहीं है गाइड के कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के साथ आवश्यक शुल्क अदा करने के बाद अनुपस्थिति में पंजीकरण कर सकते हैं।

आर.14 न्यूनतम आवासी आवश्यकताएँ

(a) नियमित पूर्ण कालीन अनुसंधान विद्वान को इंजीनियरिंग में पीएचडी पाठ्यक्रम में पंजीकरण करने की तारीख से अध्ययन और अनुसंधान तथा थीसिस समार्पितकरने के लिए न्यूनतम अवधि 24 महिना है इंजीनियरिंग / टैकनोलाजी में स्नातकोत्तर उपाधि रखनेवालों के लिए और निम्नलिखितों के लिए 36 महीने हैं

(i) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखनेवाले अनुसंधान विद्वानों के लिए

(ii) इंजीनियरिंग/तकनोलाजी में स्नातक उपाधि के साथ सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये अनुसंधान विद्वानों के लिए

(iii) आईआईआईटीडी व एम में पी जी/एमटेक से अपग्रेड होकर पीएचडी पाठ्यक्रम में भर्ती हुए अनुसंधान विद्वान

(b) नियमित पूर्ण कालीन अनुसंधान विद्वान को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में पीएचडी पाठ्यक्रम में पंजीकरण करने की तारीख से अध्ययन और अनुसंधान के लिए न्यूनतम अवधि 24 महिना है है और उसके अंदर थीसिस समर्पित करना है।

(c) डाक्टोरल समिति की विधिवत सिफारिश पर अस्वस्थ या अन्य वैध कारणों से सेमेस्टर या उससे लम्बी अवधि के लिए पाठ्यक्रम को बीच में छोडने की अनुमति दी जा सकती है।

आर.15.काम करने के लिए पहेचडी पाठ्यक्रम से भारमुक्ति

पीएचडी विद्वान जिसको काम मिला है पाठ्यक्रम से भारमुक्ति दी जा सकती है, प्रत्येक सेमेस्टर के भुगतान भरकर पंजीकरण को निम्नलिखित शर्तों पर :

विद्वान जो नौकरी करना चाहते हैं, अनरोध पर उन्हें डाक्टोरल समिति की सिफारिश पर भारमुक्त किया जाएगा बशर्ते निम्नलिखित पूरा किया हो

(a) न्यूनतम आवासी आवश्यकताएँ

(b) कोर्स कार्य और

(c) व्यापक परीक्षा

उनके पंजीकरण के नवीकरण प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर के लिए तभी विचार किया जाएगा जब डाक्टोरल समिति उनकी प्रगति से संतुष्ट हो और पंजीकरण को जारी रखने के लिए सिफारिश करता हो ।

आर.16 पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि

पीएचडी विद्वानों को पंजीकरण की तारीख से 5 वर्ष के अंदर थीसिस समर्पित करना है । डाक्टोरल समिति समर्पित करने की उस अवधि को नियमित पूर्ण कालीन विद्वानों के लिए और 2 वर्ष दे सकता है।

आर.16a पाठ्यक्रम से वापसी

डाक्टोरल समिति की सिफारिश पर अस्वस्थता या अन्य वैध कारणों के लिए एक सेमेस्टर या उससे अधिक अवधि के लिए किसी विद्वान को उनका विभागाध्यक्ष संस्थान से वापसी करने की अनुमति दे सकते हैं। सामान्यत: किसी विद्वान को अधिकतम दो सेमेस्टर के लिए ही जारी न रखने की अनुमति दी जाएगी।

आर.17 पंजीकरण की रद्दी

(a) डाक्टोरल समिति द्वारा यदि अनुसंधान विद्वान की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो या जो नामांकन नहीं किया है उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

(b) आर.16 के अनुसार अनुसंधान विद्वान जो अपना थीसिस अधिकतम अनुमेय समय के अंदर समर्पित नहीं करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

आर.18 अपग्रेडड पीएचडी पाठ्यक्रम को संशोधित करके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में लाना

(a) एक अनुसंधान विद्वान जो अपना पी.जी पंजीकरण को पीएचडी में अपग्रेड करता है, पुन: पी जी पाठ्यक्रम के लिए यिद चाहता है तो उसी गाइड के तहत रिवर्शन के लिए आवेदन दे सकता है बशर्ते उन्हें पी जी के मूल पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष पूरा होना है।

(b) यदि अनुसंधान विद्वान जो अपना पी.जी पंजीकरण को पीएचडी में अपग्रेड कर लेता है पर व्यापक परीक्षा को दो बारी में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उन्हें पी जी पाठ्यक्रम में रिवर्ट कर दिया जाएगा।

डाक्टोरल समिति आवेदन पर तभी विचार करेगा जब विद्वान सामान्य परीक्षण समिति द्वारा मूलत: पी.जी पाठयक्रम के लिए निर्धारित सभी कोर्स आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो और अब तक किये गये अनुसंधान कार्य पी.जी थीसिस के लिए उपयुक्त पाया गया हो। यदि आवेदन स्वीकरणीय है तो डाक्टोरल समिति पंजीकरण संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है। यदि संशोधन संस्थान द्वारा अनुमोदित हो जाता है, तो भी डाक्टोल समिति सामान्य परीक्षण समिति के रूप में पी जी पाठ्यक्रम पूरा होने तक अपना कार्य जारी रखेगा । पीएचडी से पी जी के वापसी के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर पी जी उपाधि की आवश्यकताओं को विद्वान पूरा करना है।

आर.19 सिनाप्सिस (ठोस बिंदु)

(a) निर्धारित कोर्स, व्यापाक परीक्षा और अनुसंधान कार्य के संतोषजनक पूर्ति पर विद्वान को आवश्यक सिनाप्सिस की प्रतियों को निर्धारित प्रपत्र में गाइड द्वारा अकादमी अनुभाग को डाक्टोरल समिति के विचारार्थ समर्पित करना है। सिनाप्सिस के समर्पण के पहले विद्वान को कम से कम दो संगोष्ठी अपने अनुसंधान के विषय पर प्रस्तुत करना है और कम से कम एक पेपर या तो प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत होना है, यदि वह संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल तो बेहतर होगा।

(b) डाक्टोरल समिति के सामाने अनुसंधान विद्वान सिनाप्सिस प्रस्तुत करेंगे।डाक्टोरल समिति सिनाप्सिस में

रिपोर्ट किये गये कार्य का अनुमोदन प्रदान करेगा। यदि डाक्टारल समिति यदि सिनाप्सिस का अनुमोदन प्रदान करता है तो अनुसंधान विद्वान को थीसिस समर्पित करने का अनुमति प्रदान करता है और कम से कम संस्थान से इतर, (बाहर के विश्व विद्यालय) बाहर के आठ परीक्षकों की पैनल की सिफारिश करता है।

आर.20 थीसिस समर्पण

सिनाप्सिस की स्वीकृति के एक महिने के अंदर अनुसंधान विद्वान आवश्यक थीसिस प्रतियों को और निर्धारितानुसार थीसिस के सार को समर्पित करना है।

वैध कारणों पर विद्वान द्वारा एक महिने से अधिक अवधी का अनुरोध किये जाने पर डाक्टोरल समिति प्रदान कर सकता है।

आर.21 परीक्षकों के पैनल

थीसिस को सिनाप्सिस बैठक में डाक्टारल समिति द्वारा सिफारिश की गयी परीक्षकों के पैनल में से अध्यक्ष, अकादमी सलाहकारी समिति/ सेनेट या उसके द्वारा नामित द्वारा चुने गये दो परीक्षकों के यहाँ संदर्भित किया जाएगा।

आर.22 थीसिस रिपोर्ट

(a) परीक्षक को थीसिस प्राप्त करने की तारीख से दो महीनों के अंदर थीसिस पर रिपोर्ट तैयार कर वापस भिजवाने की अपेक्षा की जाती है।

(b) थीसिस रिपोर्ट पाने की असाधारण देरी में, अध्यक्ष, एमसी/सेनेट या उसके द्वारा नामांकित एक दूसरे परीक्षक को थीसिस के मूल्यांकन हेतु उनके स्थान पर तैनात कर सकता है।

(c) यदि दो में से एक परीक्षक घोषणा करता है कि थीसिस स्वीकरणीय नहीं है तो थीसिस को तृतीय परीक्षक को जो मूल्यांकन पैनल में है, को संदर्भित किया जा सकता है।

(d) यदि परीक्षक रिविशन के बाद, थीसिस को पुनर्समर्पित करने का सुझाव देता हैतो अनुसंधान विद्वान को डाक्टोरल समिति द्वारा निर्धारित समय के अंदर समर्पित करने की अनुमति दी जाती है, उस अवधि तक न समर्पित करने पर संशोधित थीसिस स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(e) यदि दो परीक्षक, आवश्यकता पडने पर तृतीय परीक्षक को संदर्भित करने के बाद, थीसिस रिपोर्ट में स्वीकरणीय न आने पर विद्वान के पंजीकरण रद्द माना जाएगा।

(f) यदि दो परीक्षक, आवश्यकता पडने पर तृतीय परीक्षक को संदर्भित करने के बाद, थीसिस रिपोर्ट में स्वीकरणीय आने पर डाक्टोरल समिति रिपोर्टों पर विचार करेगा और मौखिक परीक्षा चलाने की सिफारिश करेगा जो सामान्यत: मौखिक बोर्ड के गठन की तारीख से कम से कम दो सप्ताह के बाद होगा। डाक्टोरल समिति न्यूनतम चार विशेषज्ञ सदस्यों के पैनल का सुझाव देगा जिनमें से एक सदस्य को मौखिक बोर्ड में नामांकित किया जाएगा।

(g) अन्य सभी मामलों को, जो ऊपर के विनियम में दर्शाया नहीं गया है, डाक्टोरल समिति को विचारार्थ संदर्भित किया जाएगा।

आर.23 मौखिक परीक्षा

(a) मौखिक परीक्षा बोर्ड का गठन निम्नप्रकार है :

i)	संस्थान के प्रधान या उससे नामांकित	अध्यक्ष
ii)	इसी देश के थीसिस के परीक्षक	
	या अध्यक्ष/एएसी/सेनेट द्वारा नामित विशेषज्ञ हैं	
	जो इस विषय के या डाक्टोरल समिति द्वारा	

	अनुमोदित परीक्षकों के पैनल से उससे नामांकित	
iii)	अनुसंधान गाइड	
iv	एक विशेषज्ञ या तो संस्थान के या डाक्टोरल समिति द्वारा अनुमोदित पैनल से बाहर के व्यक्तिऔर अध्यक्ष, एएसी/सेनेट द्वारा नामांकित	

(b) मौखिक परीक्षा के लिए संबंधित अनुसंधान विद्वान के डाक्टोरल समिति सदस्यों को बुलाया जाएगा।

(c) मौखिक परीक्षा बोर्ड, विद्वान की परीक्षा, उनके थीसिस कार्य पर करेगा उसके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन संतोषजनक या अन्यथा करेगा।

मौखिक परीक्षा बोर्ड यह सुनिश्चि करेगा कि थीसिस परीक्षकों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक रूप में दिया गया है।

(d) यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट घोषणा करती है कि अनुसंधान विद्वान का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं है तो उन्हें पुन: मौखिक परीक्षा में बाद की तारीख में (कम से कम एक महीने के बाद और अधिक से अधिक प्रथम मौखिक परीक्षा होने की तारीख से छ: महीनों के अंदर) उपस्थित होने के लिए निर्देशा दिया जाएगा।

दूसरे अवसर परभी डाक्टोरल समिति के सदस्य को मौखिक परीक्षा बोर्ड में शामिल किया जाएगा।

(e) यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड दूसरी बार भी अनुसंधान विद्वान के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन असंतोषजनक/ संतोषजनक नहीं है करता है तो इस मामले को एएसी/सेनेट के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाएगा।

(f) मौखिक में हुई परिचर्चा और परीक्षक के सुझाव जो थीसिस को मूल्यांकित किये हैं पर विचार करने के बाद थीसिस के अंतिम रूप में किये जानेवाले संशोधन की सिफारिश भी मौखिक बोर्ड कर सकता है।

मौखिक बोर्ड के अध्यक्ष, अकादमी अनुभाग को थीसिस अग्रेषित करते हुए प्रमाणित कर सकता है कि मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा की गयी संशोधन सिफारिश, यदि हो तो, मौखिक बोर्ड की रिपोर्ट के साथ, थीसिस की प्रतियों में जोडी गयी है ।

(g) पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए मौखिक परीक्षा बोर्ड की सिफारिश के बाद सभी अनुसंधान विद्वान थीसिस के अंतिम रूप को ए5 आकार में दो प्रतियों में समर्पित करेंगे और पीडीएफ फार्मट में इलक्ट्रानिक वर्ज़न में समर्पित करेंगे।

आर.24 पीएचडी उपाधि प्रदान करना

यदि मौखिक परीक्षा में अनुसंधान विद्वान का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है तो उन्हें एएसी/सेनेट की सिफारिश पर और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स के अनुमोदन के साथ पीएचडी उपाधि प्रदान किया जाएगा।

आर.25 अनुशासन

प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैंपस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो।

छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य संस्थान के प्रधान के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और संस्थान की अनुशासन और कल्याण समिति को जो एएसी/सेनेट द्वारा समय समय पर नामित है रिपोर्ट किया जाएगा।

समिति आरोप पर पूछताछ करेगी और आरोप सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिशों पर संस्थान के प्रधान विचार करेगा और उचित कार्रवाई लेगा।

संस्थान के प्रधान सेनेट को अगली बैठक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आर.26 संशोधन की शक्ति

उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का हक एएसी/ सेनेट रखती है।

[फा .सं.79-3/2016-टी.एस.I]

राकेश रंजन,संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 4001(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 36 (I) and (2) of the Indian Institute of Information Technology Act, 2014 (30 of 2014), the Senate, with the approval of Board of Governors, make the following Ordinances and Regulations of Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing, Kancheepuram.

ORDINANCES AND REGULATIONS for

B.Tech Degree Programme

ORDINANCES

O.1 The minimum academic qualification for admission through Joint Seat Allocation Authority (hereafter JoSAA)/ Central Seat Allocation Board (hereafter, CSAB) to IIITDM Kancheepuram (hereafter, the Institute) is a pass in the final examination of 10+2 (Class XII) or its equivalent

i) The +2 level examination in the 10+2 pattern of examination of any recognized Central/State Board of Secondary Examination, such as Central Board of Secondary Education, New Delhi, and Council for Indian School Certificate Examination, New Delhi.

ii) Intermediate or two-year Pre-University Examination conducted by a recognized Board/University.

iii) Final Examination of the two-year course of the Joint Services Wing of the National Defence Academy.

iv) Any Public School/Board/University Examination in India or in foreign countries recognized by the Association of Indian Universities as equivalent to 10+2 system.

v) H.S.C. Vocational Examination.

vi) A pass grade in the Senior Secondary School Examination conducted by the National Open School with a minimum of five subjects.

vii) 3 or 4-year diploma recognized by AICTE or a State Board of Technical Education.

O.2 Admission to the particular branch of study shall be as decided during CSAB Counseling.

O.3 The duration of the B.Tech programme will normally be 8 semesters.

O.4 The award of merit scholarships to the B.Tech students will be governed by the regulations framed by the Academic Advisory Committee / Senate from time to time.

O.5 The award of the B.Tech degree shall be in accordance with the regulations of the Academic Advisory Committee / Senate of the Institute.

REGULATIONS

R.1.0 Admission

R.1.1 The number of seats in each branch of the B.Tech programme for which admission is to be made in the Institute, will be decided by its Academic Advisory Committee / Senate. Seats are reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and physically challenged candidates as per the Government of India orders from time to time.

R.1.2 Admission to the B.Tech programme in any year will be based onperformance in Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counseling conducted by the JoSAA/ CSAB for the respective year.

R.1.3 The eligibility criteria, consistent with ordinance O.1, for appearing at theJEE Main.

R.1.4 The JoSAA/CSAB will decide on the procedure for conducting the JEE Main andpreparing a merit list

for the general category of students and a separate merit list for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Subject to minimum performance criteria in the examination decided by the committee from year to year, the JoSAA/CSAB will offer admission, in order of merit, from these lists to candidates taking into account the choice of branch indicated by the candidate and the available seats in each branch in the various Institutes.

R.1.5 At the time of admission, a candidate should have appeared/ passed in thefinal examination of any of the qualifying examinations.

If any board awards only letter grades without providing an equivalent percentage of marks on the grade sheet, the candidate should obtain a certificate from the Board specifying equivalent marks, and submit it at the time of counseling. In case such a certificate is not provided by the candidate, the decision of the Joint Implementation Committee regarding his/ her eligibility shall be held final.

R.1.6 Candidates has to fulfill the medical standards required for admission as setout in the Information Brochure sent along with the application form.

R.1.7 The selected candidate will be admitted to the B.Tech programme afterhe/she fulfills all the admission requirements as indicated in the letter of admission after payment of the prescribed fees.

R.1.8 If, at any time after admission, it is found that a candidate has not fulfilledall the requirements stipulated in the offer of admission, the Institute may revokethe admission of the candidate and report the matter to the Academic Advisory Committee / Senate.

R.2.0 Structure of the B.Tech Programme

R.2.1 The programme of instruction will consist of:

(i) A general core programme comprising basic sciences, engineering sciences, humanities, engineering arts, and mathematics;

(ii) An engineering core programme introducing the student to the foundations of engineering in his/her branch;

(iii) An elective programme enabling the students to take up a group of courses of interest to him/her; and

(iv) a project approved by the Department.

In addition, a student should satisfactorily complete the prescribed NCC/NSO/NSS programme.

R.2.2 ***The complete programme will consist of 5 categories: Humanities, BasicSciences, Basic Engineering, Professional Major and Electives and distributed over eight semesters with two semesters per year.***

The professional major courses will commence from first semester onwards.

R.2.3 Every branch of the B.Tech programme will have a curriculum and coursecontents (syllabi) for the courses approved by the Academic Advisory Committee / Senate.

R.2.4 Credits are assigned to the courses based on the following general pattern:One credit for each lecture period; One credit for each tutorial period; One credit for each laboratory or practical or project session of three periods.

R.2.5. The curriculum of any branch of the B.Tech programme is designed to havea **total of approximately 175 credits for the award of the B.Tech degree.**

R.2.6 **No semester shall have more than six or more lecture based courses as prescribed in the curriculum carrying a maximum of 27 credits and four laboratory courses subject to the following constraints.**

Students may be (are) permitted to register for an additional course (backlog) from fifth semester onwards. However, in special cases, students of VII semester will be permitted to take seven lecture based courses if they are not already prescribed seven courses in previous semesters subject to:

a) two-three lab slots out of the 4 recommended are free

b) maximum number of credits registered in any semester shall not exceed 27.

c) no withdrawal from any of the courses registered will be allowed except as per regulation 7.1

d) the student's Faculty Adviser recommends the same.

e) Students can apply to register one backlog course in V & VI semesters and two backlog course in VII & VIII semesters subject to a maximum of 27 credits in a semester.

R.2.7 Every course of the B.Tech programme will be placed in one of the fifteencategories listed in Table 1.

However, only students belonging to the VI or higher semesters are eligible to register for postgraduate level courses. However, every such student desiring to register for such a course must obtain the consent

IndiaCode

of the teacher offering the course.

Table 1 Categorization of Courses

Sl. no	Category	Code
1.	Humanities & Management Courses	HMC
2.	Basic Science Courses Physics / Chemistry/Mathematics / Life Science	BSC
3.	Basic Engineering Courses	BEC
4.	Professional Engineering Courses	PEC
5.	Allied Engineering Courses	AEC
6.	Professional / Career Development Industrial Lecture / Internships	PCD
7.	Design Courses	DES

IndiaCode

Minimum number of credits to be earned for the award of B.Tech. Degree is 175.

R.2.8 The medium of instruction, examination and project reports will be English.

R.3.0 Faculty Adviser

R.3.1 To help the students in planning their courses of study and for gettinggeneral advice on the academic programme, the Institute will assign a certain number of students to a Faculty member who will be called their Faculty Adviser.

R.4.0 Class Committee

R.4.1 Every class of the B.Tech programme will have a Class Committee consists ofFaculty and students.

R.4.2 The constitution of the Class Committee will be as follows: (i) one professor-not associated with teaching the particular class to be nominated by Director / Director to act as the Chairman of the Class Committee. (ii) course co-ordinator of each of the lecture based subjects (iii) Workshop Superintendent (iv) Two students from the respective class; and (v) Faculty Advisers of the respective class.

R.4.3 The basic responsibilities of the Class Committees are

(a) to review periodically the progress of the classes,

(b) to discuss problems concerning curriculum and syllabi and the conduct of the classes.

(c) The method of assessment in the course will be decided by the teacher in consultation with the class committee and will be announced to the students at the beginning of the semester. However, for the common courses in the first three semesters of the B.Tech programme the method of assessment will consist of two quizzes and an end semester examination with weightages specified in **R.19.1.** Each class committee will communicate its recommendations to the Director / Dy Director.

(d) The Class Committee without student members is responsible for the finalization of the semester results.

(e) The Class Committees shall meet at least twice in a semester, once at the beginning of the semester, and once at the end of the semester to finalise the grades. However, it is recommended to meet once after the Quiz II.

R.5.0 Change of Branch

R.5.1 Change of discipline from one branch to another branch may be permittedsubject to the following:

Type	From	To	EligibilityCriterion
Degree Conversion	B.Tech	DualDegree	(i)8.5CGPA (ii)BytheendoftheIIIYrofB.Techprogramme (iii)Nobacklogcoursesonthedateofapplication (iv)conversionwouldbeallowedtotheextenttheoriginalsanctionedstrengthfortherespective programmeisnotalteredbymore than**10%(+-).** Reservationrulesasfollowedfor regularadmissionsshallbefollowed
BranchTransfer	B.TechCOEB.TechEDMB.TechMDM	B.TechEDM/MDMB.TechCOE / MDMB.TechCOE/EDM	(ii)BytheendofIYr.B.TechOthercriterionasabove.

R.5.2 Such change will be considered only at the end of the first semester. **The performance of the first semester will be the basis for consideration for changes in branches.**

R.5.3 All students who have successfully completed the first semester will beeligible for consideration for change of branch subject to the availability of vacancies.

R.5.4 In making a change of branch the strength of a class should not fall belowthe existing strength by more than ten percent and should not go above the sanctioned strength by more than ten percent. For this purpose, the strength in both cases refers to the total strength of the students in the class.

R.5.5 However, a minimum of one student will be eligible for consideration forchange of branch from each discipline at the end of the first semester irrespective of the regulation 5.4

R.5.6 If a student with a higher GPA is not offered a particular branch because ofother constraints this should not be offered to any other students with a lower GPA even if he is eligible on the basis of the existing norms.

R.6.0 Registration and Enrolment

R.6.1 Except for the first semester, registration of a semester will be done duringa specified week before end semester examination of the previous semester.

Late registration/enrolment will be permitted with a fine as decided from time to time up to two weeks from the last date specified for registration.

R.6.2 **From the second semester onwards all students have to enroll on a specified day at the beginning of a semester.** A student will be eligible forenrolment only if he / she satisfies R.10 and will be permitted to enroll only if he/she has cleared all dues to the Institute, Hostel, Library and the NCC Unit up to the end of the previous semester, provided he is not debarred for enrolment by a disciplinary action of the Institute.

R.6.3 The registration sheet contains the course number, course name, number ofcredits and category for each course taken in that semester. The student makes the choice of course in consultation with his Faculty Adviser.

R.6.4 The B.Tech students are also eligible to take extra courses apart from thecourses prescribed in the curriculum viz one course in 5th, 6th, 7th semesters and not more than two courses in 8th semester subject to a maximum of 15 credits, provided a student has no backlog and should have earned CGPA of 7.0 & above at the end of previous semester. Students taking extra courses should obtain the prior approval of Director / Deputy Director. This will be shown in the grade card as EXT category and will be taken for CGPA calculation.

R.7.0 Registration Requirement

R.7.1 **The curriculum for any semester, except for the final semester will normally carry credits between 21 and 29.**

If a student finds his/her load heavy in any semester, or for any other valid reason, he/she may drop courses within three weeks of the commencement of the semester but before commencement of first quiz with the written approval of his/her Faculty Adviser. However, the student should ensure that the total number of credits registered in any semester should enable him/her to earn the minimum number of credits as specified in **R.8.1.**

R.8.0 Minimum Requirement to Continue the Programme

R.8.1 A student should earn not less than 10 credits in the first semester, and 26credits at the end of the second semester. Thereafter he must maintain an average of 14 credits per semester including first two semesters to continue his studies. However in the final semester a student may earn less than 14 credits if it is sufficient for him to fulfill the requirements for the award of the degree. If a student fails to earn credits every semester, as stated above, his/ her name will be struck off the rolls at the end of the semester.

R.8.2 A student who has not completed the NCC / NSO / NSS requirements (seeR.27) in first six semesters will not be permitted to continue the B.Tech programme.

R.8.3 **A student should have a minimum CGPA of 5.0 (see R.26.2) calculated for the courses successfully completed at the end of each semester.** If the CGPA socalculated is below 5.0 or if he/she earns less than the average 20 credits. In the following semester if his CGPA is less than 5.0 or could not earn average 14 credits as per **R.8.1,** his name will be removed from the rolls.

R.9.0 Maximum Duration of the Programme

R.9.1 A student is ordinarily expected to complete the B.Tech programme in eightsemesters. However, a student may complete the programme at a slower pace by taking more time, but in any case not more than 12 semesters excluding semesters withdrawn or medical grounds etc. as per **R.12.** However, the students have to satisfy **R.8.1** every semester, failing which their registration will be cancelled.

R.10.0 Temporary Withdrawal from the Programme

R.10.1 A student may be permitted by the Director / Dy Director to withdraw fromthe programme for a semester or longer for reasons of ill health or other valid reasons. Normally a student will be permitted to discontinue from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

R.11.0 Discipline

R.11.1 Every student is required to observe discipline and decorous behaviour bothinside and outside the campus and not to indulge in any activity which will tend to bring down the prestige of the Institute.

R.11.2 Any act of indiscipline of a student reported to the Director / Dy Director,will be referred to a **Discipline and Welfare Committee (DWC) constituted by theAcademic Advisory Committee / Senate.** The Committee will enquire into thecharges and recommend suitable punishment if the charges are substantiated. The recommendations of DWC will be reported to Director / Dy Director and authorize the Director / Dy Director to take appropriate action.

R.11.3 **Appeal:** The student may appeal to the Director / Dy Director fordiscussions in Academic Advisory Committee / Senate and decision of AAC/Senate will be final.

R. 11.4 Ragging of any dimension is a criminal and non-bailable offence in ourcountry and current State and Central legislations provide for stringent punishment including imprisonment. Once the involvement of a student is established in ragging, the offending student will be dismissed from the Institution and will not be admitted into any other Institution. Avenues also exist for collective punishment, if individuals can not be identified in this inhuman act. Every senior student of the Institute along with the parent shall give an undertaking every year in this regard and this should be submitted at the time of enrolment.

R.12.0 Attendance

R.12.1 Every teaching staff member handling a class will take attendance till 3calendar days before the last instructional day in the Semester.

R.12.2 A student who has an attendance lower than 85% whatever may be the reasonfor the shortfall in attendance will not be permitted to sit for the end semester examination in the course in which the shortfall exists.

His registration for that course will be treated as cancelled, and he shall be awarded 'W' grade (W stands for registration cancelled for want of minimum attendance) in that subject. **This grade shall appear in the grade card till thecourse is successfully completed.**

If the course is a hard core, the student should register for and repeat the course when it is offered next.

R.12.3 The teacher handling a course must finalise the attendance 3 calendar daysbefore the last instructional day of the course in the semester.

The particulars of all students who have attendance less than 85% in that course will be announced in the class by the teacher himself. Copies of the same should also be sent to the Dean, Academic Courses and Heads of Departments concerned. Students who secure less than 85% should not be permitted to sit for end semester exam without the permission of the Dean Academic Courses.

R.12.4 **Condonation of Attendance :** Those students who have more than 85%attendance for the period other than their medical leave can be considered for condonation of attendance provided their overall attendance in a course including the period of illness does not fall below 40%.

(1) The 15% waiver that is granted shall accommodate absence of the student for personal reasons and minor illness.

(2) The institute can consider additional waiver for students who have suffered major / long term illness that requires hospitalization. Such candidates need to submit a medical certificate issued / endorsed by the Institute Doctor and it shall be the decision of the Director/his nominee to permit such students on a case to case basis as deemed appropriate.

R.13.0 Assessment Procedure – Tests and Examinations

R.13.1 The Academic Advisory Committee / Senate will decide from time to timeon the system of tests and examinations in each subject in each semester.

R.14.0 System of Tests

R.14.1 In lecture / tutorial based subjects **two quizzes (tests)** in the case ofcommon courses of first three semesters and for higher semester courses as decided by the class committee will be held in each course per semester. The details of weightage of marks for these quizzes have to be announced to the students, in consultation with the Class Committee, and the Director / Dy Director should be informed of the scheme at the beginning of the semester.

Indiacode

R.15.0 End Semester Examination

R.15.1 There will be one end semester examination of in each lecture basedsubject.

R.16.0 Project Evaluation

R.16.1 At the completion of a project the student will submit a project report thatwill be evaluated by duly appointed examiner/s.

The evaluation will be based on the report and a viva voce examination on the project.

R.16.2 The project reports of B.Tech students who have not completed theircourse work be evaluated in that semester itself and the result sent in confidential to the Dean, Academic Courses. The result of the project work evaluation will be declared by the Dean, Academic Courses only after the successful completion of the courses by those students.

R.17.0 Weightages

R.17.1 The following will be the weightages for different subjects : For commoncourses of first three semesters:

a) Pre End Sem comprising Quizzes / Projects / Assignments and End Semester Examination. Total marks of Pre End Sem should not exceed the total marks of End Sem i.e. the End Sem marks should be □ 50%

b) Laboratory / Practice courses shall also follow a pattern similar to (a)

The weightage for theory courses of higher semesters of the B.Tech programme should not be below 40% each for both sessional assessment and end semester examination. Subject to the above constraint the Class Committee is free to decide the weightages in any course and announce to the students within 2 weeks from the beginning of the semester.

R.17.2 The markings for all tests, tutorial assignments (if any), laboratory workand examinations will be on an absolute basis. The final percentages of marks are calculated in each subject as per the weightages given in **R.17.1.**

R.18.0 Make-up Examination

R.18.1 Students who have missed the quizzes or end-semester examinations forvalid reasons are eligible for a make-up examination. Only one make up examination for a particular course in a semester is permitted. Student who has missed quiz(zes) and the end semester examination in the same course due to genuine

reasons like illness etc. may be permitted to write make-up examination for the missed End Sem Examination only.They should make an application to the Director / Dy Director / Examination Cell Courses **within ten days from the dateof the examination missed explaining the reasons for their absence.**

Applications received after this period will not be entertained.

R.18.2 Official permission to take a make-up examination will be given underexceptional circumstances such as admission to a hospital due to illness.

- **Students residing in the Hostels should produce a Medical Certificate issued by the Chief Medical Officer of the Institute** that he / she wasadmitted in the Hospital during the period of the missed quiz / exam.
- Students residing in the Hostels and taking medical consultation with outside Doctors are required to obtain written permission from the Medical Officer, of the Institute Hospital **before they proceed for consultation.**
- **Students residing in the hostels but taking medical consultation with outside Doctors are required to obtain an endorsement on the certificate of treatment by the Medical Officer of the Institute Hospital.**
- A student staying outside the Campus permanently / temporarily must produce a medical certificate from the Registered Medical Practitioner and the same **should be duly endorsed by parent / guardian.**
- Other documents related to the treatment (such as Prescriptions, bills of medicine etc.) might be asked to support the application for the medical leave.

R.18.3 A single make-up examination will be held about two weeks after the end-semester examination for those who are permitted to take make-up examination.

The question paper will be common to all the students taking make-up examinations in a given subject.

However the question paper will be so structured that a student will be required to answer only parts of the paper carrying marks in proportion to the weightages of the tests / examinations missed by him / her.

R.18.4 A student who misses this make-up examination will not normally be given another make-up examination.

However in exceptional cases of prolonged illness resulting in the student missing a make-up examination, the Chairman of the Academic Advisory Committee / Senate, in consultation with the Dean of Academic Courses or with approval of the Academic Advisory Committee / Senate may permit the student to appear for a second make-up examination.

R19.0 Supplementary Examinations

Students who have secured U grade in any course are eligible to appear in the supplementary examinations as governed by the following regulations:

(1) A student will be allowed to appear in the Supplementary Examination for any course.

Supplementary Examinations for ODD Semester Courses shall be conducted after the end of the End-Semester examinations of the Even Semester and vice versa respectively.

(2) Students will have to register for the supplementary examinations on a per course basis, paying an examination fee of Rs.500 per course.

(3) Students appearing in supplementary examination will be entirely graded on their performance in supplementary examination only.

Supplementary Examinations will be scheduled by the Institute for which the students have to register as per the circulars that are issued from time to time.

R.20.0 Subject-wise Grading of Students

R.20.1 Letter Grades Based on the semester performance, each student isawarded a final letter grade at the end of the semester in each subject. The letter grades and the corresponding grade points are as follows:

S	10 grade points	
A	9	“
B	8	“
C	7	“
D	6	“

E	4	"	
U	0	"	Unqualified / Failure
W	0	"	Failure due to insufficient attendance in course
I	0	"	Incompletely (Subsequently to be changed into Pass (E to S) or U grade in the same Semester)
X	0	-	Completed (in NSO/NCC/NSS)
Y	0	-	Incomplete (in NSO/NCC/NSS)

R.20.2 A student is considered to have completed a subject successfully andearned the credits if he secures a letter grade other than U/ F or W or I in that subject. **A letter grade U/F or W in any subject implies a failure in that subject.**

A subject successfully completed cannot be repeated.

R.21.0 Method of Awarding Letter Grades

R.21.1 A final meeting of the class committee without the student members willbe convened within seven days after the last day of the end-semester examination. The letter grades to be awarded to the students for different subjects will be finalized at the meeting.

R.21.2 Two copies of the results sheets for each subject, containing the finalgrade and attendance code and two copies with the absolute marks, the final grade and the attendance code should be submitted by the teacher to the concerned class committee chairman. After finalization of the grades at the Class Committee meeting, one copy with the absolute marks and one without the absolute marks but having only the grades and the attendance code will be forwarded by the Class Committee Chairman to the Director / Dy Director.

R.22.0 Declaration of Results

R.22.1 After finalization by the Class Committee as per **R.19.1** the Letter-Gradesawarded to the students in each common course in the first two semesters and in the courses of the third semester offered in common to all the disciplines of the B.Tech programme, will be announced by the Academic Section. For the rest of the courses offered in the third semester and courses offered in the fourth and higher semesters by a department the letter grades awarded will be announced on the departmental notice board.

R.22.2 **The W grade once awarded stays in the record of the student and is deleted when he completes the subject successfully later.** The grade acquiredby him will be indicated in the grade card of the appropriate semester with an indication of number of attempts made in that course.

R.22.3 **'U' grade obtained by the students will be deleted in the grade card once that course is successfully completed, indicating also the number of attempts made in that course.**

R.23.0 Re-examination of Answer Papers

R.23.1 In case any student feels aggrieved, he can contact the teacher concernedwithin three weeks from the commencement of the semester immediately following the announcement of the results. The student shall have access to his answer paper/s in the end semester examination which may be shown to him by the teachers concerned. If the teacher feels that the case is genuine he may re-examine the case and forward a revised grade, if any, to Director / Dy Director through the Chairman of the Class Committee with justification for the revision.

R23.2 Disposal of Answer Scripts:

Answer scripts related to a course shall be preserved by the faculty for a period of 6 months from the date of results announced. After this period, the same shall be disposed of as scrap post shredding by the institute.

R.24.0 Course Repetition

R.24.1 A student earned U or W grade in a core course has to repeat itcompulsorily when the course is offered next. A student securing U or W grade in an elective course, may repeat it if he so desires to get a successful grade. A course successfully completed cannot be repeated.

R.25.0 Grade Card

R.25.1 The grade card issued at the end of the semester to each student willcontain the following:

a) the credits for each course registered for that semester.

b) the letter grade obtained in each course

c) the attendance code in each course

d) the total number of credits earned by the student upto the end of that semester in each of the course categories

e) the Cumulative Grade Point Average (CGPA) of all the courses taken from the first semester

R.25.2 The GPA will be calculated according to the formula

$$GPA = \frac{\sum_i C_i \times GP}{\sum_i C_i}$$

where Ci = credit for the course, GP = the grade point obtained for the course and Σi Ci = the sum of credits in over all courses taken in that semester, including those in which the student has secured U and W grades.

For the cumulative grade point average (CGPA) a similar formula is used where the sum ΣiCi is the sum of credits in over all courses taken in all the semesters completed upto the point in time.

The **CGPA based on the successfully completed courses** is calculated, deleting the 'U' or 'W' grades, and **is also shown separately in the grade card**.

R.25.3 No class or division or rank will be awarded to the students at the end oftheir B.Tech programme.

R.26.0 NCC / NSO / NSS Requirements

R.26.1 All students admitted to the B.Tech programme will have to take eitherNCC or NSO / NSS as an extra-curricular programme. **NCC programme is notavailable for Foreign Nationals and Women students.**

R.26.2 The NCC programme will have to be completed in four semesters. NSO /NSS programme will be held as announced by the Gymkhana.

R.26.3 The NCC / NSO / NSS requirement should be completed with in first foursemesters.

R.26.4 The minimum attendance requirement is 85%.

R.26.5 If a student falls short of the attendance requirements he / she shouldmake up the deficiency as noted below:

(i) If the absence is on valid ground, the deficiency will be made up in the extra NCC / NSO / NSS programmes to be offered during April of the same year.

(ii) If the absence is unauthorized, the deficiency will have to be made up during the following year. The deficiency in NCC will have to be made up in NSO / NSS programmes at the rate of four times the deficiency : each NCC / NSS class missed will be made up by four NSO classes. The deficiency in NSO / NSS classes will have to be made up at the rate of two classes for each class missed.

R.27.0 Scholarships and Tuition Fee Exemption

R.27.1 25% of the students admitted or 25% of the sanctioned strength, whicheveris less, will be awarded Merit-Cum-Means (MCM) scholarship for the entire duration of the programme subject to the terms and conditions and at the rates approved by the Government of India from time to time.

These students are exempted from paying tuition fees.

In the cases of scholarships provided by private organizations, the rates and terms and conditions for the award of such scholarship shall be as approved by the Academic Advisory Committee / Senate.

In addition, 10% of the students admitted or 10% of the sanctioned strength, whichever is less, are exempted from payment of tuition fees for the duration of the programme.

In the case of the SC / ST candidates, the award of scholarships and other benefits will be in accordance with the rules framed by the Government of India.

The Director / Dy Director will lay down the administrative procedures to be followed in the selection of the students for the award of the scholarships consistent with existing Government regulations if any. The number and names of the selected candidates will be reported to the Academic Advisory Committee / Senate. Renewal of these scholarships shall be governed by the following rules:

(i) CGPA of the preceding two semesters prior to renewal must be greater than or equal to 7.0

(ii) The student should not have any backlog subjects as on the date of application for renewal

(iii) The student should have earned the requisite number of credits as stipulated by the B.Tech ordinances and regulations.

IndiaCode

(iv) The student has not involved in any act of indiscipline which led to a corrective measure being implemented by the Disciplinary Committee.

R.28.0 Eligibility for Award of the B.Tech Degree

R.28.1 A student shall be declared to be eligible for award of the B.Tech degree ifhe has

a) registered and successfully completed all the core courses and projects;

b) successfully acquired the minimum required credits as specified in the curriculum corresponding to the branch of his study within the stipulated time;

c) earned the specified credits in all the categories of subjects;

d) completed the NCC / NSO / NSS requirements;

e) has no dues to the Institute, Hostels, Libraries, NCC / NSS / NSO etc. and

f) no disciplinary action is pending against him / her.

For students visiting Universities abroad under Exchange programme of NUS/DAAD or any other University, the following will be followed for credittransfer:

The credits / grades indicated in the grade sheet obtained from the university where the student has done courses should be used by the student as part of his transcripts.

Institute transcripts should only indicate the courses, credits and grades completed at IIITD&M and the courses and credits (without grades) done in other Universities in a particular semester.

The **CGPA calculation based on credits done at Institute alone is to beconsidered for award of prizes**.

The credits earned at Universities abroad will be taken into account for calculation of minimum required credits for award of degree.

R.28.2 B.Tech(Honours) Programme

A student shall declare to be eligible for award of B.Tech (Honours) subject to fulfillment of following rules:

a) Honours programme should be opted for by the student at the end of the 4th semester

b) Minimum CGPA of 9.0 (eligibility for registration and award)

c) Successful completion of all courses in the first attempt with a grade of 'S' to 'D' only.

d) Register for 09 additional credits related to the specialization as identified by the discipline coordinator.

e) Student, who fails to satisfy the above conditions, shall be awarded regular B. Tech degree.

R.28.3 The award of the degree must be recommended by the Academic AdvisoryCommittee / Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

R.29.0 Power to Modify

R.29.1 Notwithstanding all that has been stated above, the Academic AdvisoryCommittee / Senate has the right to modify any of the above regulations from time to time.

R.30 Summer Term Course

R.30.1 A summer term course may be offered with the approval of the Director /Deputy Director. **No student should register for more than two courses during asummer term, including contact course during summer.**

R.30.2 Summer term courses will be announced at the end of the even semesterbefore the commencement of the end semester examinations. A student will have to register within the time stipulated in the announcement by paying the prescribed fees.

R.30.3 The number of contact hours in any summer term course will be the sameas in the regular semester course. The assessment procedure in a summer term course will also be similar to the procedure for a regular semester course.

R.30.4 Withdrawal from a summer term course is not permitted. No make upexamination **(see R.20)** will be given for a summer term course ordinarily.

R.31 Contact Courses

R.31.1 A Contact course may be offered during the regular semester or summerterm ONLY to a final year student who has obtained "U" grade in a CORE course. The course will be offered ONLY on the

IndiaCode

recommendation of the department with the mutual agreement of the teacher and the student.

R.31.2 No student should register for more than two contact courses during thesemester or summer period. **If the students register 2 STC then they are noteligible for contact course during that summer.**

R.31.3 The contact course cannot be offered if a regular OR a summer course isoffered on the same subject, during that period.

R.31.4 Such final year students, who wish to take contact courses, should apply tothe Dean, Academic Courses before the commencement of the semester / summer term in which the contact course is to be taken.

R.31.5 The assessment procedure for a contact course will be similar to theprocedure for the regular semester course.

R.31.6 Withdrawal from a contact course is not permitted.

ORDINANCES AND REGULATIONS for
Dual Degree (B.Tech & M.Tech)/ Dual Degree [B.Tech(Honours)&M.Tech]

ORDINANCES

O.1 The minimum academic qualification for admission through Joint Seat Allocation Authority (hereafter JoSAA)/Central Seat Allocation Board (hereafter, CSAB) to IIITDM Kancheepuram (hereafter, the Institute) is a pass in the final examination of 10+2 (Class XII) or its equivalent

i) The +2 level examination in the 10+2 pattern of examination of any recognized Central/State Board of Secondary Examination, such as Central Board of Secondary Education, New Delhi, and Council for Indian School Certificate Examination, New Delhi.

ii) Intermediate or two-year Pre-University Examination conducted by a recognized Board/University.

iii) Final Examination of the two-year course of the Joint Services Wing of the National Defence Academy.

iv) Any Public School/Board/University Examination in India or in foreign countries recognized by the Association of Indian Universities as equivalent to 10+2 system.

v) H.S.C. Vocational Examination.

vi) A pass grade in the Senior Secondary School Examination conducted by the National Open School with a minimum of five subjects.

vii) 3 or 4-year diploma recognized by AICTE or a State Board of Technical Education.

O.2 Admission to the particular branch of study shall be as decided during JoSAA/CSAB Counseling.

O.3 The duration of the Dual Degree (B. Tech & M. Tech)/Dual Degree (B. Tech (Honours) & M. Tech) programme will normally be 10 semesters.

O.4 The award of merit scholarships to the Dual Degree (B. Tech & M. Tech)/Dual Degree (B. Tech (Honours) & M. Tech) students for the first 8 semester will be governed by the regulations framed by the Senate from time to time.

0.5 The award of **Halftime Teaching Assistantship (HTTA)** to the dual degree students for IX and X semester shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.

O.6 The successful completion of the requirements of the Dual Degree programme by the students will qualify him/her for the Dual Degree referred to as the B.Tech and M.Tech of the Institute.

0.7 Student can opt for Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] at the end of the fourth semester of Dual Degree programme subject to the conditions prescribed by the Senate from time to time.

O.8 The award of the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) and Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.

REGULATIONS

R.1.0 Admission

R.1.1 The number of seats in each area of specialization and branch of the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) programme for which admission is to be made in the Institute, will be decided by its Senate. Seats are reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and persons with Disability candidates as per the Government of India orders from time to time.

indiaCode

R.1.2 Admission to the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) in any year will be based on performance in Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counseling conducted by the JoSAA/CSAB for the respective year.

R.1.3 The eligibility criteria, consistent with ordinance O.1, for appearing at the JEE Main.

R.1.4 The JoSAA/CSAB will decide on the procedure for conducting the JEE Main and preparing a merit list for the general category of students and a separate merit list for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and persons with Disability. Subject to minimum performance criteria in the examination decided by the committee from year to year, the JoSAA/CSAB will offer admission, in order of merit, from these lists to candidates taking into account the choice of branch indicated by the candidate and the available seats in each branch in the various Institutes.

R.1.5 At the time of admission, a candidate should have appeared/ passed in the final examination of any of the qualifying examinations.

If any board awards only letter grades without providing an equivalent percentage of marks on the grade sheet, the candidate should obtain a certificate from the Board specifying equivalent marks, and submit it at the time of counseling. In case such a certificate is not provided by the candidate, the decision of the JoSAA/CSAB / Joint Implementation Committee / Institute regarding his/ her eligibility shall be held final.

R.1.6 Candidates has to fulfill the medical standards required for admission as set out in the Information Brochure sent along with the application form.

R.1.7 The selected candidate will be admitted to the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) programme after he/she fulfills all the admission requirements as indicated in the letter of admission after payment of the prescribed fees.

R.1.8 If, at any time after admission, it is found that a candidate has not fulfilled all the requirements stipulated in the offer of admission, the Institute may revoke the admission of the candidate and report the matter to the Senate.

R.1.9 The students who have valid GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering score are eligible for HTTA (Halftime Teaching Assistantship) for their IX and X semesters. The students of final year Dual Degree programme who are not having valid GATE score would also be entitled to HTTA from the IX semester onwards, in case, they get a CGPA of 8.0 or above on a scale of 10 (Ministry's Letter No. F.231/ 2002TS. 1 dated 11.03.2003) or CGPA of 7.5 or above for SC/ST students.

R.1.10 Students admitted to Dual Degree (B.Tech & M.Tech) programme can opt for Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] at the end of the fourth semester. The student should have a CGPA of 8.5 and above and should have cleared all the courses as prescribed in the curriculum in the first attempt. Students who have obtained 'E' or 'U' or 'W' grade in any course are not eligible for B.Tech (Honours) degree.

R.2.0 Structure of the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) / Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] Programme

R.2.1 Every Branch of the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) programme will have a curriculum and course contents (syllabi) for the courses approved by the Senate.

R.2.2 The programme of instruction will consist of:

I. a general core programme comprising basic sciences, engineering sciences, humanities, engineering arts, and mathematics in the first 8 semesters as in the case of B.Tech programme.

II. an engineering core programme introducing the student to the foundations of engineering in his/her branch in the first 8 semesters.

III. an elective programme enabling the students to take up a group of courses of interest to him/her; and

IV. project in IX and X semesters as approved by the stream.

In addition, a student should satisfactorily complete the prescribed NSO/SSG programme.

R.2.3 The complete programme will consist of 7 categories: Humanities & Management Courses, Basic Science Courses, Basic Engineering Courses, Professional Engineering Courses, Allied Engineering Courses, Professional / Career Development Industrial Lecture / Internships, Design Courses and distributed over eight semesters with two semesters per year.

R.2.4 Credits are assigned to the courses based on the following general pattern: One credit for each lecture period; One credit for each tutorial period; Two credits for each laboratory or practical or project session of three periods.

R.2.5 The curriculum of any branch of the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) Programme is designed to have a **total of approximately 210 credits for the award of the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) degree.**

R.2.6 **No semester shall have more than six or more lecture based courses as prescribed in the curriculum carrying a maximum of 29 credits and four laboratory courses subject to the following constraints.**

Students may be are permitted to register for an additional course (backlog) from fifth semester onwards.

However, in special cases, students of VII semester will be permitted to take seven lecture based courses if they are not already prescribed seven courses in previous semesters subject to:

a) two-three lab slots out of the 4 recommended are free

b) maximum number of credits registered in any semester shall not exceed 29

c) no withdrawal from any of the courses registered will be allowed except as per regulation 7.1

d) the student's Faculty Adviser recommends the same.

e) Students can register one backlog course in V & VI semesters and two backlog course in VII semesters onwards subject to a maximum of 29 credits in a semester.

R.2.7 Every course of the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) Programme will be placed in one of the fifteen categories listed in Table 1.

However, only students belonging to the VI or higher semesters are eligible to register for postgraduate level courses. However, every such student desiring to register for such a course must obtain the consent of the teacher offering the course.

IndiaCode

TABLE 1

Sl. No	Category	Code
1.	Humanities & Management Courses	HMC
2.	Basic Science Courses	BSC
3.	Basic Engineering Courses	BEC
4.	Professional Engineering Courses	PEC
5.	Allied Engineering Courses	AEC
6.	Professional / Career Development Industrial Lecture / Internships	PCD
7.	Design Courses	DEC

The minimum number of credits to be earned for the award of the Dual Degree (B.Tech & M.Tech) is 210 out of which 3-9 credits of course work done under the Pass/Fail option are not counted towards CGPA calculation.

Only students belonging to the VI or higher semesters are eligible to register for M.Tech courses, Every student desiring to register for such a course must obtain the Consent of the Teacher (CoT) offering the course.

R.2.8 The medium of instruction, examination and project reports will be English.

R.2.9 In addition to Dual Degree (B.Tech & M.Tech) regulations specified above, the Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] students **must register for12 additional PMT credits**. Students who have obtained 'E' or 'U' or 'W' grade in any course are not eligible for B.Tech (Honours) degree.

R.2.10 Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] students can register for a **maximum of 2 additional PMT** courses in a semester from the Honours basket of courses over and above the courses prescribed in the Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] curriculum **from 5 th semester onwards**.

R.3.0 Faculty Adviser

R.3.1 To help the students in planning their courses of study and for getting general advice on the academic programme, the Institute will assign a certain number of students to a Faculty member who will be called their Faculty Adviser.

R.4.0 Class Committee

R.4.1 Every class of the Dual degree (B.Tech+M.Tech) programme will have a Class Committee consists of Faculty and students.

R.4.2 The constitution of the Class Committee will be as follows:

(i) one professor - not associated with teaching the particular class to be nominated by Director/Dean of Academic Courses to act as the Chairperson of the Class Committee.

(ii) course co-ordinator of each of the subject

(iii) Two students from the respective class; and

(iv) Faculty Advisers of the respective class.

R.4.3 The basic responsibilities of the Class Committees

The basic responsibilities of the Class Committees are

a) to review periodically the progress of the classes,

b) to discuss problems concerning curriculum and syllabi and the conduct of the classes.

c) The method of assessment in the course will be decided by the teacher in consultation with the class committee and will be announced to the students at the beginning of the semester. However, for the common courses in the first three semesters of the B.Tech programme the method of assessment will consist of two quizzes and an end semester examination with weightages specified in R.17.1. Each class committee will communicate its recommendations to the Director / Dean of Academic Courses.

d) The Class Committee without student members is responsible for the finalization of the semester results.

e) The Class Committees shall meet at least twice in a semester, once at the beginning of the semester, and once at the end of the semester to finalize the grades. However, it is recommended to meet once after the Quiz II.

R.5.0 Change of Branch

R.5.1 Change of discipline from one branch to another branch may be permitted subject to the following:

Type	From	To	Eligibility Criterion
Branch Transfer	DD – COE DD – EDM DD – MDM	DD– EDM / MDM DD – COE / MDM DD – COE / EDM	(i) 8.5 CGPA (ii) By the end of the I Yr . of Dual Degree programme (iii) No backlog courses on the date of application (iv) Conversion would be allowed to the extent the original sanctioned strength for the respective programme is not altered by more than 10% (+-). Reservation rules as followed for regular admissions shall be followed and as per Govt. of India norms.
Specialization Transfer	DD- Product Design DD- Advanced Mfg. DD- VLSI & ESD DD- SP & CSD	DD- Advanced Mfg. DD- Product Design DD- SP & CSD DD- CLSI & EDS	(ii) By the end of II Yr. Dual Degree Other criterion as above.

R.5.2 Change of branch subject to the availability of vacancies.

R.5.3 In making a change of branch the strength of a class should not fall below the existing strength by more than 20 percent and should not go above the sanctioned strength by more than 20 percent. For this purpose, the strength in both cases refers to the total strength of the students in the class.

R.5.4 Change of branch rules is subject to revision from time to time and the decision of the Senate will be final and binding.

R.5.5 If a student with a higher GPA is not offered a particular branch because of other constraints this should not be offered to any other students with a lower GPA even if he is eligible on the basis of the existing norms.

R.6.0 Registration and Enrolment

R.6.1 Except for the first semester, registration of a semester will be done during a specified week before end semester examination of the previous semester. Late registration/enrolment will be permitted with a fine as decided from time to time up to two weeks from the last date specified for registration.

R.6.2 From the second semester onwards all students have to enroll on a specified day at the beginning of a semester. A student will be eligible for enrolment only if he / she satisfies R.8.0 and will be permitted to enroll only if he/she has cleared all dues to the Institute, Hostel, Library and the NSO Unit up to the end of the previous semester, provided he is not debarred for enrolment by a disciplinary action of the Institute.

R.6.3 The registration sheet contains the course number, course name, number of credits and category for each course taken in that semester. The student makes the choice of course in consultation with his Faculty Adviser.

R.6.4 The Dual Degree students are also eligible to take extra courses apart from the courses prescribed in the curriculum, viz., one course in the 5^{th}, 6^{th}, 7^{th} and 8^{th} semesters and not more than two courses in the 9^{th}& 10^{th} semesters, subject to a maximum of 15 credits, provided a student has no backlog and has a CGPA of 7.0 & above, at the end of the previous semester. Students taking extra courses should obtain the prior approval of the Director/ Dean of Academic Courses. This will be shown in the grade card as EXT category and will be taken for CGPA calculation.

R.6.5 Students should have successfully completed the courses of (i-4)th semester to register for courses in nth semester. Eg. To register for courses in 5^{th},6^{th},7^{th},8^{th},9^{th} and 10^{th} semester of Dual Degree programme, the student should have successfully completed all the courses of 1^{st},2^{nd}, 3^{rd},4^{th},5^{th} and 6^{th} semesters respectively, as prescribed in the curriculum of the concerned branch of study.

I. If a student has to register for a semester to clear only the backlogs under i+4 rule, he/she may not be permitted to register for additional courses of a higher semester in any category.

II. The semester used by a student to clear only the backlog course(s), will not be treated as effective for reckoning the no. of semesters spent by the student with respect to maximum permissible limit (vide R 9.1)

R.7.0 Registration Requirement

R.7.1 The curriculum for any semester, except for the final semester will normally carry credits between 21 and 29.

If a student finds his/her load heavy in any semester, or for any other valid reason, he/she may drop courses within three weeks of the commencement of the semester but before commencement of first quiz with the written approval of his/her Faculty Adviser. However, the student should ensure that the total number of credits registered in any semester should enable him/her to earn the minimum number of credits as specified in R.8.1.

R.8.0 Minimum Requirement to Continue the Programme

R.8.1 A student should earn not less than 12 credits in the first semester, and 28 credits at the end of the second semester. Thereafter he must maintain an average of 15 credits per semester including first two semesters to continue his studies. However in the final semester a student may earn less than 15 credits if it is sufficient for him to fulfill the requirements for the award of the degree. If a student fails to earn credits every semester, as stated above, his/ her name will be struck off the rolls at the end of the semester.

R.8.2 A student who has not completed the NSO / SSG requirements (see R.27) in first six semesters will not be permitted to continue the Dual Degree programme.

R.8.3 A student should have a minimum CGPA of 5.0 (see R.26.2) calculated for the courses successfully completed at the end of each semester. If the CGPA so calculated is below 5.0 or if he/she earns less than the average 22 credits. In the following semester if his CGPA is less than 5.0 or could not earn average 15 credits as per R.8.1, his/her name will be removed from the rolls.

R.9.0 Maximum Duration of the Programme

R.9.1 A student is expected to complete the Dual Degree programme in ten semesters. However a student may complete the programme at a slower pace, but in any case not more than 14 semesters, excluding semesters withdrawn on medical grounds, etc. as per R.10.1. However, the students have to satisfy R.9.1 every semester, failing which their registration will be cancelled.

R.10.0 Temporary Withdrawal from the Programme

R.10.1 A student may be permitted by the Director / Dean of Academic Courses to withdraw from the programme for a semester or longer for reasons of ill health or other valid reasons. Normally a student will be permitted to discontinue from the programme only for a **maximum continuous period of two semesters**.

R.11.0 Discipline

R.11.1 Every student is required to observe discipline and decorous behavior both inside and outside the campus and not to indulge in any activity which will tend to bring down the prestige of the Institute.

R.11.2 Any act of indiscipline of a student reported to the Director / Dy Director, will be referred to a Discipline and Welfare Committee (DWC) of the Institute. The Committee will enquire into the charges and recommend suitable punishment if the charges are substantiated. The recommendations of DWC will be reported to Director / Dy Director and authorize the Director / Dy Director to take appropriate action.

R.11.3 **Appeal**: The student may appeal to the Director / Dy Director for discussions in Senate and decision of Senate will be final.

R.11.4 **Ragging** of any dimension is a criminal and non-bailable offence in our country and current State and Central legislations provide for stringent punishment including imprisonment. Once the involvement of a student is established in ragging, the offending student will be dismissed from the Institution and will not be admitted into any other Institution. Avenues also exist for collective punishment, if individuals can not be identified in this inhuman act. Every senior student of the Institute along with the parent shall give an undertaking every year in this regard and this should be submitted at the time of enrolment.

R.12.0 Attendance

R.12.1 Every teaching staff member handling a class will take attendance till 3 calendar days before the last instructional day in the Semester.

R.12.2 A student who has an attendance lower than 85% whatever may be the reason for the shortfall in attendance will not be permitted to sit for the end semester examination in the course in which the shortfall exists.

His registration for that course will be treated as cancelled, and he shall be awarded 'W' grade (W stands for registration cancelled for want of minimum attendance) in that subject. This grade shall appear in the grade card till the course is successfully completed.

If the course is a hard core, the student should register for and repeat the course when it is offered next.

R.12.3 The teacher handling a course must finalise the attendance 3 calendar days before the last instructional day of the course in the semester.

The particulars of all students who have attendance less than 85% in that course will be announced in the class by the teacher himself. Copies of the same should also be sent to the Dean, Academic Courses and Heads of Departments concerned. Students who secure less than 85% should not be permitted to sit for end semester examination without the permission of the Director / Dean Academic Courses.

R.12.4 **Condonation of Attendance :** Those students who have more than 85% attendance for the period other than their medical leave can be considered for condonation of attendance provided their overall attendance in a course including the period of illness does **not fall below 40%.**

1. The 15% waiver that is granted shall accommodate absence of the student for personal reasons and minor illness.
2. The institute can consider additional waiver for students who have suffered major / long term illness that requires hospitalization. Such candidates need to submit a medical certificate issued / endorsed by the Institute Doctor and it shall be the decision of the Director/his nominee to permit such students on a case to case basis as deemed appropriate.

R.13.0 Assessment Procedure – Tests and Examinations

R.13.1 The Senate will decide from time to time on the system of tests and examinations in each subject in each semester.

R.14.0 System of Tests

R.14.1 In lecture / tutorial based subjects **two quizzes (tests)** in the case of common courses of first three semesters and for higher semester courses as decided by the class committee will be held in each course per semester. The details of weightage of marks for these quizzes have to be announced to the students, in consultation with the Class Committee, and the Director / Dean Academic Courses should be informed of the scheme at the beginning of the semester.

R.15.0 End Semester Examination

R.15.1 There will be one end semester examination of in each lecture based subject.

R.16.0 Project Evaluation

R.16.1 At the completion of a project the student will submit a project report that will be evaluated by duly appointed examiner/s.

The evaluation will be based on the report and a viva voce examination on the project.

R.16.2 The project reports of Dual Degree students who have not completed their course work be evaluated in that semester itself and the result sent in confidential to the Dean, Academic Courses. The result of the project work evaluation will be declared by the Dean, Academic Courses only after the successful completion of the courses by those students.

R.17.0 Weightages

R.17.1 The following will be the weightages for different subjects : For common courses of first three semesters:

a) Pre End Sem comprising Quizzes / Projects / Assignments and End Semester Examination. Total marks of Pre End Sem should not exceed the total marks of End Sem i.e. the End Sem marks should be 50%

b) Laboratory / Practice courses shall also follow a pattern similar to (a). The weightage for theory courses of higher semesters of the B.Tech programme should not be below 40% each for both sessional assessment and end semester examination. Subject to the above constraint the Class Committee is free to decide the weightages in any course and announce to the students within 2 weeks from the beginning of the semester.

R.17.2 The markings for all tests, tutorial assignments (if any), laboratory work and examinations will be on an absolute basis. The final percentages of marks are calculated in each subject as per the weightages given in **R.17.1.**

R.18.0 Make-up Examination

R.18.1 Students who have missed the quizzes or end-semester examinations for valid reasons are eligible for a make-up examination. Only one make up examination for a particular course in a semester is permitted. Student who has missed quiz(zes) and the end semester examination in the same course due to genuine reasons like illness etc. may be permitted to write make-up examination for the missed End Sem Examination only.They should make an application to the Director / Dean Academic Courses / Examination Cell **within ten days from the date of the examination missed explaining the reasons for their absence.** Applications received after this period will not be entertained.

R.18.2 Official permission to take a make-up examination will be given under exceptional circumstances such as admission to a hospital due to illness.

- **Students residing in the Hostels should produce a Medical Certificate issued by the Medical Officer of the Institute** that he / she was admitted in the Hospital during the period of the missed quiz / examination.
- Students residing in the Hostels and taking medical consultation with outside Doctors are required to obtain written permission from the Medical Officer, of the Institute Hospital **before they proceed for consultation.**
- **Students residing in the hostels but taking medical consultation with outside Doctors are required to obtain an endorsement on the certificate of treatment by the Medical Officer of the Institute Hospital.**
- A student staying outside the Campus permanently / temporarily must produce a medical certificate from the Registered Medical Practitioner and the same **should be duly endorsed by parent / guardian.**
- Other documents related to the treatment (such as Prescriptions, bills of medicine etc.) might be asked to support the application for the medical leave.

R.18.3 A single make-up examination will be held about two weeks after the end-semester examination for those who are permitted to take make-up examination.

The question paper will be common to all the students taking make-up examinations in a given subject.

However the question paper will be so structured that a student will be required to answer only parts of the paper carrying marks in proportion to the weightages of the tests / examinations missed by him / her.

R.18.4 A student who misses this make-up examination will not normally be given another make-up examination.

However in exceptional cases of prolonged illness resulting in the student missing a make-up examination, the Chairman of the Senate, in consultation with the Dean of Academic Courses or with approval of the Senate may permit the student to appear for a second make-up examination.

R19.0 Supplementary Examinations

Students who have secured U grade in any course are eligible to appear in the supplementary examinations as governed by the following regulations:

1. Supplementary Examinations for ODD Semester Courses shall be conducted after the end of the End-Semester examinations of the Even Semester and vice versa respectively.
2. Students will have to register for the supplementary examinations on a per course basis, paying an examination fee of Rs.500 per course.
3. Students appearing in supplementary examination will be entirely graded on their performance in supplementary examination only.

 Supplementary Examinations will be scheduled by the Institute for which the students have to register as per the circulars that are issued from time to time.

R.20.0 Subject-wise Grading of Students

R.20.1 Letter Grades Based on the semester performance, each student is awarded a final letter grade at the end of the semester in each subject. The letter grades and the corresponding grade points are as follows:

S	10	grade points	
A	9	"	
B	8	"	
C	7	"	
D	6	"	
E	4	"	
U	0	"	Unqualified / Failure
W	0	"	Failure due to insufficient attendance in course
	10	"	Incompletely (Subsequently to be changed into Pass (E to S) or U grade in the same Semester)
X	0	-	Completed (in NSO/SSG)
Y	0	-	Incomplete (in NSO/SSG)

IndiaCode

R.20.2 A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credits if he secures a letter grade other than U/ F or W or I in that subject.

A letter grade U/F or W in any subject implies a failure in that subject. A subject successfully completed cannot be repeated.

R.21.0 Method of Awarding Letter Grades

R.21.1 A final meeting of the class committee without the student members will be convened within seven days after the last day of the end-semester examination. The letter grades to be awarded to the students for different subjects will be finalized at the meeting.

R.21.2 Two copies of the results sheets for each subject, containing the final grade and attendance code and two copies with the absolute marks, the final grade and the attendance code should be submitted by the teacher to the concerned class committee chairman. After finalization of the grades at the Class Committee meeting, one copy with the absolute marks and one without the absolute marks but having only the grades and the attendance code will be forwarded by the Class Committee Chairman to the Director / Dean Academic Courses.

R.22.0 Declaration of Results

R.22.1 After finalization by the Class Committee as per **R.22.1** the Letter-Grades awarded to the students in each course will be announced by the Academic Section/Examination Cell.

R.22.2 **The W grade once awarded stays in the record of the student and is deleted when he completes the subject successfully later.** The grade acquired by him will be indicated in the grade card of the appropriate semester with an indication of number of attempts made in that course.

R.22.3 **'U' grade obtained by the students will be deleted in the grade card once that course is successfully completed, indicating also the number of attempts made in that course.**

R.23.0 Re-examination of Answer Papers

R.23.1 In case any student feels aggrieved, he can contact the teacher concerned within three weeks from the commencement of the semester immediately following the announcement of the results. The student shall have access to his answer paper/s in the end semester examination which may be shown to him by the teachers concerned. If the teacher feels that the case is genuine he may re-examine the case and forward a revised grade, if any, to Director / Dean Academic Courses/ Examination Cell through the Chairman of the Class Committee with justification for the revision.

R.23.2 Disposal of Answer Scripts:

Answer scripts related to a course shall be preserved by the faculty for a period of 6 months from the date of results announced. After this period, the same shall be disposed of as scrap post shredding by the institute

R.24.0 Course Repetition

R.24.1 A student earned W grade in a core course has to repeat it compulsorily when the course is offered next. A student securing U in core course or W grade in an elective course, may repeat it if he so desires to get a successful grade. A course successfully completed cannot be repeated.

R.25.0 Grade Card

R.25.1 The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:

a) the credits for each course registered for that semester.

b) the letter grade obtained in each course

c) the attendance code in each course

d) the total number of credits earned by the student upto the end of that semester in each of the course categories

e) the Cumulative Grade Point Average (CGPA) of all the courses taken from the first semester

IndiaCode

R.25.2 The GPA will be calculated according to the formula

$$GPA = \frac{\sum_i C_i \times GP}{\sum_i C_i}$$

where Ci = credit for the course, GP = the grade point obtained for the course and Σi Ci = the sum of credits in over all courses taken in that semester, including those in which the student has secured U and W grades.

For the cumulative grade point average (CGPA) a similar formula is used where the sum ΣiCi is the sum of credits in over all courses taken in all the semesters completed upto the point in time.

The **CGPA based on the successfully completed courses** is calculated, deleting the 'U' or 'W' grades, and **is also shown separately in the grade card**.

R.25.3 No class or division or rank will be awarded to the students at the end of their Dual Degree programme.

R.26.0 NSO / SSG Requirements

R.26.1 All students admitted to the Dual Degree programme will have to take either SSG or NSO as an extra-curricular programme.

R.26.2 NSO/ SSG programme will be held as announced by the Gymkhana.

R.26.3 The NSO / SSG requirement should be completed within first two semesters.

R.26.4 The minimum attendance requirement is 85%.

R.26.5 If a student falls short of the attendance requirements he / she should make up the deficiency as noted below:

(i) If the absence is on valid ground, the deficiency will be made up in the extra NSO/SSG programmes to be offered during April of the same year.

(ii) The deficiency in NSO / SSG classes will have to be made up at the rate of two classes for each class missed.

R.27.0 Scholarships and Tuition Fee Exemption

R.27.1 25% of the students admitted or 25% of the sanctioned strength, whichever is less, will be awarded Merit Cum Means (MCM) scholarship up to 8 semesters of the programme similar to B.Tech students subject to the terms and conditions and at the rates approved by the Government of India from time to time. These students are exempted from paying tuition fees. In addition, 10% of the students admitted or 10% of the sanctioned strength, whichever is less, are exempted from payment of tuition fees for the 8 semester of the

programme. In the cases of scholarships provided by private organisations, the rates and terms and conditions for the award of such scholarship shall be as approved by the Senate.

In the case of the SC / ST candidates the award of scholarships and other benefits will be in accordance with the rules framed by the Government of India.

The Director / Dean Academic Courses will lay down the administrative procedures to be followed in the selection of the students for the award of the scholarships consistent with existing Government regulations if any. The number and names of the selected candidates will be reported to the Senate.

Renewal of these scholarships shall be governed by the following rules:

I. Minimum CGPA of the preceding two semesters prior to renewal is 7.5

II. The student should not have any backlog subjects as on the date of application for renewal

III. The student should have earned the requisite number of credits as stipulated by the Dual Degree ordinances and regulations.

IV. The student has not involved in any act of indiscipline which led to a corrective measure being implemented by the Disciplinary Committee.

R.27.2 Such of those Dual Degree students who obtain a valid GATE score or secured CGPA of 8.0 or above (7.5 or above for SC/ST) at the end of the 8 th semester will be awarded HTTA for a period of 12 months as applicable to the regular M.Tech programme.

The Director/Dean Academic Courses will lay down the administrative procedures to be followed in the selection of the students for the award of the scholarship/HTTA consistent with existing Government regulations if any. The number and names of the selected candidates will be reported to the Senate.

R.27.3 Leave Rules:

These students are eligible for leave of 30 days in the fifth year which will be regularized 15 days per semester with a provision to carry over from IX to X semester. The intervening holidays will be treated as part of leave with provision of suffixing and prefixing holidays. All Dual Degree students who are awarded with HTTA should apply to the Head of the Department/ Stream Coordinator for leave stating the reasons whenever they are not in a position to attend classes/project work. They will not be eligible for HTTA for the period of absence, if it is unauthorized leave even if they have not fully utilized the eligible leave.

R.28.0 Eligibility for Award of the B.Tech and M. Tech Dual Degree

R.28.1 A student shall be declared to be eligible for award of the B.Tech and M. Tech degree if he has

a) registered and successfully completed all the core courses and projects;

b) successfully acquired the minimum required credits as specified in the curriculum corresponding to the branch of his study within the stipulated time;

c) earned the specified credits in all the categories of subjects;

d) completed the NSO / SSG requirements;

e) has no dues to the Institute, Hostels, Libraries, NSO/SSG etc.

and

f) no disciplinary action is pending against him / her.

For students visiting Universities abroad under Exchange programme of other University (approved by Senate), the following will be followed for credit transfer:

The credits / grades indicated in the grade sheet obtained from the university where the student has done courses should be used by the student as part of his transcripts.

Institute transcripts should only indicate the courses, credits and grades completed at IIITD&M and the courses and credits (without grades) done in other Universities in a particular semester.

The **CGPA calculation based on credits done at Institute alone is to be considered for award of prizes**.

The credits earned at Universities abroad will be taken into account for calculation of minimum required credits for award of degree.

R.28.2 The award of the degree must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

R.29.0 Eligibility for Award of the Dual Degree B.Tech (Honours) & M.Tech Degree

R.29.1 In addition to the conditions prescribed under R.28.0, a student shall declared to be eligible for award of the Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] subject to fulfillment of following rules:

a) Honours programme should be opted for by the student at the end of the 4th semester

b) Minimum CGPA of 9.0 (eligibility for registration and award)

c) Successful completion of all courses in the first attempt with a grade of 'S' to 'D' only.

d) Register for 09 additional credits related to the specialization as identified by the discipline coordinator.

Student who fail to satisfy the above conditions, shall be awarded only Dual Degree (B.Tech & MTech) degree

R.29.2 Extra credits earned by the students will be counted for prizes and awards.

R.29.3 The award of Dual Degree [B.Tech(Honours) & M.Tech] must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

R.30.0 Summer Term Course

R.30.1 A summer term course may be offered with the approval of the Director / Deputy Director. **No student should register for more than two courses during a summer term, including contact course during summer.**

R.30.2 Summer term courses will be announced at the end of the even semester before the commencement of the end semester examinations. A student will have to register within the time stipulated in the announcement by paying the prescribed fees.

R.30.3 The number of contact hours in any summer term course will be the same as in the regular semester course. The assessment procedure in a summer term course will also be similar to the procedure for a regular semester course.

R.30.4 **Withdrawal from a summer term course is not permitted.** No make- up examination **(see R.18.0)** will be given for a summer term course ordinarily.

R.31.0 Contact Courses

R.31.1 A Contact course may be offered during the regular semester or summer term ONLY to a final year student who has obtained"U" grade in a CORE course. The course will be offered ONLY on the recommendation of the department with the mutual agreement of the teacher and the student.

R.31.2 No student should register for more than two contact courses during the semester or summer period. **If the students register 2 STC then they are not eligible for contact course during that summer.**

R.31.3 The contact course cannot be offered if a regular OR a summer course is offered on the same subject, during that period.

R.31.4 Such final year students, who wish to take contact courses, should apply to the Dean, Academic Courses before the commencement of the semester / summer term in which the contact course is to be taken.

R.31.5 The assessment procedure for a contact course will be similar to the procedure for the regular semester course.

R.31.6 Withdrawal from a contact course is not permitted.

R.32.0 Power to Modify

R.32.1 Notwithstanding all that has been stated above, the Senate has the right to modify any of the above regulations from time to time.

ORDINANCES AND REGULATIONS

Master of Design Programme

Ordinance

O.1 Candidates who have qualified for the award of the Bachelor's degree in Engineering /Technology or Master's degree in Science from educational Institutions approved by AICTE/UGC/Government and who have a valid GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) score with minimum percentile fixed by the Senate from time to time are eligible to apply for admission to the M.Des programme. Graduates from IITs/IIITs/NITs with minimum CGPA of 8 out of 10 for GC and 7.5 out of 10 in case of SC/STs are eligible for admission without GATEScore.

IndiaCode

O.2 Associate Membership holders of the professional bodies for admission into their parent disciplines from the following – (i) The Institution of Engineers (India) (AMIE) (ii) The Indian Institute of Metals (AMIM) (iii) The Institution of Electronics and Tele-communication Engineering (AMIETE) with valid GATE Score can also apply.

O.3 Candidates working and sponsored (with full pay and allowances for 24 months) by industry / government organizations / private and public enterprises recognized by DST engaged in R & D work/ engineering colleges recognized by AICTE/UGC, possessing at least two years of professional experience as on the last date of receipt of applications at IIITD&M can apply, provided they hold:

1 B.E./ B.Tech. degree from AICTE/UGC recognized Engineering Colleges/university with first class or 60% aggregate marks in all the four years; or

2 AMIE and other Associate memberships (listed above) with a valid GATE Score.

O.4 The exact eligibility criteria for admission to the M.Des programme shall be as approved by the Senate of the Institute from time to time and announced by the Institute on an annual basis.

O.5 The normal duration of the M.Des programme including project work shall be four semesters. Candidates may be permitted to do their project work in industry and other approved organisations as prescribed in the regulations.

O.6 The award of Half-time Teaching Assistantship (HTTA) to the candidates admitted to the M.Des programme shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.

O.7 The award of the M.Des degree shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.

REGULATIONS

R.1.0 ADMISSION

R.1.1 Candidates who have valid GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) score are eligible to apply for M.Des programme as full time scholars of Institute HTTA.

R.1.2 Candidates sponsored under Quality improvement Programme or other similar programmes are eligible to apply.

R.1.3 Candidates sponsored by the Industries, established Institutes/R&D Organisations/National laboratories are eligible to apply.

R.1.4 Foreign nationals whose applications are received through Indian Council of Cultural Relations, Government of India are eligible to apply. Foreign Nationals are also eligible under self-financing scheme for which applications are invited through their embassy.

R.1.5 Announcements for M.Des Admission will be made by the Institute and the candidates under categories R.1.1, R.1.2 and R.1.3 mentioned above should apply in the prescribed form on or before the specified dates.

R.1.6 The eligibility criteria for admission including the minimum GATE score required for admission as full time students with HTTA or as sponsored or other candidates mentioned under R.1.1, R1.2 and R.1.3 will be decided by the Senate.

R.1.7 The Senate of the Institute will decide on the number of seats for various specialisations / Departments / Centres. Seats are reserved for SC, ST, OBC and physically challenged candidates as per the Government of India rules. However, to be considered for admission they should have a valid GATE score and satisfy the Senate requirements.

R.1.8 The Post-Graduate Admissions Committee constituted by the Chairman, Senate will decide on the operational aspects of selection of candidates based on the criteria laid down by the Senate. However, in the case of service officers under the control of Army / Navy / Air force / DRDO, the selection will be through a central selection committee/s with the Institute faculty serving on the selection committee.

R.1.9 Vacancies that are to be filled up after the admission date will be decided by the Chairman, Senate and reported to the Senate for post-facto approval.

R.1.10 In all matters concerning selection of candidates, the decision of the Chairman, Senate or his nominee viz. Chairman, Post-Graduate Admissions Committee is final.

R1.11 In addition to satisfying the conditions given in the information Brochure for M.Des Admission sent along with the application forms, the selected candidates should satisfy the other admission requirements indicated in the letter of offer of admission. However, if at any time the Dean Academic Courses / Director finds any of the requirements not fulfilled by the candidate, the Dean / Director may revoke his/her admission to the programme.

R1.12 The institute shall also participate in Centralised Counselling process for admission of students to M.Des programme.

IndiaCode

R.2.0 STRUCTURE OF THE M.DES PROGRAMME

R.2.1 The programme of instruction for each stream of specialization will consist of

i. core courses (compulsory)

ii elective courses

iii project work

The student may be required to give one or more seminars and undergo industrial / practical training during the programme.

R.2.2 The complete programme will be of 4 semester duration. The academic programmes in each semester may consist of course work and/or project work as specified by the Senate for each specialisation. The total contact hours is normally about 32 hours per week.

R.2.3 Every stream of specialisation in the programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Senate. The curriculum should be so framed such that the minimum number of credits for successful completion of the M.Des programme of any stream is not less than 60 and not more than 64.

R.2.4 Credits will be assigned to the courses based on the following general pattern:

i. One credit for each lecture period

ii. One credit for each tutorial period

iii. Two credit for each laboratory or practical session of three periods

iv. Credit for the seminar, project work and industrial / practical training will be as specified in the curriculum approved by the Senate.

R.2.5 A student will have to register for all the core courses listed in the curriculum of his/her selected area of specialisation and successfully complete all of them.

However, the Departmental Consultative Committee may grant permission to a student not to register for some of the core courses and substitute them by some other courses depending on the courses successfully completed by the student in the undergraduate programme. This has to be intimated to and approved by the Dean of Academic Courses / Director.

R.2.6 Electives will have to be taken from the courses offered by the Department in that particular semester from among the list of approved courses.

However, most departments permit selection of electives other than those listed against the Department provided they have relevance to the area of specialisation and subject to the approval of the Faculty Adviser. (For Faculty Adviser-see below).

R.2.7 In some specialisations students may be permitted to register for a maximum of two B.Tech courses. The concerned departments will identify such courses and get prior approval of the Senate.

R.2.8 The medium of instruction, examination, seminar and project reports will be in English.

R.3.0 Faculty Adviser

R.3.1 To help the students in planning their courses of study and for getting general advice on academic programme, the concerned Department will assign a certain number of students to a Faculty Member who will be called as Faculty Adviser.

R.4.0 CLASS COMMITTEE

R.4.1 For I and II semesters of M.Des branch wise class committees will be constituted by the Heads of the Departments as follows:

i. Course teacher / co-ordinators of all subjects (not covered under R.4.2) with registration not less than five;

ii. One Professor preferably not offering courses for the class as chairman and

iii. Four student members or 20% of the class strength, whichever is less

iv. Faculty Adviser – Ex-Officio Member

R.4.2 Common class committee for Mathematics and Humanities courses of I and II M.Des will also be formed if the courses open to all engineering departments are offered by the above two departments. These committees will be constituted by the Heads of Mathematics/Humanities department as follows :

i. Course teacher of all subjects:

ii. One Professor preferably not offering courses for the class as Chairman and

iii. Four student members.

R.4.3 The basic responsibilities of the class committee are :

a) to review periodically the progress of the classes to discuss issues faced by students.

b) The type of assessment for the course will be decided by the teacher in consultation with the class committee and will be announced to the students at the beginning of the semester.

c) Each class committee will communicate its recommendations to the Head of the Department and the Dean of Academic courses.

d) The class committee without the student members will also be responsible for the finalisation of the semester results.

R.4.4 The class committee is required to meet at least twice in a semesters once at the beginning of the semester and another time after the end-semester examination to finalise the grades.

R.5.0 Change of Branch

Change of branch is not permitted once a student is given admission to M.Des programme.

R.6.0 Registration Requirement

The M.Des students are eligible to take extra courses apart from the courses prescribed in the curriculum viz one course in 3rd semester and not more than two courses in 4th semester subject to a maximum of 9 credits, provided a student has no backlog and should have earned CGPA of 7.0 & above by the end of the previous semester. Students taking extra courses should obtain the prior approval of Dean (Academic Courses).

R.6.1 During the final project semester, students are not normally permitted to register for courses. However, students who are short of a few credits required for the degree may be allowed by the Dean to register for one or two courses along with the project under the specific recommendation from the Head of the department.

In such cases the project duration may have to be extended beyond the normal period suitably. However, the M.Des HTTA will be paid for a maximum period of 24 months only, as per the existing Government of India rules.

R.6.2 Withdrawal from a course registered is permitted upto two weeks from the date of commencement of the semester. Substitution by another course is not permitted.

The number of courses remaining registered after withdrawal should enable the student to earn the credits required to continue the studies as indicated under R.10.

Courses withdrawn will have to be taken when they are offered next, if they belong to the list of core courses (Compulsory courses).

R.6.3 In extraordinary circumstances like medical grounds, a student may be permitted by the Dean of Academic Courses to withdraw from a semester completely. Normally a student will be permitted to withdraw from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

R.7.0 MINIMUM REQUIREMENT TO CONTINUE THE PROGRAMME

R.7.1 A student should have earned not less than 10 successful credits in the first semester, 26 successful credits by the end of second semester and 36 successful credits by the end of third semesters.

The student will be asked to leave the programme failing to satisfy this requirement

R.7.2 In addition to the above, to be eligible to continue in the programme the student should have a minimum CGPA of 5.0, calculated according to the formula in R.22.2. However, in calculating the CGPA for eligibility to continue the programme only courses the student has successfully completed upto the point under consideration will be taken into account. If the CGPA of any student so calculated falls below 5.0 the student will be issued a warning and if he/she does not make good and get a CGPA less than 5.0 in the following semester also then he/she will be asked to leave the programme.

R.8.0 MAXIMUM DURATION OF THE PROGRAMME

R.8.1 A student is ordinarily expected to complete the M.Des programme in four semesters. However students who do not complete their project work in four semesters are permitted to submit the report in the fifth semester with the prior approval.Students should complete the course work in not more than 5 semesters and the entire programme in 8 semesters including the project work from the date of admission to the programme.

R.9.0 DISCONTINUATION FROM THE PROGRAMME

R.9.1 Students may be permitted to discontinue the programme and take up a job provided they have completed all the course work. The project work can be done during a later period either in the

organisation where they work if it has R and D facility, or in the Institute. Such students should complete the project within six semesters from the date of admission to the programme.

Students desirous of discontinuing their programme at any stage with the intention of completing the project work at a later date should seek and obtain the permission of the Dean before doing so.

R.10.0 DISCIPLINE

R.10.1 Every student is required to observe discipline and decorous behaviour both inside and outside the campus and should not indulge in any activity which bring down the prestige of the Institute.

R.10.2 Any act of indiscipline of a student reported to the Dean will be referred to Discipline and Welfare Committee constituted by the Senate from time to time.

The Committee will enquire into the charges and recommend suitable punishment if the charges are substantiated. The Board of Academic Courses will consider the recommendation of the Discipline and Welfare Committee and authorize the Dean, Academic Courses to take appropriate action.

R.10.3.Appeal: The student may appeal to the Chairman, Senate whose decision will be final. The Dean will report the action taken at the next meeting of the Senate.

R.10.4 Ragging of any dimension is a criminal and non-bailable offence in our country and current State and Central legislations provide for stringent punishment including imprisonment. Once the involvement of a student is established in ragging, the offending student will be dismissed from the Institution and will not be admitted into any other Institution. Avenues also exist for collective punishment, if individuals cannot be identified in this inhuman act. Every senior student of the Institute along with the parent shall give an undertaking every year in this regard and this should be submitted at the time of enrolment.

R.11.0 ATTENDANCE

R.11.1 Every teaching staff member handling a class will take attendance till 3 calendar days before the last instructional day in the Semester.

Students with attendance >=85% will only be allowed to appear in the end semester examinations. Students failing to meet the minimum attendance percentage will have to repeat the course when it is offered next.

R.11.2 The teacher handling the course must finalise the attendance 3 calendar days before the last instructional day of the course in the semester.

The particulars of all students who have attendance less than 85% in that course will be announced in the class by the teacher himself.

Copies of the same should also be sent to the Dean, Academic Courses and Head of the Departments concerned.

R.12.0 LEAVE RULES

R.12.1 All M.Des students should apply to the Head of the Department / Faculty Advisor for leave stating the reasons whenever they are not in a position to attend classes/project work. They will not be eligible for HTTA for the period of absence, if it is unauthorised leave even if they have not fully utilised the eligible leave.

R.12.2 Students are eligible for leave of 30 days in a year which will be regularised 15 days per semester with a provision of carryover from first to second semester and from the third to fourth semester (i.e unutilized leave from the first year cannot be carried over to second year).

The intervening holidays will be treated as part of leave with provision of suffixing and prefixing holidays.

R.13.0 ASSESSMENT PROCEDURE: TESTS AND EXAMINATIONS

R.13.1 For Lecture or / Lecture and Tutorial based subjects a minimum of two sessional assessments will be made during the semester. The sessional assessment may be in the form of periodical tests, assignments or a combination of both, whichever suits the subject best. The assessment details as decided at the Class Committee will be announced to the students right at the beginning of the semester by the teacher.

R.14.0 END SEMESTER EXAMINATION

R.14.1 There will be one end semester examination of 3 hours duration in each lecture based subject. In case of laboratory based subjects a final examination may or may not be conducted. In the case of projects, a viva-voce examination will be conducted on the completion of the project work.

R.15.0 PROJECT EVALUATION

R.15.1 Evaluation of Project work will be taken up only after the student completes all the core as well as elective course requirements satisfactorily.

R.16.0 WEIGHTAGE

R.16.1 The following will be the weightages for the different subjects.

a. Lecture or lecture and tutorial based subjects:

Sessional assessment : Minimum of 40%

End semester examination : Minimum of 40%

b. Laboratory based subjects:

Similar to a.

Sessional work75 to 100% Final examination, if held25%

R.16.2 The markings for all tests tutorial assignments (if any), laboratory work and examinations will be on an absolute basis. The final percentages of marks are calculated in each subject as per the weightages given in R.19.1.

R.17.0 Make-up Examination

R.17.1 Students who have missed sessional assessments on valid reasons should apply to the Examination Cell indicating the reasons for the absence and the teacher shall consider these requests suitably.

R.17.2 Students who have missed the end semester examinations on valid reasons, should make an application to the Dean of Academic Courses / Director / Examination Cell within ten days from the date of the examination missed. Permission to sit for a make-up examination in the subject/s is given under exceptional circumstances like hospitalisation or accident to the student. A student who misses this make-up examination will not be normally given another make-up examination.

However, in exceptional cases of illness resulting in the students missing a make-up examination, the Dean of Academic Courses / Examination Cell in consultation with the Chairman of the Senate may permit the student to appear for a second make-up examination.

R.17.3 For application on medical grounds, students residing in the hostels should produce a Medical Certificate issued by an Institute Medical Officer only.

Students staying outside the campus permanently/temporarily should produce a medical certificates from registered medical practitioners and the same should be forwarded by the parents \guardians for the purpose of make-up examinations.

The Dean of Academic Coursed can use his discretion in giving permission to a student to take a make-up examination, recording the reasons for his decision.

R.18.0 Subject wise Grading of Students into Categories

R.18.1 Letter Grades

Based on the semester performance, each student is awarded a final letter grade at the end of the semester in each subject. The letter grades and the corresponding grade points are as follows.

Grade	Points
S	10
A	9
B	8
C	7
D	6
E	4
U	0
W	Registration cancelled for want of minimum attendance
P,H	Pass / Completed
F,L	Fail / Incomplete

R.18.2 A student is deemed to have completed a subject successfully and earned the credit if he/she secures an overall letter grade other than U/F.

A letter grade U/F in any subject implies failure in that subject. A subject successfully completed cannot be repeated.

R.19.0 METHODS OF AWARDING GRADES

R.19.1 A final meeting of the Class Committee without the student members will be convened within seven days after the last day of the end semester examination.

The letter grades to be awarded to the students for different subjects will be finalised at this meeting.

R.19.2 Two copies of the result sheets for each subject containing the final grade and two copies with absolute marks, the final grade should be submitted by the teacher to the concerned Class Committee Chairman.

After finalisation of the grades at the Class Committee Meeting: one copy with absolute marks and one without the absolute marks but having only the grades will be forwarded by the Class Committee Chairman to the Dean.

One copy with absolute marks, the final grade will be sent to the Head of the Department in which the course is offered.

R.20.0 DECLARATION OF RESULTS

R.20.1 The letter grades awarded to the students in each subject will be put up on the departmental notice boards soon after the final Class Committee meeting.

R.20.2 The U or W grade once awarded stays in the record of the student and is deleted when he/she completes the same subject later, indicating also the numbers of attempts made in that course. The CGPA based on the successfully completed courses is calculated excluding the 'U' or 'W' grades.

IndiaCode

R.21.0 RE-EXAMINATION OF ANSWER PAPERS

R.21.1 In case a student feels aggrieved, he/she can contact the teacher concerned for a second look at his/her performance but not later than two weeks from the commencement of the semester following the announcement of the results. The student shall have access to his/her answer paper/s in the end semester examination which may be shown to him/her by the teacher/s concerned.

If the teacher feels that the case is genuine he/she may re-examine and forward the revised grade, if any, to the Dean of Academic Courses through the Chairman of the Class Committee with justification for the revision and intimate the Head of the Department.

R.22.0 COURSE REPETITION

R.22.1 A student securing 'U' grade in any subject has to repeat it compulsorily when offered next, if the subject is listed as a core subject.

R.22.2 If it is an elective subject, the student has an option to repeat it in order to get a successful grade.

R.23.0 GRADE CARD

R.23.1 The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:

a) the credits for each course registered for that semester.

b) the performance in each subject by the letter grade obtained vide R.21.1.

c) the total number of credits earned by the student upto the end of that semester.

d) the Cumulative Grade Point Average (CGPA) of all the courses taken form the first semester is shown in the final semester grade card.

R.23.2 The Grade Point Average (GPA) will be calculated by the formula.

$$GPA = \frac{\sum_i C_i \times GP}{\sum_i C_i}$$

Where C_i = credit for the course, GP = the grade point obtained for the course and Σ_i C_i = the sum of credits in overall courses taken in that semester, including those in which the student has secured U or W grades.

For the cumulative Grade Point Average (CGPA) a similar formula is used except that the ΣiCi is the sum of credits in overall courses taken in all the semesters completed upto the point in time, including those in which the student has secured U or W grades.

R.23.3 No class/division/rank will be awarded to the students at the end of the M.Des programme.

R.24.0 PROJECT WORK IN INDUSTRY OR OTHER ORGANISATION

R.24.1 Sponsored candidates from organisations which have R and D units and facilities for research work and those students who get employment in such organisation after completion of the courses work may be permitted to carry out their project work in such organisations during the final semester under the following conditions:

R.24.2 A departmental committee shall examine the requests from such students, and fix in advance

i. An internal guide (a faculty member of the institute)

ii. Area of project work and

iii. External guide (Scientists or Engineer in the Industry).

R.24.3 The above details should be submitted to the Dean through the Head of the Department and the Dean's approval should be obtained before the commencement of the project.

R.24.4 The students who are permitted to do the project work in an industry will have to pay the tuition and other fees to the Institute for the third and fourth semester as well.

R.25.0 HALF-TIME TEACHING ASSISTANTSHIP

R.25.1 Students who are qualified for M.Des admission through valid GATE score and are admitted as full time scholars of the Institute, will be eligible for the award of the HTTA notified by the Institute from time to time.

R.25.2 Students joining the M.Des programme under sponsorship scheme with full salary will not be granted any HTTA even if they are qualified in GATE.

R.25.3 Self-financing foreign nationals are not eligible for HTTA.

R.26.0 ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF M.DES DEGREE

R.26.1 A student shall be declared to be eligible for the award of M.Des degree if he/she has

(1) Registered and successfully completed all the core courses and the project.

(2) Successfully acquired the minimum number of credits prescribed in the curriculum of the given stream within the stipulated time vide R.10.1.

(3) No dues to the Institute, Library and Hostels and

(4) No disciplinary action pending against him/her.

(5) For students visiting Universities abroad under Exchange programme the following will be followed for credit transfer:

The credits / grades indicated in the grade sheet obtained from the university where the student has done courses should be used by the student as part of his transcripts.

IIITDM Kancheepuram transcripts should only indicate the courses, credits and grades completed at IIITDM Kancheepuram and the courses and credits (without grades) done in other Universities in a particular semester.

R.26.2 The final award of the Degree must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

R.27.0 POWER TO MODIFY

Notwithstanding all that has been stated above the Senate has the right to modify any of the regulations from time to time.

ORDINANCES AND REGULATIONS

Doctor of Philosophy Programme

Ph.D ORDINANCES AND REGULATIONS

ORDINANCES

1 A candidate who has qualified for the award of Master's degree in Engineering I Technology and Science of a recognized I nstitute or University in the discipline as prescribed in the regulations of the Academic Advisory Committee (hereafter, AAC) ISenate is eligible to apply for the Ph.D. programme in Engineering I Technology and Science respectively of this Institute.

2 A candidate who has qualified for the award of Bachelor's Degree in Engineering\Technology with exceptionally good academic background in the discipline as prescribed in the regulations of the Institute is also eligible to apply for Ph.D programme in Engineering\Technology of this Institute.

3 The award of the Ph.D degree shall be in accordance with the regulations of the Senate of this Institute.

REGULATIONS

R.1 Categories of Admission

Candidates will be admitted to the Ph.D programme of the Institute under one of the following categories:

i. Regular full-time scholars with or without Institute fellowship or with project support.

ii. Research scholars who are staff members of the Institute.

R.2 Eligibility

R.2.1 Minimum Educational Qualifications

Qualification for Regular Full-Time Research: The minimum educational qualification for admission to the Ph.D programme of the Institute are as follows:

R.2.1.1 Ph. D. in Engineering

i. Candidates with a Master's degree in EngineeringlTechnology with a good academic record or a Master's degree by Research in EngineeringlTechnology disciplines, with a good academic record.

ii. Candidates with Master's degree in Sciences with a good academic record and of exceptional merit where eligible for the relevant Engineering discipline and with a valid GATE score or UGClCSIR-NET INBHM or equivalent qualification in the relevant area tenable for the year of registration. In the case of candidates with more than 5 years of relevant experience after the Master's degree, the requirement of a test score may be waived by the Selection Committee.

iii. Candidates who have qualified for the award of Bachelor's degree in Engineering/Technology with exceptionally good academic record in an eligible discipline will be considered for direct admission to Ph. D. Programme as a regular full time scholar subject to the following conditions:

- a B. Tech degree holder of an IIT with a minimum CGPA of 8.0 on a 10.0 point scale or with a valid GATE score.
- a Bachelor's degree holder in Engineering/Technology from any other University should be among the top 10 rank holders in the University and having a valid GATE score.
- a Bachelor's degree holder in Engineering/Technology from a reputed R&D organization and having a proven research record.

2.1.2 Ph.D. In Sciences

Master's degree in Sciences with a good academic record and having a valid GATE score or UGC/CSIR·NET /NBHM or equivalent qualification tenable for the current year in the relevant area / Master's degree in Engineering/Technology are eligible with a good academic record / B.Tech degree holder of an IIT are eligible with a minimum of CGPA of 8.0 on a 10.0 point scale or with a valid GATE Score.

2.1.3 For Research Scholars in the above categories, the minimum educational qualifications are the same as prescribed for full time research Scholars in 2.1.1 and 2.1.2 for admission to the Ph.D programme in the respective categories.

However, valid GATE score or CSIR/RGC JRF or Lectureship/NBHM /JMET/CAT/AIMA or equivalent qualification as applicable for regular full time research scholars may not be required in these cases.

(The list of eligible disciplines in which the minimum educational qualifications have to be obtained will be provided by each department in the Admissions Brochure, which will be updated from time to time).

The Selection Committee may find fit to consider meritorious candidates from disciplines other than listed in the Admission Brochure if there is a good match between the educational/research background of the candidate and the proposed area of research.

The admission brochure will also include details about inter-disciplinary research areas, which may be pursued by the research scholars for the Ph. D degree and the corresponding eligible disciplines given by the Institute.

Additional and stiffer criteria than the minimum educational qualifications given in R.2.1 may be set by the Selection Committee from time to time for short listing candidates to be called for interview and I or test.

R.2.2Upgradation of registration from M.S/M.Tech to Ph.D programme

Meritorious candidates who have registered for M.S/M.Tech programmes are eligible to upgrade their registration to the Ph. D programme in the same department if they satisfy the following criteria:

India Code

(a) The candidate should have been registered for a minimum of 2 semesters in the M.S/M.Tech programme.

(b) Minimum CGPA of B.O in the prescribed courses.

In the case of a M.S. Scholar, the General Test Committee of the M.S. scholar will consider the application for up-gradation to Ph.D. under the supervision of the same guide(s) and make its recommendation to the Senate. If approved, a Doctoral Committee as per R.9 will be constituted to replace the General Test Committee.

In the case of a M.Tech. Student, a Committee duly constituted by the Director I Deputy Director will consider the application for up-gradation to Ph.D and make its recommendation to the Senate. If approved, a Doctoral Committee as per R.9 will be constituted and guide(s) as per R.6 will be allotted.

The candidate should pass the comprehensive examination (R. 12a) within a semester after up-gradation to the Ph.D. programme and within two attempts.

The candidate will be treated on par with one admitted directly after a Bachelor's degree, but with the residency period and course work completed under the M.S/M.Tech. registration as decided by the Doctoral Committee credited to the Ph.D programme.

R.3 International Students

Foreign nationals can only register as regular full-time scholars. Foreign nationals with degree from Indian Universities will be treated on par with Indian nationals for admission purposes. Foreign nationals with foreign degrees must meet the minimum educational requirements as given in R. 2. 1 equivalent to a Indian Master's degree in the relevant disciplines.. In addition, they should have a valid GRE/GMAT/GATE/NET/ICAT /JMET/ TOEFL or an equivalent examination score in the relevant discipline. International students are expected to have a working knowledge of English. Once admitted, the institute will apply for necessary clearance from the Government of India for study in India.

R.4 Selection Procedure

Eligible candidates possessing the minimum educational qualifications and satisfying additional criteria set by the Director I Deputy Director from time to time will be called for an interview and for Test by the Selection Committees.

For candidates who have obtained PG degree 10 years earlier as on the Last date prescribed for receipt of the completed application, a specialization test may be conducted.

The applications of foreign nationals may be considered without a personal interview I test.

Based on the academic record and the performance of the candidates in the interview and /or test, the Selection Committee will recommend to the Chairman, Academic Advisory Committee the names of Candidates found suitable for admission to the Ph.D. Programme.

R.5 Admission

(a) Candidates whose selection is approved by the Chairman, Academic Advisory Committee will be admitted to the Ph. D. programme after payment of prescribed fees.

(b) Ordinarily, a candidate is not eligible for re-·registration for Ph. D. after cancellation of his / her earlier registration for any reason. Based on the merits of the merits of the individual case and taking into consideration any special circumstances, a candidate may be considered for re- registration.

R.6 Choice of guide(s)

(a) Allotment of research scholars to guide(s) will be made by the Director / Dy Director taking into consideration the preferences given by the research scholars and guides.

(b) There shall be not more than two guides from the institute for a research scholar.

R.7 Eligibility for being guides

The following members may be a guide for a Ph. D scholar:

- All faculty members of the Institute.
- Scientific/Design staff of the Institute with a doctoral degree.

Continuance of retired faculty members / emeritus faculty as guides:

(a) When a faculty member, who has guided a candidate for at least 3 years, retires, he will continue to be a guide. However, a co-·guide who is in service will be appointed in addition. The guide who has retired will be invited for the Doctoral Committee meetings, synopsis meeting and the viva voce examination.

(b) A faculty member who is to retire within 3 years may be permitted to become a guide to a new scholar with another faculty member, who is not likely to retire with in 5 years as co· guide, at the time of registration itself. On retirement, the faculty member will continue to be a guide and will be invited to the Doctoral committee meeting and viva voce examination.

(c) CSIR and other Emeritus Fellows / Scientists I Emeritus Professors, who hold office at this Institute for a period of 2 years or more, can become co-·guides for scholars along with a guide from IIITD&M, with at least 5 years service still left at the time to of registration of the scholar.

(d) In case a faculty member who is a guide goes on leave exceeding one year duration, another faculty member will be identified to become a co·guide of the research scholar.

(e) The induction of new guides after 3 years of registration of a research scholar will be considered by the Doctoral committee.

R.8 Change/Addition of guide

The Doctoral Committee of a research scholar may recommend change of guide or appointment of a co-guide for valid reasons.

R.9 Doctoral Committee

The guide will intimate to the Head of the Institute or his nominee for the scholar, the area of research, the name(s) of the guiders) and an panel of names, indicating the area of specialization of faculty members for constitution of a Doctoral Committee, within 8 weeks of the date of joining of the research scholar.

The following is the composition of the Doctoral Committee:

1.	Head of the Institute or his nominee	Chairman
2.	Research Guide(s)	Member(s)
3.	A minimum of two faculty members from IIITD&M	Member
4	One faculty member from other Reputed academic institute	Member

In case any member goes on leave exceeding one year duration, or resigns from the Institute, the Chairman, Academic Advisory Committee or his nominee will nominate another member on the suggestion of the Chairman, Doctoral committee.Scientific/Design staff and others who are eligible to guide Ph.D. scholars may be nominated as members of the Doctoral Committee.

R.10 Registration

(a) The Doctoral Committee will meet normally within a month of being constituted, where the research scholar will make a presentation. The Doctoral Committee will fix/ approve the date of registration for the Ph. D. programme, consider the proposed research topic and prescribe/approve the courses of study in this meeting.

(b) The registration may be backdated for research scholars employed in projects supported by an external agency by up to 6 month s from the date of admission to the programme, on the recommendation of Doctoral Committee with justification. Based on the recommendation of the Doctoral Committee, the Academic Advisory Committee may, additionally permit backdating by a further period of 6 months.

R.11. Course Work

The Doctoral Committee will normally prescribe two core courses and at least four electives. The prescribed courses shall be post-graduate level courses of the Institute or from an liT.

(a) Ph. D research scholars in the Engineering and Sciences shall complete the core courses and at least two electives. In cases where the scholar is directly admitted to the Ph.D programme in Engineering with a Bachelor's degree in Engineering/Technology or with a Master's degree in science where eligible or where the research scholar updates from the M. S/ M. Tech programme at IIITDM to the Ph. D programme, the scholar should successfully complete 5 core courses and 3 electives out of a minimum 5 prescribed by the Doctoral Committee. In the case of a scholar upgrading to the Ph. D programme in Engineering from the M.S/M.Tech programme at IIITDftM, the courses already successfully completed by the scholar in the Master's Programme may be considered by the Doctoral Committee for the course work requirements. Changes in prescribed courses shall be made only by the Doctoral Committee. The doctoral Committee may prescribe additional courses for a scholar wherever found necessary.

(b) The Doctoral Committee may give credit to courses already undergone by a research scholar in this Institute or other Institutions, provided they are the same or equivalent to those prescribed, and the

performance level of the scholar in them meets the minimum requirements. The Doctoral Committee may prescribe additional courses for research scholars wherever found necessary.

(c) Grades

Based on the semester performance, each student is awarded a final grade at the end of the semester in each subject. The grades and the corresponding grade points are as follows:

Grade	Points
S	10
A	9
B	8
C	7
D	6

Research scholars shall obtain a minimum CGPA of 7.5 in the courses taken by them subject to a minimum of HC" grade in the prescribed courses. If more than the minimum required electives have been taken, only the electives with the best performance will be considered for computing the CGPA.

A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credits if he secures a grade other than D. Once a subject successfully completed, it cannot be repeated.

The GPA will be calculated according to the formula

$$GPA = \Sigma(\mathrm{C} \times \mathrm{GP}) \div \Sigma \mathrm{C}$$

Where C is the credit for the course and GP is the grade point obtained for the successfully completed courses.

IndiaCode

R.12. Progress Report

(b) A registered research scholar shall submit a written report in the required format, annually for the first three years, and every six months thereafter.

The report should be routed through the guide to the Director or his nominee for consideration by the Doctoral Committee.

(c) The progress made by a research scholar shall be reviewed by the Doctoral Committee once a year for the first 3 years and every six months thereafter.

Continuance of registration and award/continuance of scholarship/Research Assistantship will be based on the recommendation of the Doctoral Committee. Inadequacy of effort/progress can be a reason for cancellation of registration.

R.12a Comprehensive Examination

(a) Every Ph.D scholar shall take and perform satisfactorily in a Comprehensive Examination.The comprehensive Examination shall be conducted by a Comprehensive Examination Committee, consisting of the scholar and at least two other faculty members of the Institute n?minated by the Chairman of Doctoral Committee.

(b) If the performance of a research scholar in the Comprehensive Examination in the first attempt is not satisfactory, he / she will be given one more opportunity to appear for the comprehensive examination within six months of the first attempt.

The registration of a research scholar who fails to complete successfully the Comprehensive Examination in both attempts, will be given an option to convert his/her registration from Ph. D to M. S. programme if he/she so desired, otherwise his /her registration will be cancelled.

(c) The objective of the Comprehensive Examination is to test the general capability of the research scholar and the breadth of his / her field of research.

The Comprehensive Examination will usually consist of a written test and oral examination or a oral examination.

The Comprehensive Examination Committee shall intimate to the research scholar sufficiently in advance the scope of the Comprehensive Examination, so as to enable the scholar to prepare adequately for it.

(d) The Ph.D research scholars are normally expected to complete successfully the Comprehensive Examination within a year after his/her registration in the Ph. D programme and in any case not later than three semesters after his registration in the Ph.D programme.

R.13 Enrolment

All research scholars who are in residence and whose registration is still in force, are required to enroll in person each semester on the stipulated date till their submission of thesis after payment of the requisite fees. Those not in residence may enroll in absentia after payment of the requisite fees along with the performance report from the Guide.

R.14 Minimum Residential Requirement

(a) The minimum period of study and research for regular full time research scholars required at the Institute from the date of registration for the Ph.D. Programme in Engineering to the date of submission of Ph.D. thesis shall be 24 months for research scholars with Master's Degree in Engineering/Technology; 36 months for

(i) research scholars with Masters Degree n Sciences,

(ii) research scholars directly admitted to the Ph.D Programme with Bachelor's degree in Engineering/Technology

(iii) for research scholars who upgrade from the M.S/M.Tech Programme at IIITD&M to the Ph.D Programme.

(b) The minimum period of study and research for regular full time research scholars from the date of registration for the Ph.D Programme in Sciences, Humanities and Social Science and Management to the date of submission of the Ph.D thesis shall be 24 months.

(c) Withdrawal from the programme is permitted for a semester or longer for reasons of ill health or other valid grounds as duly recommended by Doctoral Committee.

R.15 Relief from Ph.D. Programme to take up job

Ph.D. Scholars who got a job offer can get relief from the programme, while keeping their registration alive on payment of the requisite fees every semester, on the following condition:

Scholars who take up jobs will be relieved on their request, based on the recommendations of Doctoral Committee, if they have completed their

(a) Minimum residential requirement;

(b) Course work and

(c) Comprehensive examination.

The renewal of their registration for every year/semester however, will be considered only if the Doctoral Committee finds his/her progress to be satisfactory and recommends continuance of registration.

R.16 Maximum Duration of Programme

Ph.D. Research Scholars should submit the thesis within 5 years from the date of registration.

The Doctoral Committee may extend the period of submission of the thesis further 2 years for regular full time research scholars.

R.16a Withdrawal from the programme

A scholar may be permitted by the Head of the Institute to withdraw from the programme for a semester or longer for reasons of ill health or other valid grounds duly recommended by the Doctoral Committee. Normally a scholar will be permitted to discontinue from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

R.17 Cancellation of Registration

(a) The registration of a research scholars whose progress is not found to be satisfactory by the Doctoral Committee or who has not enrolled is liable to be cancelled.

(b) The registration of a research scholar who has not submitted his/her thesis before the end of the maximum permissible period as in R. 16 will be cancelled

R.18 Reversion of upgraded Ph.D Registration to Master's Programmes

(a) A research scholar who updates his/her M. S. registration to Ph.D, may apply for reversion to the M.S. Programme under the supervision of the same guide(s) if he/she so desires and if he/she has completed three years after the date of original M. S registration.

(b) If a research scholar, who upgrades his/her M.S. registration to Ph. D, fails to pass the comprehensive examination in two attempts, he/she will be reverted to the M.S. Programme.

The Doctoral Committee will consider the application only if the scholar has completed all the course requirements prescribed originally by the General Test Committee when the scholar registered for the M.S. programme and if the research work carried out till date is found suitable for submission as an M.S. thesis. If the application is found acceptable, the Doctoral Committee may recommend reversion of registration. If the reversion is approved by the Institute, the Doctoral Committee will continue to function as the General Test Committee till the completion of the scholar's M.S. programme. The scholar must complete the requirements of the M.S. degree within a maximum period of one year from the date of reversion of the registration from Ph.D to M.S.

R.19 Synopsis

(a) On satisfactory completion of the prescribed courses, the comprehensive examination and the research work, the scholar shall submit the requisite copies of the synopsis of his/her research work in the required format through the guide(s} and Institute to the Academic Section for consideration of the Doctoral Committee. Prior to submission of the synopsis, the scholar is required to give at least two seminar on the topic of his/her research and have at least one paper either published or accepted for publication preferably in a referred International journal.

(b) The research scholar shall present the synopsis before the Doctoral Committee. The Doctoral committee will, if it approves the work reported in the synopsis, permit the research scholar to submit the thesis and recommend a panel of at least eight examiners from outside the Institute. (foreign universities)

R.20 Submission of Thesis

The research scholar shall, within one month of acceptance of the Synopsis, submit requisite copies of the thesis and abstract of the thesis as stipulated.

The Doctoral Committee may grant additional time beyond one month on request from the scholar for valid reasons.

R.21 Panel of Examiners

The thesis shall be referred to two examiners chosen by the Chairman,

Academic Advisory Committee / Senate or his nominee from among the panel of examiners recommended by the Doctoral Committee at its synopsis meeting.

R.22 Thesis Report

(a) The examiner is expected to send the report on the thesis within two months from the date of receipt of the thesis.

(b) In case of undue delay in receiving the thesis report, the Chairman, MC / Senate or his/her nominee shall appoint another examiner in his/her place for evaluating the thesis.

(c) If one of the two thesis examiners declares the thesis as not commended, the thesis shall be referred to a third examiner from the panel for his/her evaluation.

(d) If an examiner suggests resubmission of the thesis, after revision, the research scholar will be allowed to resubmit the theses within the time stipulated by the Doctoral Committee failing which the revised thesis will not be accepted and his/her registration will be cancelled.

(e) If two examiners, after referral to a third examiner, if necessary, report the thesis as not commended the registration of the scholar shall stand cancelled.

(f) If reports of two examiners after referral to a third examiner, if necessary, declare the thesis as 'commended' the Doctoral Committee will consider the reports and recommend for conduct of viva voce which will be conducted normally not earlier than two weeks from the date of the constitution of the viva voce board. The Doctoral Committee will suggest a panel of at least four expert members out of which one member will be nominated for the viva voce board.

(g) In all other cases, not covered by the above Regulations the matter will be referred to the Doctoral Committee for consideration.

R.23 Viva Voce Examination

(a) The following is the composition of the viva voce Board:

1)	Head of the Institute or his nominee	Chairman
2)	The examiner of the thesis from within the country, or a specialist in the subject nominated by the Chairman, AAC / Senate or his nominee from the panel of examiners Approved by the Doctoral Committee.	Member
3)	Research Guide(s)	Member
4)	A Specialist either from the Institute or outside from the panel approved by the Doctoral Committee and nominated by the Chairman, AAC / Senate or his nominee	Member

(b) The Doctoral Committee members of the Research Scholar concerned will be invitees to the viva voce.

(c) The viva voce board will examine the scholar on his/her thesis work and evaluate his/her performance as satisfactory or otherwise.

The viva voce board will ensure that the scholar answers satisfactorily the questions raised by the thesis examiner(s).

(d) If the report of the viva voce board declares the performance of the research scholar not satisfactory, he/she may be asked to reappear for viva voce at a Later date (not earlier than a month and not Later than six months from the date of the first viva voce).

On the second occasion, the viva voce board wiLL aLso include the members of the Doctoral Committee.

(e) If the viva voce board on the second occasion also evaluates the performance of the research scholar not satisfactory, the matter will be referred to AAC / Senate for a decision.

(f) The viva voce board may also recommend revision to be made in the final version of the thesis after taking into consideration suggestions of the examiners who evaluated the thesis and the discussion at the viva voce.

The Chairman of the viva voce board shall forward the thesis to the academic section certifying that the revisions recommended by the viva cove board, if any, have been incorporated in the copy of the thesis along with the report of the viva voce board.

(g) All the research scholars shall submit two copies of the final form of thesis in A5 size and an electronic version in PDF format after the viva voce board recommends the award of the Ph.D degree.

R.24 Award of Ph.D Degree

If the performance of the research scholar in the viva voce is satisfactory, he/she will be awarded Ph.D. degree on the recommendation of the AAC / Senate and with the approval of the Board of Governors of the Institute.

R.25 Discipline

Every scholar is required to observe disciplined and decorous behavior both inside and outside the campus and should not indulge in any activity, which will tend to bring down the prestige of the Institute.

Any act of indiscipline of a scholar reported to the Head of the Institute will be referred to a Discipline and Welfare Committee nominated by the AAC / Senate from time to time.

The committee will investigate the charges and will recommend suitable punishment if it finds the charges substantiated.

The recommendation of the Committee will be considered by the Head of the Institute to take appropriate action.

Head of the Institute will report the action taken at the next meeting of the Senate.

R.26 Power to Modify

Notwithstanding all that has been stated above, the AAC / Senate has the right to modify any of the above regulations from time to time.

[F.No. 79-3/2016-TS.I]

RAKESH RANJAN, Jt. Secy.